इस्पात मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2006-07

विषय सूची

अध्याय-I **03**
विशेष उपलब्धियां
अध्याय-II **06**
संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप
अध्याय-III **11**
सार्वजनिक क्षेत्र
अध्याय-IV **25**
निजी क्षेत्र
अध्याय-V **32**
अनुसंधान एवं विकास
अध्याय-VI **36**
पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण
अध्याय-VII **43**
सूचना टेक्नालॉजी का विकास
अध्याय-VIII **47**
सुरक्षा
अध्याय-IX **50**
समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण
अध्याय-X **55**
सतर्कता
अध्याय-XI **59**
परिवेदना निवारण तंत्र
अध्याय-XII **62**
नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन
अध्याय-XIII **66**
हिन्दी का प्रगामी उपयोग
अध्याय-XIV **69**
महिला सशक्तिकरण
अध्याय-XV **72**
नवीन पहल/अभिनव योजनाएं
अध्याय-XVI **77**
मान्यता एवं पुरस्कार
अध्याय-XVII **80**
इस्पात के उपयोग में वृद्धि
अध्याय-XVIII **82**
निगमित सामाजिक दायित्व
अध्याय-XIX **86**
इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थान
अध्याय-XX **89**
सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
अनुबंध **90**
महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

अध्याय-I
विशेष उपलब्धियां

2006-07 (1.4.2006 से 31.12.2006)

संक्षिप्त परिदृश्य

- भारत आज विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में सातवें स्थान पर है।
- वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान तैयार (कार्बन) इस्पात का उत्पादन 35.60 मिलियन टन (अनंतिम अनुमान) हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 9.6% अधिक है।
- इसी कालावधि (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान कच्चे लोहे का व्यापारिक उत्पादन 3.45 मिलियन टन (अनंतिम अनुमान) हुआ, जो वर्ष 2005-06 की इसी कालावधि के उत्पादन की तुलना में 3.6% अधिक है। कच्चे लोहे के व्यापारिक उत्पादन में अधिकतर मात्रा में सेकेंडरी उत्पादकों का योगदान है।
- तैयार (कार्बन) इस्पात के निर्यात की कुल मात्रा इस वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 3.50 मिलियन टन (अनंतिम अनुमान) रही, जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि के निर्यात से 10.9% अधिक है।
- वर्तमान वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 2.70 मिलियन टन (अनंतिम अनुमान) तैयार (कार्बन) इस्पात का आयात किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6% कम है।
- तैयार (कार्बन) इस्पात की प्रकट खपत इस वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.3% बढ़कर 31.30 मिलियन टन (अनंतिम अनुमान) पहुँच गई।

राष्ट्रीय इस्पात नीति

- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 में इस्पात उद्योग के भविष्य के लिए सरकार की योजना निर्धारित की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 3 नवम्बर 2005 को मंजूर की थी, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा 7.3% की दर से मिश्रित वार्षिक वृद्धि के आधार पर भारत में इस्पात के उत्पादन को 2004-05 में 38 मिलियन टन से बढ़ाकर 2019-20 तक 110 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाना है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति के उद्देयों की प्राप्ति हेतु,
  - ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए, देश में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभियान के समन्वय की दृष्टि से इस्पात प्रोत्साहन समन्वय समिति गठित की गई है। देश में सभी वर्गों के इस्पात उपभोक्ताओं में यह प्रभाव डालने के लिए दृश्य-श्रव्य एवं समाचार माध्यम के जरिये, 20-03-2007 को एक राष्ट्रीय इस्पात अभियान छेड़ा जायेगा।
  - देश में रिफ्रैक्टरी और इस्पात उद्योग के बुनियादी विकास सहित, विशिष्ट चिंता के क्षेत्रों की देखभाल के लिए इस्पात मंत्रालय में विभिन्न कार्यदल/अध्ययन समितियां गठित की गई हैं।

इस्पात मंत्रालय के अधीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- सेल ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 27,665 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के कारोबार की अपेक्षा 5,477 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 4,300.41 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ दर्ज करते हुए निरंतर लाभप्रदता का अपना रिकार्ड बनाये रखा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 1,390.64 करोड़ रुपये अधिक है।
- कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 16% की दर से अंतरिम लाभांश अदा किया।
- कंपनी ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 10.80 मिलियन टन तप्त धातु, 10 मिलियन टन कच्चा इस्पात और 9.33 मिलियन टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- कंपनी ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 859 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (कर उपरांत) दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 9% अधिक है।
- कंपनी ने अप्रैल-दिसम्बर 2006 के दौरान 8.58 लाख टन से अधिक मूल्य संवर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 26% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
- अप्रैल-दिसम्बर 2006 के दौरान 6,135 करोड़ रुपये का विक्रय करते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 10% की वृद्धि दर्ज हुई।

मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

- मॉयल ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 80.19 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ कमाया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 67.23 करोड़ रुपये थी।
- वर्तमान वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान, मॉयल का विक्रय कारोबार 281.98 करोड़ रुपये (अनंतिम) था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह राशि 236.47 करोड़ रुपये थी।

बर्ड ग्रुप की कंपनियां

- बर्ड ग्रुप के तहत उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) कंपनी ने 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 132.29 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 87.02 करोड़ रुपये थी।
- वर्तमान वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान, कम्पनी का विक्रय कारोबार 240.15 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 174.50 करोड़ रुपये थी।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

- वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान कम्पनी का विक्रय कारोबार एवं शुद्ध लाभ 2,790 करोड़ रुपये (अनंतिम) और 1,609.20 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 2,569.07 करोड़ रुपये और 1,273.42 करोड़ रुपये की तुलना में क्रमश: 9.7% और 26.4% अधिक है।
- कंपनी ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 17.27 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 15.73 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था।
- लौह अयस्क की 15.50 मिलियन टन घरेलू बिक्री वर्तमान वित्त वर्ष के कुल विक्रय का 90% था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 13.44 मिलियन टन की बिक्री कुल बिक्री का 77% थी।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 1.1.2006 से खानों को बंद करने की वजह से केआईओसीएल के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसलिए वर्ष 2006-07 के दौरान कंसंट्रेट का कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ।
- कंपनी ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान पेलेट का उत्पादन 87% कम किया क्योंकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2,441 हजार टन की तुलना में इस अवधि के दौरान 317 हजार टन आयरन ओर पेलेट का उत्पादन हुआ। कम उत्पादन की वजह 100% हेमेटाइट लौह अयस्क का उपयोग करने पर पेलेट प्लांट में समस्याएं आना थीं।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

- वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान क्षमता का 90% उपयोग करते हुए उत्पादन अनंतिम रूप से 40,323 टन था।
- कंपनी ने 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान 8,775 रुपये प्रति टन स्पंज आयरन की औसत विक्रय वसूली की।
- वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान अनंतिम रूप से 35.59 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार किया गया।
- दिसम्बर 2006 तक अनंतिम रूप से 3.36 करोड़ रुपये का प्रचालन लाभ हुआ।

मीकॉन लिमिटेड

- मीकॉन एक अग्रणी इंजीनियरी एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री कंपनी है, जो धातु, बिजली, बुनियादी ढांचे और तेल एवं गैस विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से संलग्न है।
- वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान कंपनी का कुल कारोबार अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के 168.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 235.23 करोड़ रुपये हुआ, जो 39% का सुधार है।
- इसी तरह, अप्रैल-दिसम्बर 2006 की अवधि के लिए कंपनी का कर पूर्व लाभ 12.17 करोड़ रुपये है, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2005 के दौरान यह राशि 10.10 करोड़ रुपये थी, जो 20.4% का सुधार है।

एमएसटीसी लिमिटेड

- अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में एमएसटीसी का कुल कारोबार 4,676 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 5,740 करोड़ रुपये थी।
- वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर 2006 तक, एमएसटीसी का कारोबार 2,170 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 3,208 करोड़ रुपये थी।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2006 तक कम्पनी का कर पूर्व लाभ 45.50 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 56.14 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि में कर उपरांत लाभ 29.38 करोड़ रुपये था, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 35.39 करोड़ रुपये थी।
- सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग के साथ परामर्श करते हुए कंपनी को अनुसूची 'सी' से बढ़ाकर अनुसूची 'बी' करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- एलएससीएल वर्तमान रूप से देश में इस्पात, भारतीय रेल, आवास, पुल एवं सड़कों तक विविध निर्माण गतिविधि में लगी हुई है। इस कंपनी ने पाइलिंग, मृदा अन्वेषण, गगनचुम्बी ढांचों, निर्माण, उपकरणों को लगाने, परीक्षण करने एवं चालू करने के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है।
- कंपनी ने अपने प्रचालन लाभ में निरंतर सुधार किया है, जो अप्रैल-दिसम्बर 2006 के लिए 19.02 करोड़ रुपये है जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 12.95 करोड़ रुपये थी।
- तथापि, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पैकेज के फलस्वरूप उच्च देयता एवं ब्याज प्रभार के कारण, यह कंपनी शुद्ध घाटा उठा रही है। कंपनी के एक पुनर्गठन प्रस्ताव पर वर्तमान रूप से सरकार चर्चा एवं विचार कर रही है।

अध्याय-II

संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय का प्रभार रसायन, उर्वरक एवं इस्पात मंत्री और राज्य मंत्री के अधीन है। यह मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए योजना बनाने एवं विकास करने, आवश्यक कच्चे माल यथा लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, फैरो मिश्रित धातु, स्पंज लोहा इत्यादि जैसे आवश्यक कच्चे माल का विकास करने एवं इनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 10 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उद्यम और इसके सीधे प्रबंधन में एक सरकारी कम्पनी है।

**संगठनात्मक चार्ट (पृष्ठ सं. 7)*

इस्पात मंत्रालय के अन्य संबंधित कार्यालय

संयुक्त संयंत्र समिति: डॉ. के.एन. राज समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् 1964 में स्थापित संयुक्त संयंत्र समिति का उद्देश्य देश में लौह एवं इस्पात उत्पादों के उत्पादन, वितरण, कीमत निर्धारण एवं विक्रय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना है। सन् 1991-92 में इस्पात क्षेत्र के विनियमन एवं विनियंत्रण से न केवल उद्योग वरन् संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के लिए भी एक नया अध्याय शुरू हुआ। बदलते समय से कदम मिलाते हुए इस संगठन ने उद्योग के एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करते हुए स्वयं को बदला।

संयुक्त संयंत्र समिति का मुख्यालय कोलकाता में है और चार प्रमुख महानगरों - नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जेपीसी की एक शाखा के रूप में इसकी नई दिल्ली में आर्थिक अनुसंधान इकाई तकनीकी आर्थिक अध्ययन कर रही है। वर्तमान रूप से जेपीसी में निम्न सदस्य हैं:

- अध्यक्ष - संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) से चार प्रतिनिधि
- टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड (टिस्को) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) दोनों से एक-एक प्रतिनिधि, और
- एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता के रूप में भारतीय रेल

राष्ट्रीय इस्पात नीति में भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक दीर्घकालीन ध्येय निश्चित किया गया है और भारतीय इस्पात उद्यमियों द्वारा हर महत्वाकांक्षी निवेश एवं विस्तार योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे परिवेश में, जेपीसी ने उद्योग की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को बदला है।

ज्ञान प्रबंधन गतिविधियां

आज, जेपीसी देश में एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप यह इस उद्योग के एक व्यापक डाटाबैंक का अनुरक्षण करने वाली संस्था बन गई है। इस संस्था द्वारा एकत्रित प्रमुख आंकड़ों में शामिल हैं:

उत्पादन एवं भंडारण:

- प्रमुख उत्पादक: सेल कारखानें, टाटा स्टील, आरआईएनएल
- मुख्य उत्पादक: एस्सार स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज़
- अन्य सेकेंडरी उत्पादक: कच्चा/सपाट/गैर-सपाट इस्पात उत्पादक
- स्पंज लोहा एवं कच्चा लोहा

लौह एवं इस्पात की प्रमुख श्रेणियों की घरेलू बाजार कीमतें

- लौह एवं इस्पात, स्क्रैप, मिश्र धातु के आयात एवं निर्यात आंकड़े (ईडीआई/नॉन-ईडीआई)
- डाटाबेस में प्राप्त मद के रूप में लौह एवं इस्पात से संबंधित श्रेणी की प्रकट खपत
- चुनिंदा मदों की एफओबी कीमतें एवं स्थलावतरण लागत

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट
(12.2.2007 की स्थिति)

- कच्चे माल – लौह अयस्क, डोलोमाइट, कोक, कोयला और लाइमस्टोन का उत्पादन

उद्योग ढांचे में समय के साथ बदलाव के मद्देनजर उद्योग क्षेत्र विशेष के लिए सर्वेक्षण व डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण किया जाता है और सरकारी स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने में मदद पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत प्रदान करता है। हाल ही में भारतीय स्पंज लोहा उद्योग पर एक सर्वेक्षण संपन्न किया गया। इससे पहले घरेलू इंडक्शन फर्नेस/इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और री-रोलिंग यूनिट्स के लिए भी एक बेसलाइन सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। ब्लास्ट फर्नेस/कच्चे लोहे क्षेत्र पर एक सर्वेक्षण पर बात चल रही है।

आंकड़े एकत्रित करने के अलावा, इस्पात मंत्रालय और इस उद्योग के विभिन्न स्टेकहोल्डरों तक यह सूचना पहुंचाना जेपीसी के कार्यक्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। सूचना पहुंचाने के प्रमुख चैनलों में शामिल हैं:

- **जेपीसी बुलेटिन ऑन आयरन एंड स्टील:** विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग का मासिक प्रवृत्ति परिदृश्य प्रदान करता है।
- **परफॉर्मेंस रिव्यू: आयरन एंड स्टील:** विगत वित्त वर्ष के भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं के विकास का व्यापक लेखा-जोखा प्रदान करता है।
- **सर्वे रिपोर्ट्स:** जेपीसी द्वारा संचालित विभिन्न सर्वेक्षणों जैसे स्पंज लोहा, कच्चा लोहा, कोल्ड रोल्ड-गैल्वेनाइज्ड प्लेन/गैल्वेनाइज्ड कोरूगेटेट, आरआर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस/इंडक्शन फर्नेस की रिपोर्ट शामिल होती है।

यह भी उपलब्ध है: 'ए गाइड फॉर इंटरप्रनॉर्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री' (चार भागों में सीडी में), लौह एवं इस्पात यूनिटों की स्थापना से संबंधित आरंभिक निर्णय लेने में संभावित उद्यमियों को मदद पहुंचाने की दृष्टि से बनाया गया सूचना स्रोत।

- **मंथली एनालिटिकल रिपोर्ट्स** (इस्पात मंत्रालय हेतु): बाजार प्रवृत्तियों और नये समाचारों पर।
- **मासिक/वार्षिक रिपोर्ट** (इस्पात मंत्रालय हेतु): उत्पादन, व्यापार, खपत, कीमतों पर।
- **प्रश्नों से संबंधित सामग्री:** जेपीसी के व्यापक उपभोक्ताओं से प्राप्त उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्नों के जवाब नि:शुल्क प्रदान किये जाते हैं।
- **संसदीय प्रश्नों से संबंधित सामग्री:** भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में उठाये गये प्रश्नों से संबंधित सामग्री। यह सामग्री इस्पात मंत्रालय के लिए आंकड़े/सूचना का काम करती है।
- **वेबसाइट के जरिये सूचना पहुंचाना:** www.jpcindiansteel.org: घरेलू लौह एवं इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सूचना।

सहयोग एवं विकासपरक सेवाएं

- जेपीसी का ध्येय इस्पात उपयोग के फायदों का ज्ञान कराना एवं जागरूक बनाना और उत्पादकों एवं इस्पात के अंतिम उपभोक्ताओं के बीच सूचना के अंतराल को मिटाना है। इसकी प्राप्ति टेक्नालॉजी, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, बाजार प्रवृत्तियां, बजट और नीति निर्माण से संबंधित सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार विनिमय सत्रों को मदद पहुंचा कर की जाती है।
- जेपीसी द्वारा रिबेट की पुन:अदायगी समेत एसएसआईसी के दावों की निगरानी एवं पास करने का कार्य किया जाता है और इस संबंध में प्रमुख उत्पादकों एवं एसएसआईसी दोनों के बीच संपर्क कायम किया जाता है।
- इस्पात मंत्रालय की छत्र-छाया में पुरी, उड़ीसा में बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई), कोलकाता में इस्पात विकास एवं संवर्द्धन संस्थान (इंस्डैग), मंडी गोविंदगढ़ में सेकेंडरी इस्पात टेक्नालॉजी का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसएसटी) इस दिशा में जेपीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।
- नई दिल्ली में जेपीसी की एक तकनीकी आर्थिक शाखा के रूप में आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) की स्थापना की गई है। प्रमुख अर्थशास्त्री के नेतृत्व में इस टीम में अर्थशास्त्रियों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं वित्तीय व्यवसायविदों को शामिल किया गया है और यह विश्व गतिविधियों के अलावा, भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग के सामने विभिन्न आर्थिक, लागत एवं तकनीकी मसलों जैसे देश में लौह एवं इस्पात उद्योग की दीर्घकालीन मांग भविष्यवाणी, नीतिगत दस्तावेज, बाजार कीमत प्रवृत्तियां, व्यापार व शुल्क से संबंधित मसले, निर्यात-आयात नीतियां, कच्चे माल के स्रोत, बुनियादी मसले, क्षमता विस्तार एवं निवेश प्रवृत्तियों पर विचार करती है।

विभिन्न मसलों पर इस्पात मंत्रालय की मदद

इस्पात मंत्रालय को विभिन्न मसलों पर मदद पहुंचाना जेपीसी द्वारा संपादित एक प्रमुख गतिविधि है। जिनमें से कुछ हैं:

- लौह एवं इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के लिए क्षेत्रवार वार्षिक मांग/उपलब्धता बताना।

- राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकों के लिए प्रमुख दस्तावेजों/भाषणों/कार्यसूची बिंदुओं/कार्यवृत्त तैयार करने समेत संगठनात्मक जिम्मेदारी।
- इस्पात की 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी समूह का सदस्य।
- नीतिगत मामले
- प्रासंगिक आर्थिक/बाजार/व्यापार मसलों का विश्लेषण
- कोई अन्य मामले

कोष प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में जारी अधिसूचना के आधार पर जेपीसी इस्पात विकास कोष (एसडीएफ) प्रबंधन समिति का सचिवालय है।
- इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का निश्चय किया है और इसके लिए एसडीएफ से हर वर्ष कोष निर्धारित किया जाता है। यह कोष एसडीएफ संग्रह के ब्याज से उद्योग को टेक्नालॉजी नवीकरण, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों जैसी परियोजनाओं पर काम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - एसडीएफ संग्रह से जेपीसी निम्न सहायता भी प्रदान करती है:
    - इस्पात के वितरण में लगे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को रिबेट के रूप में
    - सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र को नगद पुरस्कार के साथ प्रधान मंत्री ट्रॉफी
  - बाजार विकास परियोजनाएं
  - लौह एवं इस्पात क्षेत्र में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु जीईएफ/यूएनडीपी परियोजना

लौह और इस्पात विकास आयुक्त

खर्च सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों को स्वीकार करने के उपरांत, लौह और इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को इसके चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और नई दिल्ली स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों को 23.05.2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। सेकेंडरी क्षेत्र में आंकड़े एकत्रित करने के अलावा शेष कार्य इस्पात मंत्रालय में विकास आयुक्त कक्ष को हस्तांतरित किया गया। यह कक्ष निम्न कार्यों को देख रहा है:

(क) स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशस/नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जरिये छोटे पैमाने के उद्योगों को लौह और इस्पात मदों के आवंटन से संबंधित मामले:

लौह और इस्पात मदों को छोटे पैमाने के उद्योगों में वितरित करने के लिए स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस और जहाँ ये बंद या गैर-मौजूद हों, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पास आवंटित की जाती हैं। छोटे पैमाने के उद्योग कच्चे माल को उचित दामों पर प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार कॉरपोरेशनों को लगभग 500 रु. प्रतिटन हैंडलिंग प्रभार प्रदान करती है। छोटे पैमाने के उद्योगों को वितरण के लिए पिछले तीन वर्षों में लौह और इस्पात मदों का आवंटन निम्नवत है:

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

कॉरपोरेशंस	2004-05	2005-06	2006-07
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	875	612	404
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	428	219	59
कुल	**1303**	**831**	**463 ***

** 15.12.2006 की स्थिति*

वर्ष 2006-07 के लिए वितरण नीति इस्पात मंत्रालय के वेबसाइट www.steel.nic.in में दी गई है।

उपरोक्त नीति में निम्न परिवर्तन किये गये हैं:

- छोटे पैमाने के उद्योगों को सामग्री की आपूर्ति करने के लिए स्टेट स्मॉल स्केल कॉरपोरेशनों पर 600 मीट्रिक टन तक की सीमा को हटा दिया गया है और छोटे पैमाने के उद्योग, चाहे वे किसी भी आकार के हों, लौह और इस्पात सामग्री को अपने पसंदीदा स्रोत, या तो कॉरपोरेशन के जरिये या सीधे ही निर्माताओं से खरीद सकते हैं।
- दूसरे, आवंटित सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि यदि कॉरपोरेशन(नों) को आवंटित तिमाही सामग्री खत्म हो जाती है, वे अगली तिमाही की आवंटित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। कॉरपोरेशनों द्वारा अपने वार्षिक आवंटन का 75% खत्म होने पर अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जा सकेगा। वर्ष के लिए आवंटित नहीं की गई मदों के लिए अंत: श्रेणी समायोजन के लिए भी अनुमति दी गई है।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

	कम्पनी का नाम	सहायक कम्पनियां
1.	**स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड** इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003	**महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड,** चन्दामुल रोड, चन्द्रपुर – 442401, महाराष्ट्र
2.	**राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापट्टनम – 530031, आंध्र प्रदेश	
3.	**मीकॉन लिमिटेड,** मीकॉन बिल्डिंग, राँची – 834002, झारखंड	
4.	**कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड** II ब्लॉक, कोरमंगल, बंगलौर – 560034, कर्नाटक	**कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील लिमिटेड** पनंबुर, मंगलौर–575010, कर्नाटक
5.	**नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड** खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, हैदराबाद – 500028, आंध्र प्रदेश	**जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,** 19/9, त्रिकुट नगर, जम्मू – 180012, जम्मू एंड कश्मीर
6.	**हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड** नं. 1, शेक्सपियर सारनी, आठवां तल, कोलकाता – 700071, पश्चिम बंगाल	
7.	**भारत रिफ्रेक्टरीज़ लिमिटेड,** सेक्टर IV, सेन्ट्रल एवेन्यू, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो – 827004, झारखंड	
8.	**स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड,** खनिज भवन, 10–3/311/ए, कैसल हिल्स, हैदराबाद – 500023, आंध्र प्रदेश	
9.	**एमएसटीसी लिमिटेड,** 225–एफ, आचार्य जगदीश बोस रोड, कोलकाता – 700020, पश्चिम बंगाल	**फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड,** एफएसएनएल भवन, पोस्ट बैग नं. 37, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई – 490001, छत्तीसगढ़
10.	**मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड,** 3 माऊंट रोड एक्सटेंशन, पोस्ट बैग नं. 34, नागपुर – 440001, महाराष्ट्र	
	सरकार के प्रबन्धन में कम्पनी **बर्ड ग्रुप की कम्पनियां,** एफडी–350, सेक्टर–III, कोलकाता – 700106, पश्चिम बंगाल	

अध्याय-III

सार्वजनिक क्षेत्र

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सभी क्षेत्रों में निष्पादन अधिकांशत: अच्छा रहा है। इस अध्याय में उनके कार्यनिष्पादन का कुछ मानकों के आधार पर वर्णन किया गया है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस्पात मंत्रालय के कुल 15 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने वित्त वर्ष 2003-04 में कुल मिलाकर 5,568 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 11,497 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ दोगुने से अधिक बढ़ाया है।

वर्ष 2005-06 की तीन तिमाहियों (अप्रैल -दिसम्बर 2006) में भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कर पूर्व लाभ में लगभग 26% की महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जो विगत वर्ष के 8,368.75 करोड़ रुपये के कुल कर पूर्व लाभ की तुलना में लगभग 10,566.40 करोड़ रुपये है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का राजकोष में भी योगदान काफी बड़ा है। उदाहरण के लिए, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, केआईओसी और मॉयल नामक पांच अग्रणी कम्पनियों ने उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, निगमित कर, विक्रय कर, रॉयल्टी इत्यादि के जरिए केन्द्रीय एवं राज्य राजकोष में योगदान 2003-04 में 5,761 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 13,110 करोड़ रुपये दोगुने से अधिक हुआ।

माननीय केन्द्रीय उर्वरक और रसायन तथा इस्पात मंत्री, श्री राम विलास पासवान, सेल के इस्को स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए।

विलय एवं अधिग्रहण

निजी क्षेत्र में विद्यमान प्रवृत्तियों के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का देश में विलय और अधिग्रहण चल रहा है। पिछले साल इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) का पहले ही सेल में विलय कर दिया गया है, जबकि भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड को सेल में विलय करने की प्रक्रिया चल रही है। सेल द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण भी किया जा रहा है।

मीकॉन लिमिटेड के पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2007 को मंजूर किया गया। तदनुसार, मीकॉन लिमिटेड को सरकार 93 करोड़ रु. नकद सहायता देने के लिए सहमत हो गई है, जिसमें से 30 करोड़ रु. इक्विटी के रूप में और 63 करोड़ रु. 5% रिडीमेबल प्रिफ्रेंशियल शेयर्स के रूप में दिये जायेंगे। इस पैकेज में 50% ब्याज सब्सिडी (6.50 करोड़ रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं) और कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए ऋण पर गारंटी शुल्क (1.92 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं) माफ करना शामिल है। सरकार ने पूर्णकालिक निदेशक सहित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की भी मंजूरी दे दी है।

एचएचसीएल के पुनरुद्धार और वित्तीय पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव बीआरपीएसई के विचाराधीन है।

ये विलय, अधिग्रहण और पुनर्गठन वर्ष 2007 के उत्तरार्द्ध में पूर्ण होने की आशा है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सामान्य

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और भारत सरकार का एक उद्यम है। इसके पास भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में पांच एकीकृत इस्पात कारखाने हैं। सेल के तीन विशेष व मिश्र इस्पात कारखाने हैं - मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), सेलम इस्पात कारखाना, सेलम (तमिलनाडु) और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती (कर्नाटक)। इनके अलावा चंद्रपुर में स्थित एक फेरा एलॉय कारखाना महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड है जो सेल की एक सहायक कम्पनी है। इसके अलावा सेल की सात केन्द्रीय यूनिटें हैं - लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईटी), प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) रांची में स्थित हैं। धनबाद में केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन व कच्चा माल प्रभाग, विकास प्रभाग तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग कोलकाता में स्थित हैं। कोलकाता में ही स्थित केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) देश भर में विपणन एवं विक्रय तंत्र का समन्वय करता है।

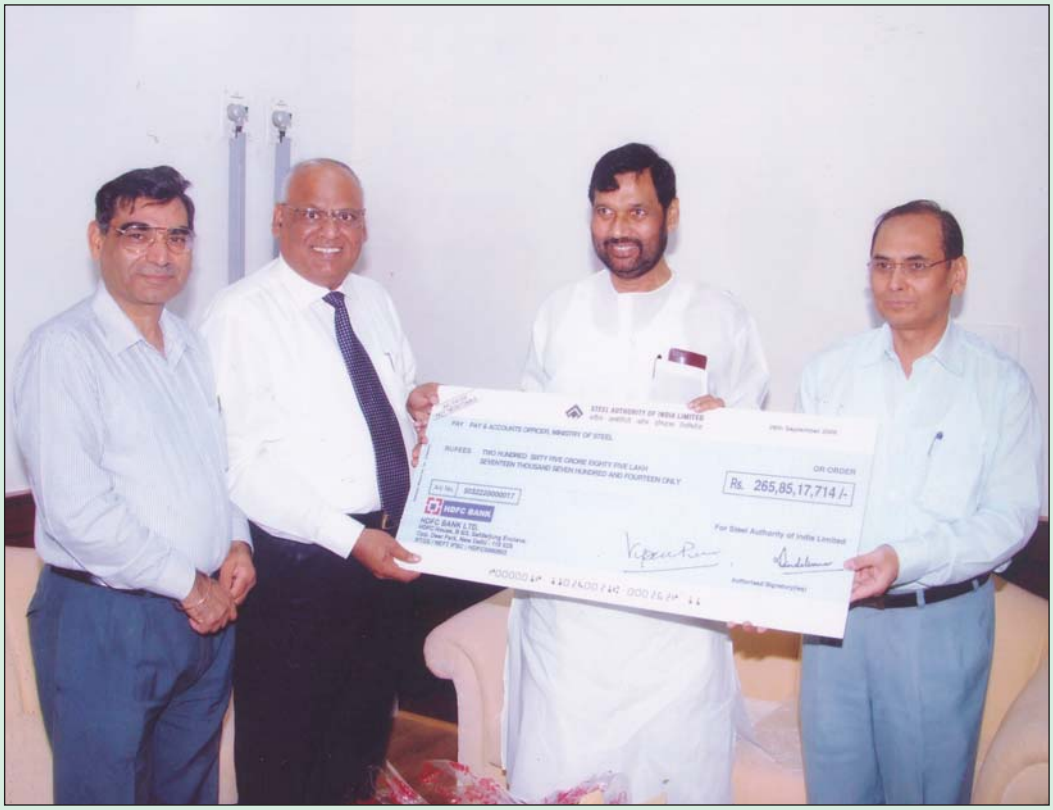

श्री एस.के. रूँगटा, अध्यक्ष सेल, श्री राम विलास पासवान, माननीय केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री एवं श्री आर.एस. पाण्डेय सचिव (इस्पात) को 265.85 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश का चेक सौंपते हुए; चित्र में श्री के.के. खन्ना, निदेशक (तकनीकी), सेल भी दिखाई दे रहे हैं।

पूंजीगत ढांचा

सेल की प्राधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2006 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 4,130.40 करोड़ रुपये थी, जिसमें 85.82% भारत सरकार तथा शेष 14.18% वित्तीय संस्थाओं/जीडीआर धारकों/बैंकों/कर्मचारियों/व्यक्तियों इत्यादि के पास थी।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

कम्पनी ने 2005-06 में 32,280 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार दर्ज किया। वर्ष 2005-06 में कर उपरांत शुद्ध लाभ 4,013 करोड़ रुपये था। कम्पनी ने वर्ष 2005-06 के लिए प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 20% की दर से लाभांश अदा किया। 31 दिसम्बर, 2006 को समाप्त नौमाही में विक्रय कारोबार और कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमश: 27,654.78 करोड़ रुपये और 4,300.41 करोड़ रुपये था।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

सेल के एकीकृत इस्पात कारखानों समेत इसकी उत्पादन योजना एवं उपलब्धि का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(मिलियन टन में)

मद	2005-06			अप्रैल-दिसम्बर 2006		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)
तप्त धातु	13.6	14.6	108	10.4	10.8	104
कच्चा इस्पात	12.6	13.5	107	9.6	10.0	104
बिक्री योग्य इस्पात	11.4	12.1	106	8.8	9.33	107

कच्चा माल

कम्पनी ने अपनी खानों में 2005-06 के दौरान 23.89 मिलियन टन कुल लौह अयस्क का उत्पादन किया। वर्ष के दौरान फ्लक्स (लाइमस्टोन/डोलोमाइट) का उत्पादन 2.52 मिलियन टन हुआ। अप्रैल-दिसम्बर 2006 के दौरान लौह अयस्क और फ्लक्स का उत्पादन क्रमश: 17.90 मिलियन टन और 1.99 मिलियन टन (अनंतिम) था।

जनशक्ति

सेल की जनशक्ति 31 मार्च, 2006 को 1,38,211 थी जिसमें से 15,206 कार्यपालक और 1,23,005 गैर-कार्यपालक कर्मी थे। वर्ष के दौरान जनशक्ति में कुल 4,864 की कमी हुई, जिसमें 881 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मी शामिल हैं। श्रम उत्पादकता पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% बढ़कर 150 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष हुई।

कम्पनी की जनशक्ति 31.12.2006 को 1,33,435 थी (इसमें 16,219 कार्यपालक और 1,18,216 गैर-कार्यपालक कर्मी शामिल हैं)।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (सेल की एक सहायक कम्पनी)

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है और यह सेल के इस्पात कारखानों में उपयोग के लिए फैरो मैंगनीज़ और सिलिको मैंगनीज़ का प्रमुख उत्पादक है।

कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 31.3.2006 को क्रमश: 30 करोड़ रुपये एवं 24 करोड़ रुपये थी। सेल की धारिता प्रदत्त पूंजी का लगभग 99.12% है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2005-06 के दौरान कम्पनी ने 247.33 करोड़ रुपये (171.10 करोड़ रुपये की कन्वर्जन आय समेत) का कारोबार दर्ज किया और कर उपरांत 20.97 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। अप्रैल से दिसम्बर 2006 तक का कम्पनी का कारोबार एवं कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमश: 220.26 करोड़ रुपये (अनंतिम) और 17.48 करोड़ रुपये (अनंतिम) था।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

वर्ष 2005-06 के दौरान फैरो अलॉय की सभी श्रेणियों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(टन में)

सामग्री	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 2006 (अनंतिम)
हाई कार्बन फेरो मैंगनीज	51,525	49,493
सिलिको मैंगनीज	46,712	32,921
मीडियम कार्बन फेरो मैंगनीज	2,344	164

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएसएनएल)

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टनम में समुद्र तट पर स्थित पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र अगस्त 1992 में 3 मिलियन टन तरल इस्पात की वार्षिक क्षमता के साथ चालू हुआ। इसे अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के साथ डिजाइन और इंजीनियरी में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया, जिसमें भारी ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को शामिल किया गया है। वीएसपी का शानदार लेआउट है जिसे 10 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। अपने एकीकृत प्रचालन वर्ष से ही वीएसपी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पादों को पहुंचा कर अपनी धाक जमा ली है। वीएसपी को सभी तीनों अंतरराष्ट्रीय मानक प्रमाणपत्र - आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:1996 और ओएचएसएएस 18001:1999 से सम्मानित किया जा चुका है। कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाये हैं।

श्री शिव सागर राव, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और श्री किशनलाल मेहरोत्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

मदें उत्पादन (मिलियन टन में)	2004-05	2005-06	2006-07 (दिसम्बर '06 तक)		
			लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)
तप्त धातु	3.920 (115%)	4.153 (122%)	3.048	3.040	100
तरल इस्पात	3.560 (119%)	3.603 (120%)	2.672	2.676	100
बिक्री योग्य इस्पात	3.173 (119%)	3.237 (122%)	2.368	2.419	102

**कोष्ठक में दिये गये आंकड़े क्षमता उपयोग को दर्शाते हैं।*

माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के विस्तार का शिलान्यास करते हुए।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

भारत सरकार के उद्यम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी) की स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई। यह देश में खनिज स्रोतों (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिजों के अलावा) के विकास एवं दोहन में लगी है। वर्तमान में इसकी गतिविधियां लौह अयस्क, हीरा एवं सिलिका चूर्ण के खनन पर केन्द्रित हैं।

एनएमडीसी वैलाडिला (छत्तीसगढ़) और दौणिमले (कर्नाटक) में देश की सबसे बड़ी यांत्रिक लौह अयस्क खानों का प्रचालन करती है। सिलिका सैंड परियोजना लालपुर, इलाहाबाद और हीरा खान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से नोटिस मिलने पर डीएमपी, पन्ना में 22.8.2005 से खनन गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। एनएमडीसी इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए प्रयास कर रही है।

एनएमडीसी की सभी लौह अयस्क उत्पादन इकाइयों को आईएसओ 9001:2000 और आईएसओ 14001:2004 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को भी आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र मिल चुका है।

लौह अयस्क

एनएमडीसी ने वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) के दौरान 17.27 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया। विवेच्य वर्ष (दिसम्बर 2006 तक) के दौरान 15.50 मिलियन टन लौह अयस्क का घरेलू विक्रय हुआ। एनएमडीसी द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को किया जाता है। वर्ष 2006-07 में एनएमडीसी ने लगभग 429.80 करोड़ रुपये मूल्य का 1.78 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया।

हीरा

वर्ष 2006-07 के दौरान 18 अप्रैल, 2006 तक 1705 कैरेट हीरा का उत्पादन किया गया, जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति की इच्छानुसार इस कारखाने का प्रचालन बंद कर दिया गया। तथापि, मौजूदा भंडार से 6.69 करोड़ रुपये मूल्य के 7,877 कैरेट हीरा का विक्रय किया गया।

सिलिका चूर्ण

वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) के दौरान तैयार सिलिका चूर्ण का 31,798 टन उत्पादन और 36,963 टन विक्रय किया गया।

वित्त

पूंजीगत संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये है। प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 132.16 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार के बकाया ऋण शून्य हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

कम्पनी का वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) का वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर '06) (अनंतिम)
विक्रय/कारोबार	2,226.55	3,710.92	2,790
सकल लाभ	1,287.49	2,889.89	2,455
कर पूर्व लाभ	1,223.65	2,770.13	2,410

एमएसटीसी लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड (जो पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) की स्थापना 9 सितम्बर 1964 को देश से स्क्रैप का निर्यात करने के लिए एक केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में की गई थी। समय के साथ, यह कम्पनी देश में स्क्रैप का आयात करने वाली एक केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में उभरी। वर्ष 1991-92 में सरकार द्वारा स्क्रैप का आयात डीकेनालाइज्ड किया गया और तब से एमएसटीसी ने इस्पात कारखानों और अन्य उद्योगों से निकले लौह एवं विविध स्क्रैप का विपणन एवं कोयला, कोक, पेट्रोलियम उत्पाद, हॉट रोल्ड कॉयल्स जैसे अर्ध तैयार इस्पात उत्पाद के आयात और प्रमुखत: लौह अयस्क के निर्यात का जिम्मा लिया। कम्पनी ने ई-ऑक्सन पोर्टल भी स्थापित किया है और कोयला, हीरा और इस्पात स्क्रैप का ई-ऑक्सन करता है और इस कम्पनी ने निजी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल विकसित किया है।

पूंजीगत संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये है और 31.12.2006 को प्रदत्त पूंजी 2.20 करोड़ रुपये थी, जिसमें से लगभग 90% भारत के राष्ट्रपति के पास

और शेष 10% स्टील फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आयरन एंड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य के पास है। कम्पनी की 2.20 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी में 1993-94 में 1:1 के अनुपात में जारी किये गये बोनस शेयर भी शामिल हैं।

भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन

कम्पनी का विगत दो वर्षों और वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) का भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

मदें	2004-05	2005-06	2006-07 (दिसम्बर, 06 तक)
क. भौतिक			
(i) विक्रय एजेंसी/घरेलू	1,076	3,230	2,198
(ii) विपणन	4,720	4,541	2,478
(iii) बिजनेस की कुल मात्रा	**5,796**	**7,771**	**4,676**
ख. वित्तीय			
(i) कारोबार	4,960.03	4,172.75	2,170.48
(ii) प्रचालन लाभ (ब्याज, मूल्यह्रास और प्रावधान से पूर्व)	65.26	86.15	47.00
(iii) ब्याज, मूल्यह्रास और प्रावधान	0.49	0.45	1.50
(iv) कर पूर्व लाभ	64.77	85.70	45.50
(v) लाभांश	**349%**	**498%**	–

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

पूर्ण रूप से एमएसटीसी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) की प्रदत्त पूंजी 2 लाख रुपये है।
यह कम्पनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, डोलवी, डुबुरी और रायगढ़ स्थित नौ इस्पात कारखानों में स्लेग एवं रिफ्यूज़ डम्प्स से स्क्रैप प्राप्ति और उसे संसाधित करने का कार्य करती है।
प्राप्त स्क्रैप को इस्पात कारखानों के पास पुन: उपयोग/निपटान के लिये लौटाया जाता है और कम्पनी को स्क्रैप की श्रेणी के लिये प्राप्त गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न दरों से प्रोसेसिंग शुल्क दिया जाता है। लौह और इस्पात उत्पादन के दौरान और रोलिंग मिलों में भी स्क्रैप निकलता है। इसके अलावा, कम्पनी स्लेबों की स्कर्फिंग, बीओएफ स्लैग की हैंडलिंग, इत्यादि जैसी स्टील मिल सेवायें भी प्रदान करती है।

भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन

एफएसएनएल का पिछले दो वर्षों और वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

मदें	2004-05	2005-06	2006-07 (दिसम्बर, 06 तक)
भौतिक			
स्क्रैप की पुन: प्राप्ति (लाख मीट्रिक टन)	21.74	22.46	15.93
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपये में)	956.56	988.24	700.92
वित्तीय (लाख रुपये में)			
कुल कारोबार अर्थात् विविध आय, इत्यादि समेत प्राप्ति सेवा शुल्क	9,818.22	10,679.37	7,655.57
ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ	1,678.79	1,865.14	1,052.84
ब्याज एवं मूल्यह्रास	830.14	1,009.70	847.28
कर पूर्व लाभ	848.65	855.44	205.56

मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) की स्थापना 1962 में की गई थी। यह भारत में मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। स्थापना के समय, इसके 49% शेयर सेंट्रल प्रोविंस मैंगनीज़ ओर कम्पनी लिमिटेड (सीपीएमओ) एवं शेष 51% शेयर समान अनुपात में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के पास थे। बाद में 1977 में सीपीएमओ के मॉयल में धारित शेयर भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किये गये और

मॉयल अक्तूबर 1977 से एक पूर्णत: सरकारी कम्पनी हो गई। भारत सरकार के पास 30.11.2006 को मॉयल के 81.57% शेयर थे और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकारों के पास क्रमश: 9.61% और 8.82% शेयर थे।

मॉयल मैंगनीज़ अयस्क के निम्न श्रेणियों का उत्पादन एवं विक्रय करती है:

- फैरो मैंगनीज़ के उत्पादन के लिये उच्च श्रेणी अयस्क
- सिलिको मैंगनीज़ के उत्पादन के लिये मध्यम श्रेणी अयस्क
- तप्त धातु के उत्पादन के लिये आवश्यक ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी अयस्क
- ड्राई बैटरी सेल और रासायनिक उद्योगों के लिये डायोआक्साइड अयस्क

पूंजीगत संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपये है और 30 नवम्बर 2006 को प्रदत्त पूंजी 28 करोड़ रुपये है।

उत्पादन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन

कम्पनी का 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) का भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

मदें	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर 2006)
1. उत्पादन:			
क) मैंगनीज अयस्क (हजार टन)	943.00	865.00	693.00
ख) इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायआक्साइड (टन)	1,123.00	1,301.00	1,015.00
ग) फैरो मैंगनीज (टन)	10,325.00	6,170.00	7,710.00
2. कारोबार (करोड़ रुपये में)	**378.78**	**334.09**	**281.98**
3. कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	**202.27**	**169.00**	**110.07**

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल), एक 100% निर्यात उन्मुखी यूनिट, आईएसओ: 9001:2000 और आईएसओ 14001 कम्पनी की स्थापना अप्रैल 1976 में ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। इसके एक 7.5 मिलियन टन क्षमता के लौह अयस्क कन्सेंट्रेट प्लांट की स्थापना कुद्रेमुख में की गई थी। इस परियोजना पर पूरा धन ईरान को लगाना था परन्तु ईरान ने 255 मिलियन अमरीकी डालर ऋण देने के बाद बाकी राशि रोक दी। इसलिए इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धन राशि से यथा समय पूरा किया गया।

यद्यपि यह परियोजना समय पर पूरी की गई थी, परन्तु ईरान ने राजनीतिक घटनाक्रम के कारण यहाँ का कोई उत्पादन नहीं लिया। विविधीकरण उपाय के रूप में मई 1981 में सरकार ने मंगलौर में 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के पेलेट प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। इस प्लांट की क्षमता को बदलाव/संसोधन करते हुए बढ़ाकर 3.5 मिलियन टन की गई। इस संयंत्र में 1987 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ और अब यह ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड पेलेट चीन को निर्यात कर रही है और घरेलू इकाइयों यथा इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भी मुहैया कर रही है।

उत्पादन

वर्ष 2005-06 के दौरान 3.1 मिलियन टन लौह अयस्क कंसन्ट्रेट और 3.05 मिलियन टन आयरन ऑक्साइड पेलेट का लक्ष्य रखा गया था। वास्तविक उत्पादन 2.922 मिलियन टन कंसन्ट्रेट और 2.834 मिलियन टन पेलेट का हुआ।

पेलेट प्लांट, मंगलौर का विहंगम दृश्य।

वर्ष 2006-07 के दौरान 3.05 मिलियन टन पेलेट का उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.09.2005 के निर्देश के अनुसरण में कुद्रेमुख की खनन गतिविधियों को 31.12.2005 को बंद कर दिया गया। इसलिए वर्ष 2006-07 के दौरान लौह अयस्क कंसन्ट्रेट का कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ। अप्रैल से नवम्बर 2006 की अवधि के लिए निश्चित 1.88 मिलियन टन पेलेट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 0.275 मिलियन टन हुआ जो लक्ष्य की 15% प्राप्ति है। वर्ष 2006-07 के दौरान नवम्बर 2006 तक पेलेट के उत्पादन में कमी आई। पेलेट के उत्पादन में कमी पेलेट प्लांट में प्रचालनगत समस्याओं के कारण है क्योंकि मैगनेटाइट अयस्क की जगह 100% हैमेटाइट अयस्क का उपयोग किया जा रहा है। अधिक महीन चूर्ण (स्लाइम्स) के अधिक सृजन से फिल्ट्रेशन प्रभावित हुआ। फिल्टर की क्लोगिंग, ओवरफ्लो और कूलिंग पौंड भर जाने के कारण प्रक्रिया जल गन्दा होने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। यद्यपि इन समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयास जारी हैं, पेलेट प्लांट के प्रचालन में स्थायित्व आना और सामान्य उत्पादन शुरू होना अभी बाकी है।

पिछले पाँच वर्षों और 2006-07 (नवम्बर 2006 तक) के दौरान विक्रय राजस्व नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	कंसंट्रेट	पेलेट	कुल
2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक)	–	12,427	12,427
2005-06	12,091	1,11,137	1,23,228
2004-05	16,050	1,69,327	1,85,377
2003-04	20,209	82,729	1,02,938
2002-03	21,135	51,579	72,714
2001-02	21,571	50,598	72,169

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2006-07 (नवम्बर 2006 तक) के दौरान कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी के कार्य निष्पादन को पिछले तीन वर्षों के वास्तविक कार्य निष्पादन के साथ नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक)	2005-06	2004-05	2003-04
कुल बिक्री का मूल्य	12,427	1,23,228	1,85,377	1,02,938
सकल लाभ	2,620	68,706	1,20,863	45,945
कर उपरांत लाभ	1,029	35,630	64,984	30,070
माल भंडार (तैयार माल को छोड़कर)	20,417	15,843	8,720	7,616

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का 1980 में राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप सात कम्पनियाँ इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आईं:

(क) उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड **(ओ.एम.डी.सी.)**

(ख) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड **(बी.एस.एल.सी.)**

(ग) करनपुरा डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड **(के.डी.सी.एल.)**

(घ) स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड **(एस.एस.एल.)**

(ड.) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड **(ई.आई.एल.)**

(च) बुराकर कोल कम्पनी लिमिटेड **(बुराकर)**

(छ) बोरिया कोल कम्पनी लिमिटेड **(बोरिया)**

कम्पनियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

(क) बुराकर और बोरिया कोयला कम्पनियां कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रचालन में नहीं हैं। इन दो कंपनियों की समापन प्रक्रिया चल रही है। सरकारी लिक्विडेटर ने इन दो कम्पनियों की परिसम्पत्तियों एवं दायिताओं को पहले ही ले लिया है।

(ख) ईआईएल एक निवेश कम्पनी है। बर्ड ग्रुप के अंतर्गत प्रचालनरत कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में ईआईएल का एक प्रमुख हिस्सा है।

(ग) ओ.एम.डी.सी., बी.एस.एल.सी., के.डी.सी.एल. एवं एस.एस.एल. इस ग्रुप के अंतर्गत प्रचालन कर रही कम्पनियां हैं।

राष्ट्रीयकरण के समय कम्पनियों की स्थिति

जब बर्ड ग्रुप की कम्पनियां, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आईं, उस समय सभी कम्पनियां वित्तीय रूप से रुग्ण थी और उनके ऊपर विभिन्न समस्याओं का भारी बोझ था। भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलने से ये समस्याएं, जो मुख्यतया अधिक जन शक्ति, कार्यपूंजी के ह्रास तथा बकाया देनदारियां थीं, काफी हद तक निपटायी जा सकीं।

प्रचालनरत कम्पनियों का पृथक-पृथक कार्यनिष्पादन

उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें उड़ीसा में क्योंझर जिले के बारबिल के आसपास स्थित हैं। इसके कार्यकलाप लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क के खनन और विपणन से संबंधित हैं। इसकी प्राधिकृत के साथ-साथ प्रदत्त पूंजी 60 लाख रुपए है।

कार्यनिष्पादन

इस्पात बाजार में उछाल की वजह से, लौह अयस्क की मांग में वृद्धि आई है। अधिक उत्पादन एवं बेहतर प्राप्ति की वजह से कम्पनी की वर्ष 2002-03 में कायापलट हो गयी।

कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर 06)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	3,232	2,416	2,064
बिक्री	28,346	25,271	23,246
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ	23,342	19,287	19,083
शुद्ध लाभ/हानि	14,555	12,993	12,382

बिरसा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर के आसपास स्थित हैं। लाइमस्टोन एवं डोलामाइट का खनन और विपणन कम्पनी के मुख्य कार्यकलाप हैं। कम्पनी की प्राधिकृत के साथ-साथ प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए है।

कार्यनिष्पादन

इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी में बदलाव आने से, बीएसएलसी के उत्पादों की मांग में तेजी से गिरावट आई है और कम्पनी को भारी नुकसान हुआ है। योजना ऋण एवं गैर-योजना ऋण के रूप में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कम्पनी अपने अस्तित्व को बनाये रखने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय करने की स्थिति में आई। उत्पाद मिश्र बदलने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय किए गए। वैगनों में लदान पर होने वाली देरी और डिमरेज को रोकने के लिए एक रेक 58 Box N वैगनों को दो भाग में रखने के लिए संशोधन कार्य किया गया। कम्पनी ने सेल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित कारखानों को लाइमस्टोन और डोलोलाइट सप्लाई करने के लिए सेल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह के उपायों से कंपनी के कार्य निष्पादन में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान थोड़ा सुधार आया है।

कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया जा रहा है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर 06)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	796	956	649
बिक्री	2,254	3,012	2,397
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ	(-) 215	(-) 266	65
शुद्ध लाभ/हानि	(-) 5,495	(-) 6,412	(-) 5,245

करनपुरा डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (केडीसीएल)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें झारखंड के सिरका के आसपास स्थित हैं। यह कम्पनी सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त चूना-पत्थर का उत्पादन करती है। इसकी प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी क्रमश: 40 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए है।

कार्यनिष्पादन

कम्पनी अपने उत्पादों को मुख्य रूप से झारखंड एवं बिहार राज्यों में बेचती है। इन राज्यों में सीमेंट ग्रेड के चूना-पत्थर की मांग में कुछ अधिक उतार-चढ़ाव है। इसके फलस्वरूप कम्पनी का कार्यनिष्पादन प्रभावित होता है। यह कम्पनी प्रेषण बढ़ाने के लिए खानों के विकास एवं नये बाज़ारों की तलाश करते हुए उत्पादन बढ़ाने के प्रयास कर रही है।

कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 06)
लाइमस्टोन का उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	79	77	52
बिक्री	185	197	140
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ	4	4	(-) 1
शुद्ध लाभ/हानि	(-) 135	(-) 163	(-)148

स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड (एसएसएल)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी का कामकाज कोलकाता में है। यह कम्पनी मुख्यत: गहरे ट्यूबवेल लगाने एवं खनिज की खोज कार्य में लगी हुई है। कम्पनी की प्राधिकृत के साथ-साथ प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए है।

कार्यनिष्पादन

मांग के अभाव, पुरानी एवं जीर्ण मशीनों तथा अधिक जन शक्ति जैसी समस्याओं के कारण कम्पनी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 06)
बिक्री	161	155	74
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ	(-) 6	(-) 117	(-) 22
शुद्ध लाभ/हानि	(-) 721	(-) 978	(-) 787

कंपनी अपने मौजूदा व्यवसाय अर्थात् गहरे ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। यह अपने समूह की कंपनियों में कर्मचारियों की पुन:तैनाती के लिए अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों का भी पता लगा रही है ताकि राजस्व बढ़ सके। कंपनी अतिरिक्त जनशक्ति को पुन: तर्क संगत बनाने के लिए भी विचार कर रही है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कम्पनी का स्पंज आयरन संयंत्र यूएनडीपी/यूनिडो की सहायता से 30,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता के साथ प्रारम्भ में एक प्रदर्शन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य लम्प लौह अयस्क और 100% गैर कोकिंग कोयले से स्पंज लोहा तैयार करने के लिए (इन्डक्शन और वैद्युत भट्टियों द्वारा प्रयुक्त फेरस स्क्रैप के आंशिक विकल्प के तौर पर) तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता स्थापित करना था। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) से प्राप्त गैर-कोकिंग कोयला और लौह अयस्क, जो आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध है, पर आधारित इस इकाई का नियमित प्रचालन नवम्बर 1980 में हुआ। रोटरी भट्टी प्रक्रिया पर आधारित स्पंज आयरन संयंत्र में अनेक सुधार और तब्दीली की गयी जो स्थानीय कच्चे माल और प्रचालन परिस्थितियों के उपयुक्त हो। इसके परिणामस्वरूप, इसने न केवल एसआईआईएल के लिए तकनीक के विकास में ही मदद की, बल्कि देश में स्पंज आयरन उद्योग के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया।

कार्यनिष्पादन (दिसम्बर, 2006 तक)

i) 2006-07 के दौरान 31.12.06 तक उत्पादन 40,323 टन हुआ, उत्पादन क्षमता का 90% उपयोग हुआ।

ii) 2006-07 के दौरान 31.12.06 तक स्पंज आयरन की प्रति टन औसत बिक्री से प्राप्ति 8,775 रुपए हुई।

iii) 2006-07 के दौरान 31.12.06 तक बिक्री कारोबार 35.59 करोड़ रुपए रहा।

iv) 31.12.2006 तक प्रचालन लाभ 3.36 करोड़ रुपए हुआ।

वित्त

भारत सरकार के 32.51 करोड़ रु. के बकाया ऋणों (योजना और गैर-योजना) को इक्विटी में बदलने और 36.78 करोड़ के संचित ब्याज (जिसमें 01.04.2000 से 13.23 करोड़ रु. का जुर्माना ब्याज भी शामिल है) बट्टे खाते में डाल दिए जाने को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के फलस्वरूप कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 31.03.2006 को 66.00 करोड़ रुपए; प्रदत्त पूंजी 65.10 करोड़ रुपए थी (64.27 करोड़ रुपए भारत सरकार और शेष 0.83 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार के हैं) और 31.12.06 को यही पूँजी संरचना रही।

उत्पादन

विगत दो वर्षों के दौरान कम्पनी का उत्पादन और वित्तीय कार्यनिष्पादन, 2006-07, 31.12.2006 तक के अनंतिम आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दिया गया है:

	2004-05	2005-06	2006-07 दिसम्बर 06 तक (अनंतिम)
उत्पादन			
- स्पंज लोहा (टन)	57,501	48,302	40,323
- विद्युत उत्पादन (लाख किलोवाट)	89	49	40
- क्षमता उपयोग (%)	96	81	90
विक्रय			
- स्पंज लोहा (टन)	58,174	48,215	40,550
- विक्रय कारोबार (शुद्ध) (लाख रुपये में)	6,197	4,304	3,559
- आंतरिक संसाधनों का सृजन (लाख रुपये में)	1,656	692	426
- शुद्ध लाभ (लाख रुपये में) (कर पूर्व लाभ)	1,424	566	336

मीकॉन लिमिटेड

मीकॉन लिमिटेड लौह और इस्पात, रसायन, रिफाइनरीज़ और पेट्रोरसायन, बिजली, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय रेल, जल प्रबंधन, बंदरगाह, गैस एवं तेल, पाइपलाइन, अलौह धातु, खनन, सामान्य इंजीनियरी, पर्यावरण इंजीनियरी और व्यापक विदेशी अनुभव से युक्त अन्य संबंधित/विविध क्षेत्रों में एक प्रतिष्ठित बहु-क्षेत्रीय डिजाइन, इंजीनियरी, परामर्शदात्री और संविदा संगठन है। मीकॉन में हमारे पास सिविल, स्ट्रक्चरल, वास्तुशिल्प, यांत्रिक, रसायन, सिरेमिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण प्रणाली, इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरण इंजीनियरी, बिजली, कम्प्यूटर, प्रबंधन परामर्श सेवाएं इत्यादि सहित सभी तकनीकी क्षेत्र हैं। हमारी सेवाओं में ग्रीनफील्ड के साथ-साथ ब्राउनफील्ड में संकल्पना से लेकर चालू करने तक परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित संपूर्ण कार्य शामिल हैं।

आईएसओ 9001:2000 से प्रमाणित कम्पनी मीकॉन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ईबीआरडी, एफडीसी और यूनिडो के साथ पंजीकृत है और इसके पास वास्तुशिल्प और नगर योजना, सिविल कार्य, स्ट्रक्चरल कार्य, विद्युत, एयरकंडिशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, नागरिक सेवाएं, सामग्री संचालन और भंडारण, कम्प्यूटरीकरण, इत्यादि गतिविधियों से युक्त विशाल परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी, परामर्शदात्री एवं परियोजना प्रबंधन सेवाओं को मुहैया करने के लिए व्यापक अनुभव एवं बुनियादी संरचना है। मीकॉन ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, इत्यादि की, जानी-मानी फर्मों के साथ सहयोग के लिए समझौते किए हैं। हम उन सहयोगकर्ताओं के साथ कार्य करने के लिए जाने जाते हैं जो प्रक्रिया तकनीकी और प्राथमिक इंजीनियरी प्रदान करते हैं।

पूंजी संरचना

कम्पनी की 400 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी में से प्रदत्त पूंजी 242 लाख रुपये है। कम्पनी की 242 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी में से वर्ष 1996-97 के दौरान 40.30 लाख रुपये के बोनस शेयर जारी किए गए थे।

बिजनेस विविधीकरण

इस्पात को अपने बिजनेस के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में कायम रखते हुए, मीकॉन ने अर्थव्यवस्था के अनेक विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से तेल एवं गैस, बिजली एवं बुनियादी संरचना में प्रवेश किया है। इन क्षेत्रों में से कुछ में कम्पनी ने भारी अनुभव और मान्यता प्राप्त की है और यह कम्पनी अब अपने उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं के दायरे को सुदृढ़ बना रही है। इससे कम्पनी को क्षेत्रवार बाजार उतार-चढ़ाव में सामंजसय बैठाते हुए भविष्य में अधिक अवसर वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

कम्पनी ने इन विविध क्षेत्रों में अनेक प्रमुख कार्य आदेश प्राप्त किए हैं। इनमें निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के 2X250 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर स्टेशन-II विस्तार के लिए लगाने-चलाने आधार पर 3000/1500 टन/घंटे लिग्नाइट हैंडलिंग प्लांट की व्यापक स्थापना, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी के 2X120 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए इंजीनियरी एवं परामर्श, ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के चरण-I और चरण-II विस्तार के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाएं, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के लिए गुजरात में पदमाला से गोधरा तक 60 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाएं, कम्प्रैस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना और शहर गैस वितरण प्रणाली के लिए डिजाइन इंजीनियरी एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाएं, टीटीपीएल के टीआईओ 2 प्लांट के लिए इंजीनियरी, केएमएमएल के लिए मिनरल सेप्रेशन प्लांट्स शामिल हैं। इससे हमें भारत में टिटेनियम ऑक्साइड और मिनरल सेप्रेशन प्लांट्स के क्षेत्र में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने वाले एक जाने-माने परामर्शदाता का दर्जा मिला है।

उड़ीसा के पांच जिलों और एनईएससीएल, नोएडा के झारखंड ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करना; झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए विद्युत मंत्रालय के एपीडीआरपी के तहत परामर्श एवं निगरानी सेवाएं; दिल्ली जल बोर्ड से निरीक्षण एवं कार्यस्थल सेवाएं और एचपीजीसीएल, हरियाणा के हिसार स्थित कोयले पर आधारित 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के अध्ययन के लिए ईआईए/ईएनपी आदि विविध क्षेत्रों में अन्य प्रमुख इंजीनियरी परामर्शदात्री कार्य शामिल हैं।

बिजली सुधार क्षेत्र में कम्पनी अपने बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण; आरएमयू; ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा लेखापरीक्षण, स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम), क्षमता गठन या सुधार पहल, विभिन्न उपभोक्ताओं को ''एक छत'' के नीचे सेवाएं प्रदान की हैं। कम्पनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के द्रुत विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) से काफी अधिक जुड़ा हुआ है। कम्पनी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) परियोजनाओं के तहत झारखंड के 4 जिलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में भी लगी है। यह कम्पनी थर्मल और हाइडल पावर प्लांट्स की मरम्मत और आधुनिकीकरण के साथ-साथ इनकी मियाद के आंकलन से संबंधित अध्ययनों को करने में भी व्यापक रूप से जुड़ी हुई है।

बंदरगाह और सामग्री संचालन के विविध क्षेत्रों में सामग्री प्रबंधन हेतु एक प्रमुख लगाने-चलाने वाली आपूर्ति परियोजना प्राप्त करते हुए इस कम्पनी ने प्रमुख सफलता प्राप्त की है। यह ठेका निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में 2X250 मेगावाट क्षमता के लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट के लिए सामग्री संचालन में अपनी पैठ बनाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर होगा।

वेयरहाउसिंग परियोजनाओं में भी काफी सफलता मिली है। कानपुर स्थित केन्द्रीय आयुध भंडार (सीओडी) का आधुनिकीकरण संपन्न करने के बाद आगरा और जबलपुर स्थित केन्द्रीय आयुध भंडारों के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के पास सौंप दी गई हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) के विभिन्न केन्द्रों पर मॉडल स्टोर प्रदान करने का कार्य भी शुरू हो गया है। मीकॉन ने कारवाड़ स्थित प्रोजेक्ट सीबर्ड के डिपो शिप को सफलतापूर्वक चालू किया है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) की स्थापना जून 1964 में की गई थी। आरंभिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में एक ऐसे संगठन की स्थापना करना था जो आधुनिक एकीकृत इस्पात कारखानों का पूर्ण निर्माण करने में सक्षम हो। एचएससीएल ने बोकारो इस्पात कारखाने, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने और सेलम इस्पात कारखाने की स्थापना से लेकर चालू करने का कार्य किया और भिलाई इस्पात कारखाने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने, इस्को

(बर्नपुर) और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती के विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्य से भी जुड़ा हुआ था। इस्पात कारखानों में निर्माण गतिविधियां कम हो जाने से, इस कम्पनी ने उच्च स्तरीय योजना, समन्वय और आधुनिक परिष्कृत तकनीकों के साथ, बिजली, कोयला, तेल और गैस जैसे अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। इसके अलावा, एचएससीएल ने उच्च स्तरीय योजना, समन्वय और आधुनिक परिष्कृत तकनीकों के साथ प्राथमिक संरचना क्षेत्रों जैसे सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, बांधों, जमीन के अंदर संचार एवं परिवहन प्रणाली व औद्योगिक एवं नगर परिसरों के निर्माण में पदार्पण किया।

इस कम्पनी ने पाइलिंग, मृदा अन्वेषण, व्यापक स्थापना कार्य, गगनचुम्बी ढांचों, संरचनात्मक निर्माण और परीक्षण एवं चालू करने सहित इरेक्शन, रिफ्रेक्टरी, प्रौद्योगिकी ढांचा और पाइपलाइन, इक्यूपमेंट इरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है।

कम्पनी ने एकीकृत इस्पात कारखानों में कोक ओवन्स और ब्लास्ट फर्नेस की हॉट मरम्मत और अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित भारी मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य में भी विशेषज्ञता हासिल की है।

पूंजी संरचना

कम्पनी की आज की तारीख में प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमश: 150 करोड़ रुपये और 117.10 करोड़ रुपये है। आज की तारीख में भारत सरकार का कुल बकाया ऋण 518.20 करोड़ रुपये है (26.50 करोड़ रुपये योजना ऋण और 491.70 करोड़ रुपये गैर-योजना ऋण)। वर्ष 1999 में पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन के बाद, कम्पनी ने सरकार से 222.44 करोड़ रुपये गैर-योजना सहायता के रूप में कर्मचारियों को वेतन तथा पारिश्रमिक और कानूनी बकाया देने के लिए प्राप्त किए।

कार्यनिष्पादन उपलब्धियां

कम्पनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन 2005-06 और 2006-07 के दौरान निम्नवत रहा है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2005-06	2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर 2006)
कारोबार	349.80	213.25
प्रचालन लाभ (ब्याज, मूल्यह्रास और कर पूर्व लाभ)	30.96	10.16
शुद्ध हानि	85.97*	53.42**

बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज को भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है।

* स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर खर्च का 1/5वां भाग 31.11 करोड़ रुपये घाटे में शामिल है।

** स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना खर्च पर 11.89 करोड़ रुपये घाटे में शामिल है।

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

भारत सरकार के उपक्रम भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड का गठन 22 जुलाई 1974 में किया गया था और इस समय इसकी निम्न चार इकाइयाँ हैं:

i) भंडारीडह रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, भंडारीडह

ii) राँची रोड रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, रामगढ़

iii) भिलाई रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, भिलाई और

iv) इफिको रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, रामगढ़

कम्पनी विभिन्न प्रकार के रिफ्रेक्टरीज के निर्माण और आपूर्ति सिर्फ एकीकृत संयंत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि मिनी इस्पात और मिडी इस्पात संयंत्रों के लिए भी कर रही है। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 31 मार्च, 2006 को 24,600 लाख रुपए थी और प्रदत्त पूंजी 22,279.42 लाख रुपए थी।

कार्यनिष्पादन

कंपनी की विभिन्न इकाइयों का वर्ष 2005-06 और 2006-07 का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(मात्रा टन में)

(मूल्य लाख रुपये में)

इकाइयां	2005-06		2006-07 (दिसम्बर 2006 तक)			
	वास्तविक		लक्ष्य		वास्तविक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भंडारीडह रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (बीएचआरपी)	26,857	4,847.59	18,420	1,959.75	20,170	4,294.99
राँची रोड रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (आरआरआरपी)	6,416	2,151.18	7,800	2,132.25	5,236	1,774.12
भिलाई रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (बीआरपी)*	26,225	5,284.46	14,850	2,157.75	20,180	4,079.20
इफिको रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (इफिको आरपी)	22,181	3,786.74	14,850	2,157.75	17,802	2,959.53
कुल	**81,679**	**16,069.97**	**56,733**	**8,764.50**	**63,388**	**13,107.84**

**भिलाई इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किये गये कनवर्जन लागत के अंतर्गत 2,644.92 लाख रुपये मूल्य की 9,480 मीट्रिक टन मैगनेशिया कार्बन ब्रिक्स का उत्पादन शामिल है।*

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2005-06 के दौरान ब्याज और मूल्यह्रास से पूर्व बीआरएल को 1,544.22 लाख रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन ब्याज, मूल्यह्रास, पूर्व अवधि समायोजन, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और सीमांत लाभ कर में क्रमश: 15,476.55 लाख रुपए, 327.27 लाख रुपए, 341.86 लाख रुपये, 21.50 लाख रुपए और 14.26 लाख रुपए के बाद इसे शुद्ध हानि 707.22 लाख रुपए की हुई (अप्रैल-दिसम्बर 2006 - ब्याज 1,161 लाख रुपये, मूल्यह्रास 246.5 लाख रुपये और सीमांत हितलाभ कर 15.30 लाख रुपये)।

अध्याय-IV

निजी क्षेत्र

देश में इस्पात के उत्पादन और इस्पात उद्योग के विकास में वर्तमान रूप से निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं दबंग भूमिका अदा कर रहा है। वर्ष 2006-07 की अप्रैल-दिसम्बर अवधि के दौरान 20.5 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया गया। निजी क्षेत्र की यूनिटों में एक ओर प्रमुख इस्पात निर्माता हैं तो दूसरी ओर स्पंज आयरन प्लांट्स, रिरोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस और इन्डक्शन फर्नेसेस जैसे तुलनात्मक रूप से छोटी और मझौली इकाइयां शामिल हैं। ये न केवल प्राइमरी और सेकेंडरी इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वरन् गुणवत्ता, अभिनवता एवं लागत किफ़ायत की दृष्टि से भी भारी मूल्य संवर्धन में अपना योगदान करते हैं।

टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील का जमशेदपुर, झारखंड में 5 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादन करने की वार्षिक क्षमता का एक एकीकृत इस्पात कारखाना है।

इसका भारत के झारखंड राज्य में जमशेदपुर स्थित इस्पात कारखाना है। यह कारखाना 800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हजारीबाग जिला स्थित पश्चिम बोकारो उप-प्रभाग में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खनन और कोयला बेनिफिकेशन सुविधायें सम्पन्न की जाती हैं। झारखंड के धनबाद जिले में झरिया प्रभाग स्थित 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी औद्योगिक, खनन एवं घरेलू गतिविधियां सम्पन्न की जाती हैं। इसकी लौह अयस्क और डोलोमाइट खानें झारखंड राज्य के नावमंडी और उड़ीसा राज्य के जोडा, कलामती, खोंडबंद और गोमारदीह में स्थित हैं।

सालों साल, अत्यंत प्रतियोगी विश्व अर्थव्यवस्था में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए स्वयं को तेजी से बदलने की योग्यता और पसंदीदा आपूर्तिकर्त्ता बनने की वचनबद्धता की अपनी योग्यता के कारण टाटा स्टील प्रगतिशील एवं कुशल इस्पात संगठन के रूप में उभरा है। निरंतर आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के चलते टाटा स्टील उद्योग स्वयं को आगे रखने में समर्थ हुआ है।

टाटा स्टील ने वर्ष 2006-07 के प्रथम नौ महीने में उत्पादन और विक्रय की दृष्टि से शानदार वृद्धि की है। वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में 4.1 मिलियन टन तप्त धातु का उत्पादन विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 8.2% अधिक है और 3.7 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 7.9% अधिक है। 3.7 मिलियन टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन करते हुए 11% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई।

विवेच्य अवधि के दौरान 3.53 मिलियन टन कुल विक्रेय किया गया, जो विगत वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 11.7% की वृद्धि है। लम्बे उत्पादों के घरेलू विक्रय में 30% वृद्धि हुई।

ब्लास्ट फर्नेस का एक दृश्य।

टाटा स्टील अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता में 1.8 मिलियन टन का विस्तार करने की योजना जारी रखे हुए है जिससे वित्त वर्ष 2007-08 में इसकी स्थापित क्षमता 6.8 मिलियन टन हो जाएगी और उसके बाद वित्त वर्ष 2010 तक यह बढ़कर 10 मिलियन टन हो जाएगी।

उड़ीसा स्थित कलिंगनगर परियोजना के लिए उपकरणों का आदेश प्रस्तुत करने के साथ और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही टाटा स्टील की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थित ग्रीनफील्ड परियोजनाएं समय सारणी के अनुसार प्रगति पर हैं। झारखंड परियोजना के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास (आर एंड आर) नीति की घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में फेरोक्रोम परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

कोरस का अधिग्रहण: हाल ही में टाटा स्टील ने एंग्लो-डच इस्पात निर्माता कोरस का अधिग्रहण किया है। इस तरह से यह विश्व का पांचवां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बन गया है।

एस्सार स्टील लिमिटेड

एस्सार स्टील एक एकीकृत इस्पात निर्माता है जो मूल्यवान उत्पादों को तैयार करता है। एस्सार स्टील अपने हज़ीरा, गुजरात स्थित अधुनातन इस्पात कारखाने में विश्व के कुछ सर्वोत्तम इस्पात उत्पादन तैयार करता है। यह भारत का सपाट उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा अपना आधा उत्पादन विदेशों में, विशेषकर उच्च गुणवत्ता की मांग करने वाली पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकास बाजारों और मध्य-पूर्व के देशों को भेजता है। एस्सार अपने आधुनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करता है।

एस्सार स्टील की मुख्य उत्पादन सुविधाएं इसके हजीरा, गुजरात स्थित कारखाने में हैं। हजीरा कॉम्प्लेक्स में 5.5 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का हॉट ब्रिक्वेटिड आयरन (एचबीआई) संयंत्र, 4.6 मिलियन टन कंटिन्युअस कास्टर स्लैब सुविधा, 3.6 मिलियन टन हॉट रोल्ड कॉयल्स और 1.2 मिलियन टन कोल्ड रोल मिल कॉम्प्लेक्स अन्य सभी सुविधाओं के साथ हैं। इन सुविधाओं के साथ-साथ विशाखापट्टनम में अपना 8 मिलियन टन क्षमता का पेलेट प्लांट और इंडोनेशिया में 0.4 मिलियन टन क्षमता का कोल्ड रोल्ड कॉयल प्लांट है।

विस्तार

एस्सार स्टील ने वर्तमान रूप से अपनी उत्पादन क्षमता 4.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 7.6 मिलियन टन करने के लिए क्षमता विस्तार कार्य शुरू किया है। क्षमता विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 1.5 मिलियन टन क्षमता (प्रत्येक) की 2 कॉरेक्स यूनिट्स शामिल हैं। कंटीन्युअस स्ट्रिप कास्टर मिल, परम्परागत स्लैव कास्टर मिल और 5.2 मीटर वाइट प्लेट मिल से पुन: मूल्य संवर्धन होगा।

उत्पाद

एस्सार के सभी उत्पाद विश्वस्तरीय हैं तथा उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, साथ ही इसका विपणन एवं सेवाएं भी उत्कृष्ट हैं।

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड 3.8 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना है। इसकी उत्पादन प्रणाली में व्यापक रूप से लौह अयस्क बेनिफिकेशन - पेलेटाइजेशन - सिंटरिंग - कोक निर्माण - ब्लास्ट फर्नेस के साथ-साथ कोरेक्स प्रणाली के जरिए लौह उत्पादन - बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस - स्लैब्स की कंटिन्युअस कास्टिंग - हॉट स्ट्रिप रोलिंग शामिल है। इसकी उत्पादन सुविधाओं में 3.0 मिलियन वार्षिक टन क्षमता की लौह अयस्क बेनिफिकेशन इकाई, 5.0 मिलियन टन पेलेट प्लांट, 3.2 मिलियन टन सिंटर प्लांट, 1.2 मिलियन टन कोक ओवन्स, 0.9 + 1.3 मिलियन टन ब्लास्ट फर्नेसें, प्रत्येक 0.8 मिलियन टन क्षमता की 2 कोरेक्स इकाइयां, 3X130 टन कन्वटर्स, 3 स्लैब कास्टर्स और अत्याधुनिक कॉयल बॉक्स टेक्नालॉजी से युक्त 2.5 मिलियन टन हॉट स्ट्रिप मिल शामिल है।

जेएसडब्ल्यू स्टील को आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:1996 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001:1999 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से सम्मानित होने का श्रेय मिला है। विवेच्य वर्ष के दौरान जेएसडब्ल्यू स्टील को अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

(मिलियन टन में)

	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06
पेलेट्स	3.25	3.61	3.80	2.93
तप्त धातु	1.63	1.96	2.40	2.19
स्लैब्स	1.61	1.87	2.25	1.95
हॉट रोल्ड कॉयल्स	1.54	1.78	2.10	1.48

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

चार बिलियन अमरीकी डालर जिंदल संगठन का एक भाग, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) का इस्पात, बिजली उत्पादन, लौह अयस्क खनन, कोयला और हीरा दोहन/खनन में व्यापारिक हित हैं। कम्पनी का वर्तमान कारोबार 3,000 करोड़ रुपये से अधिक है। जेएसपीएल कोयले पर आधारित स्पंज लोहा बनाने वाला विश्व का सबसे बड़ा निर्माता है। इसकी उत्पाद श्रृंखला में इस्पात स्लैब्स, राउंड्स, ब्लूम्स और बीम ब्लैंक्स शामिल हैं। जापान के जेएफई कॉरपोरेशन के तकनीकी सहयोग से जेएसपीएल रेल पटरियों और एच बीम्स व कॉलम्स का उत्पादन कर रहा है। ये एच बीम्स विश्व भर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरों द्वारा काफी अधिक पसंद किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल निवेश वचनबद्धता के साथ जेएसपीएल निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेशक है। कम्पनी उड़ीसा में 13,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 6 मिलियन टन क्षमता का इस्पात कारखाना और झारखंड में 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से 5 मिलियन टन इस्पात कारखाना भी स्थापित करने जा रही है।

जेएसपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ में 4,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से ओ.पी. जिंदल सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कर रही है। जेएसपीएल भारत में पर्यावरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ तरीके से चलाई जा रही एक कम्पनी है और यह अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है।

इस्पात इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आईआईएल)

इस्पात इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आईआईएल) ने महाराष्ट्र के पिछड़ क्षेत्र डोल्वी (रायगढ़ जिले) में 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने में 2.24 मिलियन टन क्षमता का सिंटरिंग प्लांट, 2 मिलियन टन ब्लास्ट फर्नेस और 1.6 मिलियन टन गैस पर आधारित स्पंज लोहा संयंत्र है। इस्पात इंडस्ट्रीज़ ने भारत में पहली बार तरल इस्पात के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तप्त धातु और स्पंज लोहे का अत्यंत विशिष्टता के साथ उपयोग किया है। इस कम्पनी ने कॉम्पेक्ट स्ट्रिप उत्पादन प्रणाली नामक अत्याधुनिक टेक्नालॉजी को भी अपनाया है जिसे भारत में पहली बार स्थापित किया गया है और यह कम्पनी अत्यंत पतले गेज में उच्च क्वालिटी की हॉट स्ट्रिप कॉयल का उत्पादन करती है। इस कम्पनी के उत्पादों को देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वीकृति मिली है।

इस्पात इंडस्ट्रीज़ का पिछले तीन वर्षों का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

उत्पाद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (दिसम्बर 06 तक)
तप्त धातु	1.29	1.40	1.42	1.14
स्पंज लोहा	1.06	1.05	0.89	0.85
हॉट रोल्ड कॉयल्स	1.62	1.97	2.15	1.97

लिक्विड कोर रिडक्शन सुविधाओं के साथ दो थिन स्लेब कास्टर्स उपलब्ध हैं। प्रत्येक की डिजाइन की गई क्षमता 55 और 60 मि.मी. स्लेब्स कास्ट करने की है। इस्पात इंडस्ट्रीज़ के कास्टरों ने वार्षिक उत्पादन में विश्वस्तरीय प्रतिमान स्थापित किया है, जिसकी पुष्टि एसएमएस डेमाग, टेक्नालॉजी के आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई है।

स्पंज लौह उद्योग

भारत विश्व में सबसे बड़ा स्पंज लोहे का उत्पादक है। क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से विशेष रूप से पिछले 5-6 वर्षों में स्पंज लोहे का भारी विकास हुआ है। स्पंज लोहे की 1990-91 में 1.52 मिलियन टन की स्थापित क्षमता बढ़कर 2004-05 में 12.37 मिलियन टन हो गई है। वर्ष 1990-91 में 0.9 मिलियन टन उत्पादन बढ़कर 2004-05 में 10.30 मिलियन टन हो गया है। वर्तमान रूप से देश में 18.95 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की 222 स्पंज लोहा इकाइयां स्थापित हो गई हैं। इनमें से 12.85 मिलियन टन वार्षिाक क्षमता की 219 कोयला आधारित इकाइयां प्रचालन कर रही हैं। तीन गैस आधारित इकाइयों की वार्षिक क्षमता 6.11 मिलियन टन है।

अपने उत्पादन की रिपोर्ट देने वाली स्पंज लोहा इकाइयों का पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

विवरण	2002 - 03	2003 - 04	2004- 05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
कुल सूचित	6.91	8.09	10.30	12.65	11.50
कुल अनुमानित	–	–	–	–	–
सकल योग	**6.91**	**8.09**	**10.30**	**12.65**	**11.50**

कच्चा लोहा उद्योग

इंजीनियरी क्षेत्र में विभिन्न किस्म की कास्टिंग्स का उत्पादन करने के लिए फाउंड्री एवं कास्टिंग उद्योग को कच्चे लोहे की कच्चे माल के तौर पर मूल रूप से जरूरत पड़ती है। मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने मिनी ब्लास्ट फर्नेस को एकीकृत किया है और ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के जरिए इस्पात का उत्पादन करने के लिए सीधे ही चार्ज मिक्स में तप्त धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैसर्स कल्याणी और मुकुंद के संयुक्त उद्यम, मैसर्स हॉस्पेट स्टील एवं मैसर्स सदर्न आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने इस्पात उत्पादन के लिए अपनी मिनी ब्लास्ट फर्नेसों को ऊर्जा किफायती फर्नेस के साथ एकीकृत किया है। इनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तप्त धातु का इस्तेमाल कच्चे लोहे के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में चालू की गई मिनी ब्लास्ट फर्नेस, कॉरेक्स प्लांट (परम्परागत एमबीएफ/बीएफ का विकल्प) वेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) के जरिए इस्पात उत्पादन भी कच्चे लोहे के उत्पादन में मदद पहुँचाता है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

(मिलियन टन में)

यूनिट की किस्म	2003- 04	2004- 05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
निजी/सेकेंडरी उत्पादक	2.798 (74%)	2.603 (81%)	3.688 (79%)	2.650 (79%)
कुल	**2.798**	**2.603**	**3.688**	**2.650**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आकड़े सम्बधित क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान दर्शाता है।

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग

वर्तमान रूप से देश में 8.73 मिलियन टन वार्षिक कुल क्षमता के 38 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित इस्पात कारखानें कार्य कर रहे हैं। कार्यरत इन इकाइयों के आलावा लगभग 13 अन्य इकाइयों को बन्द कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिन्होंने संयुक्त संयंत्र समिति को अपने उत्पादन की सूचना दी है, द्वारा इन्गाट्स/कन्कास्ट विलेट्स का उत्पादन वर्ष 2005-06 के दौरान 8.43 मिलियन टन हुआ जबकि 2004-05 के दौरान 7.84 मिलियन टन उत्पादन हुआ था-21% की वृद्धि दर्ज हुई। यह क्षेत्र लगातार बढ़ती हुई कच्चे माल की लागत, बढ़ती हुई बिजली की किमतों, बिजली की कमी और संसाधनों की कमी की दिक्कतों का सामना करता रहा है।

इन्डक्शन फर्नेस उद्योग

जैसा कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमान है कि 13.22 मिलियन टन क्षमता की 786 इकाइयाँ प्रचालन कर रही थी। इन्डक्शन फर्नेस इकाइयों द्वारा वर्ष 2004-05 में उत्पादित 8.24 मिलियन टन की तुलना में 2005-06 के दौरान 8.69 मिलियन टन कुल उत्पादन किया गया, जो 5% की वृद्धि है।

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) आधारित इस्पात संयंत्रों का कार्यनिष्पादन

स्थिति (संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 2004 में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाइयों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अद्यतन)

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशन्ड यूनिट	51	9.06
बंद यूनिट	13	0.33
कार्यशील यूनिट	**38**	**8.73**

उत्पादन

ज्वाइंट प्लांट कमेटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उत्पादन निम्नलिखित है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
माइल्ड स्टील	3.47	4.37	4.31	3.23
मीडियम/हाई कार्बन स्टील	0.91	1.35	1.50	1.12
अलॉय स्टील	0.62	0.95	1.53	1.15
स्टेनलेस स्टील	0.67	0.84	0.92	0.69
अन्य	0.34	0.05	0.04	0.03
कुल सूचित	6.01	7.56	8.30	6.22
कुल अनुमानित	0.17	0.28	0.13	0.10
कुल योग	**6.18**	**7.84**	**8.43**	**6.32**

रि-रोलिंग मिल्स

वर्तमान रूप से देश में 19.62 मिलियन टन कुल क्षमता की लगभग 1,600 रि-रोलिंग मिल्स की यूनिटें हैं। देश में लम्बे उत्पादों की कुल उत्पादन क्षमता का मात्रा की दृष्टि से 63% अंश रि-रोलिंग मिल्स का है। मुख्यतया छोटे और मझौले क्षेत्र के उद्यमों की ये यूनिटें देश में बार एवं रॉड्स की कुल मांग का 77% पूरा कर रही हैं। रि-रोलिंग मिलों में कम पूँजी लागत व तुलनात्मक रूप से कम प्रचालन लागत के साथ कम जेस्टेशन अवधि का लाभ मिलता है। इसकी अंतर्निहित कम उत्पादन लागत के चलते ये प्रतियोगी दाम पर उत्पादों को मुहैया करते हैं और गृह निर्माण क्षेत्र में आम आदमी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशन्ड यूनिट	2,181	25.72
बंद यूनिट	670	6.09
कार्यशील यूनिट	**1,511**	**19.62**

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हॉट रोल्ड लम्बे उत्पादों का उत्पादन करने वाली इकाइयों का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
बार्स/रॉड्स (स्क्वेयर्स सहित)	1.27	3.98	4.97	3.73
वायर रॉड्स	0.57	0.88	0.84	0.63
स्ट्रक्चरल	2.36	1.21	1.62	1.21
हूप्स	0.01	0.03	0.03	0.03
स्पेशल सेक्शन	0.12	0.17	0.22	0.17
पत्रा/अन्य	0.09	0.59	1.32	0.99
कुल सूचित	4.42	6.86	9.00	6.76
कुल अनुमानित	6.47	4.68	4.04	3.03
कुल योग	**10.89**	**11.54**	**13.04**	**9.79**

स्टील वायर ड्राइंग इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशन्ड यूनिट	103	1.44
बंद यूनिट	70	0.82
कार्यशील यूनिट	**33**	**0.62**

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्टील वायर ड्राइंग इकाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
माइल्ड स्टील	0.15	0.16	0.08	0.06
मीडियम/हाई कार्बन स्टील	0.17	0.17	0.20	0.15
अलॉय स्टील	0.01	0.01	0.04	0.03
स्टेनलेस स्टील	0.01	0.01		
अन्य	0.04	0.04	0.17	0.12
कुल सूचित	0.38	0.39	0.49	0.36
कुल अनुमानित	0.01	0.03	0.01	0.01
सकल योग	**0.39**	**0.42**	**0.50**	**0.37**

हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट्स इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशंड यूनिट	14	8.71
बंद यूनिटस	5	0.26
कार्यशील यूनिट	**9**	**8.45**

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स	5.89	6.95	7.45	5.59
प्लेट्स	0.25	0.33	0.65	0.49
कुल सूचित	**6.14**	**7.28**	**8.10**	**6.08**

कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशंड यूनिट	91	6.89
कंद यूनिट	36	0.81
कार्यशील यूनिट	**55**	**6.08**

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
माइल्ड स्टील	3.08	4.18	4.87	3.66
मीडियम कार्बन स्टील	0.07	0.10		
हाई कार्बन स्टील	–	–		
अलॉय स्टील	0.01	0.01		
स्टेनलेस स्टील	0.19	0.16	0.17	0.13
अन्य	0.54	0.07	0.09	0.06
कुल सूचित	3.89	4.52	5.13	3.85
कुल अनुमानित	0.12	0.03	0.03	0.03
सकल योग	**4.01**	**4.55**	**5.16**	**3.88**

जीपी/जीसी, पीवीसी/विनायल कोटेड शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशंड यूनिट	18	3.93
बंद यूनिट	–	–
कार्यशील यूनिट	**18**	**3.93**

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जीपी/जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2005-06	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
जीपी/जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स (कलर कोटेड सहित)	2.56	2.87	3.22	2.42
कुल सूचित	**2.56**	**2.87**	**3.22**	**2.42**

टिन प्लेट इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशंड यूनिट	1	0.18
बंद यूनिट	–	–
कार्यशील यूनिट	**1**	**0.18**

उत्पादन

टिन प्लेट इकाइयों का पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2003-04	2004-05	2004-05	अप्रैल-दिसम्बर 06 (अनंतिम)
ऑयल कैन साइज	0.12	0.14	0.15	0.11
नॉन-ऑयल कैन साइज	–	–	–	–
कुल सूचित	**0.12**	**0.14**	**0.15**	**0.11**

अध्याय-V

अनुसंधान एवं विकास

भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्य वर्षों से कुछ इस्पात कम्पनियों जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड में ही सीमित रहा है। परंतु धीरे-धीरे अन्य कारखानों में भी इस क्षेत्र में गति पकड़ रही है, फिर भी समग्र दृष्टि से इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास काफी कम रहा है। इसलिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से मिले ब्याज से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और निवेश में मदद पहुंचायी जा रही है। इस्पात मंत्रालय द्वारा इस आशय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने 322.83 करोड़ रुपये की लागत पर 50 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें एसडीएफ योगदान 177.21 करोड़ रुपये है। अब तक 88.34 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है और अनेक परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं एवं कार्यान्वित परिणामों से उद्योग को लाभ मिल रहा है।

व्यक्तिगत लौह एवं इस्पात कारखानों द्वारा अनुसंधान एवं विकास

(करोड़ रुपये में)

कम्पनियों का नाम	2004-05			2005-06			2006-07 (सितम्बर 06 तक)		
	कारोबार	अनु. एवं वि. निवेश	कारोबार का %	कारोबार	अनु. एवं वि. निवेश	कारोबार का %	कारोबार	अनु. एवं वि. निवेश	कारोबार का %
(क) सार्वजनिक क्षेत्र									
1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	31,800	60.55	0.19	32,280	62.38	0.19	17,998	34.01	0.19
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	8,181	6.25	0.08	8,482	10.46	0.12	3,881	6.05	0.16
3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	2,230	6.07	0.27	3,710	06.17	0.17	2,466	3.79	0.15$
4. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	1,854	00.20	0.01	1,232	00.35	0.028	106	0.77	0.73$
5. मैंगनीज (ओर) इंडिया लि.	379	01.71	0.45	334	01.28	0.38	251	01.2	0.47$
6. स्पंज आयरन इंडिया लि.	62	00.09	0.15	43.04	00.93	0.22	37	0.85	0.24*
7. भारत रिफ्रेक्टरीज़ लि.	137	00.19	0.13	164.2	0.23	0.14	200	0.30	0.15
8. मीकॉन लि.	174	00.24	0.14	253.8	0.55	0.22	180	0.21	0.12&
उप योग (क)	**44,817**	**75.30**	**0.168**	**46,499**	**82.35**	**0.177**	**25,119**	**47.18**	**0.188**
(ख) निजी क्षेत्र									
1. टाटा स्टील लि.	16,033	33.72	0.21	20,399	24.97	0.12	11,772	16.92	0.14
2. एस्सार स्टील लि.	6,533	6.6	0.10	6,850	7.90	0.12	3,802	12.0	0.32
3. इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	6,459	3.41	0.53	5,568	0.88	0.016	4,646	0.66	0.014
4. जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	5,679	3.55	0.063	5,613	6.02	0.11	3,306	0.61	0.20
5. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2,467	0.91	0.037	2,590	1.62	0.063	1,456	0.25	0.217
6. जिंदल स्टेनलेस लि.	3,200	2.68	0.084	3,203	0.466	0.015	2,000	1.0	0.05
7. मुकुंद लि.	1,429	0.27	0.02	1,802	0.53	0.03	1,008	0.30	0.03
8. मुस्को लि.	528	0.37	0.07	588	1.23	0.21	315	0.72	0.23&
उप योग (ख)	**42,328**	**51.51**	**0.12**	**46,613**	**43.616**	**0.09**	**28,305**	**32.46**	**0.11**
कुल योग (क+ख)	**87,145**	**126.81**	**0.15**	**93,112**	**125.96**	**0.14**	**53,424**	**79.64**	**0.15**

$: नवम्बर तक *&: अक्तूबर तक* **: दिसम्बर तक*

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने लागत में कटौती, उत्पाद विकास और उपयोग, गुणवत्ता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण और स्वचालन पर विशेष बल देते हुए, सेल के विभिन्न इकाइयों को अभिनव प्रौद्योगिकी मदद प्रदान की है। भिलाई, बोकारो और राउरकेला इस्पात कारखानों में डीएमआर 249 ग्रेड ए, राउरकेला इस्पात कारखाने में सीडीए 99 इस्पेसिफिकेशन के अनुरूप स्पेड एम-1 स्टील, भिलाई इस्पात कारखाने में माइक्रो-एलॉइंग युक्त एफ ई 415 ग्रेड थर्मो मेकेनकली ट्रीटेड बार्स (टीएमटी) रिबार, दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उच्च शक्ति जंग रोधक रूफ बोल्ट ग्रेड बार्स, दुर्गापुर इस्पात कारखाने में भूकम्प रोधी टीएमटी रिबार्स, (एफई-415) भिलाई इस्पात कारखानें में क्यू-मो पर्लिटिक रेल, भिलाई इस्पात कारखाने में उच्च शक्ति माइक्रो एलॉयड रेल्स, इत्यादि जैसे अनेक नए उत्पादों का वाणिज्यिक आधार पर विकास किया गया। अनुसंधान एवं विकास ने परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर, मैसर्स पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, गुडगांव; मैर्सस रेफकॉम (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड, पुरूलिया (पश्चिम बंगाल); मैसर्स सर्वेश रिफ्रेक्टरीज, राउरकेला; मैसर्स बामर लौरी लिमिटेड, कोलकाता और मैसर्स मोनार्क इलेक्ट्रोनिक्स, कोलकाता, इत्यादि जैसे बाह्य उपभोक्ताओं के लिए अभिनव टेक्नोलॉजी का विशिष्ट परीक्षण आयोजित और हस्तांतरण करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी विपणन प्रयासों को सुदृढ़ किया है।

वर्ष के दौरान 31 पैटेन्टस और 29 कॉपी राइट्स दाखिल करने के अलावा, 1998 तकनीकी दस्तावेजों को प्रकाशित/प्रस्तुत किया गया। अनुसंधान एवं विकास के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय स्तर के नौ पुरस्कार अर्जित किए। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास ने विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए ''नयी सामग्रियों में अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित डीएसआईआर राष्ट्रीय पुरस्कार 2005'' प्राप्त किया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

विशाखापटट्नम इस्पात कारखाने में 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान की गई विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

■ नये उत्पादों का विकास

- 8500 (वाइजाग-टीएलटी नामक) और 20सी15 दो नई श्रेणियों का उत्पादन किया गया। एक अन्य श्रेणी एसयूपी-10 का विकास किया जाएगा।
- चैनल 200 का सफलतापूर्वक विकास किया गया।

■ प्रक्रिया सुधार/विकास

- सिंटरिंग प्रकिया पर इनऑर्गेनिक बाइन्डर के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक परियोजना सम्पन की गई।
- सिन्टर प्रोपर्टी पर हाई रैंक, लो वोलाटाइल मैटर एन्थ्रासाइट के प्रभाव और सिंटरिंग प्रकिया पर अध्ययन के लिए एक परियोजना सम्पन्न की गई।
- मूवेबल वॉल युक्त 250 कि.ग्राम क्षमता के पाइलट कोक ओवन का आंतरिक रूप से डिजाइन एवं निर्माण कर सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- एलडी कन्वर्टर स्टेक कूलिंग सर्किट की दक्षता में सुधार के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है।
- वायर रॉड मिल की पास लाइफ सुधारने के लिए परम्परागत कास्ट आयरन रोल्स के स्थान पर रोल्स के लिए वैकल्पिक साम्रगी का प्रयोग के तौर पर परीक्षण चल रहा है।
- बैंजॉल रिकवरी यूनिट की दक्षता में सुधार के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है।

■ ऊर्जा संरक्षण

- रोलिंग मिल्स में रि-हीटिंग फर्नेस की थर्मल दक्षता सुधारने के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है।

■ पर्यावरण प्रबंधन

- कारखाने से निकलने वाले कचरा जल में एमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कम करते हुए 50 पीपीएम से नीचे करने के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है।

■ अपशिष्ट प्रबंधन

- ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए प्लांट प्रोसेस कचरे से ब्रिक्वेट्स का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है। कुछ ब्रिक्वेट्स पहले ही बना ली गई हैं और प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया जा रहा है।
- फुटपाथों के निर्माण के लिए कंक्रीट में बिजली संयंत्र की फ्लाई एश मिश्रित करने के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है।
- कन्वर्टर स्लज से बनाए गए ब्रिक्वेट्स का कूलेंट के रूप में इस्पात उत्पादन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।

अनु. एवं विकास खर्च

वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान आरआईएनएल ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 7.32 करोड़ रुपये खर्च किये, जो इसके कुल कारोबार 6,135 करोड़ रुपये का 0.12% था।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसम्बर तक) एनएमडीसी द्वारा लिए गए प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं:

- कार्बनमुक्त स्पंज लौह चूर्ण का उत्पादन करने के लिए 300 टन वार्षिक क्षमता के पायलेट प्लांट का निर्माण कार्य पहले ही मिल चुका है और अप्रैल 2008 तक यह कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
- अनु. एवं विकास के नए उत्पाद विकास शाखा ने फेराइट पाउडर की चार नई श्रेणियों का विकास किया है। चार अतिरिक्त उपकरण के आ जाने के साथ पायलेट प्लांट 200 टन प्रति वर्ष तक बढ़ने की संभावना है।
- मैसर्स नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटीरियल्स लैब, बल्लभगढ़ के सहयोग से सीमेंट उद्योग का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए किम्बरलाइट टेलिंग्स का उपयोग करने की दिशा में अध्ययन किया गया है।
- किम्बरलाइट टेलिंग से प्रीसिपिटेटिड सिलिका, सोडियम सिलिकेट और जियोलाइट-ए जैसे मूल्य संवर्द्धित सिलिका आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए पायलेट प्लांट स्थापित करने हेतु सेंट्रल साल्ट मेरीन केमिकल्स रिसर्च केमिकल्स इंस्टीट्यूट और कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- बीच सैंड से मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए देशज टेक्नालॉजी का विकास। टिटेनिया स्लेग और कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए 1.5 टन मासिक क्षमता के पायलेट प्लांट की स्थापना का एक प्रस्ताव है।
- एनएमडीसी की अन्वेषण/विकास/उत्पादन परियोजनाओं से संबंधित कार्यों के अलावा, अन्य कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं को भी नियमित रूप से लिया जा रहा है।

पेटेन्ट्स

- किम्बरलाइट टेलिंग से अमोरफस सिलिका बनाने की प्रक्रिया - अमरीका पेटेंट प्राप्त
- किम्बरलाइट टेलिंग से डिटरजेंट बिल्डर जियोलाइट-ए तैयार करने की प्रक्रिया - प्रकाशन सं. यूएस 2006/01 40853ए/दिनांक 29 जून 2006
- सोडियम सिलिकेट तैयार करने के लिए सिलिका के स्रोत के रूप में किम्बरलाइट सोलिड वेस्ट का उपयोग करने की प्रक्रिया - दायर

अनु. एवं विकास खर्च

एनएमडीसी ने वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 455.30 लाख रुपये खर्च किये, जो कुल कारोबार 2,790 करोड़ रुपये का 0.16% था।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

केआईओसीएल की अनु. एवं विकास गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य हेमेटाइट अयस्क से पेलेट प्लांट चलाने की जरूरतों के अनुरूप प्रक्रिया विकास/संशोधनों के जरिए गुणवत्ता सुधार करना है।

उपलब्धियां

अनु. एवं विकास (अयस्क की तैयारी एवं प्रविधियां)

i) अपेक्षित कन्संट्रेट को लगभग 1600 ब्लेन तक प्राप्त करने के लिए 10 मि.मी. अयस्क चूर्ण को 1600 ब्लेन में मिलाने के लिए ग्राइंडिंग सुविधा का सृजन किया गया है।

ii) हेमेटाइट अयस्क को पेलेट निर्माण में उपयोग करने और ग्राइंडिंग सुविधाओं की प्रक्रिया और टेक्नालॉजी संशोधन के लिए संभाव्यता अध्ययन किए गए। तीन बॉल मिल्स चालू की गईं और ये हेमेटाइट अयस्क को मिलाने के लिए कार्य कर रही हैं। फ्लो शीट के स्थायित्व और संशोधन/परिवर्तन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

मंगलौर में साइज सेपरेशन के लिए ग्राइंडिंग सर्किट के भाग के रूप में डेरेक्स स्क्रीन को कार्यान्वित कर प्रचालन में लगाया गया। पेलेट बनाने में हेमेटाइट अयस्क का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया व तकनीकी संशोधन और ग्राइंडिंग सुविधा हेतु मैसर्स मेटकैम कनाडा इनकॉरपोरेट से मदद ली जा रही है।

बेलारी होस्पेट क्षेत्र के लौह अयस्क चूर्ण का परीक्षण मैसर्स कोरेम, कनाडा द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न एजेंसियों से लिए गए हेमेटाइट अयस्क की प्राप्ति, माल उतारने, संचालन, ब्लेंडिंग, भंडारण एवं ग्राइंडिंग के लिए मंगलौर स्थित बुनियादी सुविधाओं का विकास निम्न प्रकार से किया गया:

क) रेलवे वैगनों में आ रहे लौह अयस्क को प्राप्त करने के लिए किस्को के पास रेलवे साइडिंग का निर्माण।

ख) रेलवे साइडिंग से पेलेट प्लांट तक लौह अयस्क चूर्ण को उतारने, भंडारण और ले जाने के लिए प्रयाप्त सामग्री हैंडलिंग सुविधा का निर्माण।

ग) स्थाई ग्राइंडिंग प्रणाली का निर्माण एवं पेलेट प्लांट में संशोधन जिसमें कुद्रेमुख से तीन बॉल मिल्स को मंगलौर हस्तांतरित करना शामिल है।

निदेशक मंडल ने कच्चे लोहे को आंशिक रूप से बदलने के लिए मंगलौर में डक्टाइल आयरन स्पन पाइप प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी है।

अनु. एवं विकास और संभाव्यता अध्ययन खर्च

वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान, केआईओसीएल ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 1.29 करोड़ रुपये खर्च किये, जो कुल कारोबार 124.27 करोड़ रुपये का 1.038% था।

परियोजना स्थिति (अनु. एवं विकास)

क)	1.4.2006 को हाथ में कुल परियोजनाएं	:	4
ख)	2006-07 में नियोजित परियोजनाओं की संख्या	:	2
ग)	2005-06 में पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	:	1

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल मैंगनीज अयस्क के अन्वेषण, दोहन, प्रसंस्करण एवं विपणन में लगी है। यह भूमिगत एवं खुली दोनों किस्म की खानों का प्रचालन करती है। कुल मैंगनीज अयस्क के उत्पादन का प्रमुख अंश भूमिगत खानों से आता है। मैंगनीज अयस्क का भंडार अधिकांश रूप से विभिन्न भू परिस्थितियों में कच्ची चट्टानों में पाये जाते हैं। कम्पनी अत्याधुनिक बेनिफिकेशन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पुराने डंप्स से मैंगनीज अयस्क की फिर से प्राप्ति के लिए भी कार्य कर रही है। यह खानों से उत्पादित मैंगनीज अयस्क का प्रसंस्करण करते हुए इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायोक्साइड (ईएमडी) और फैरो मैंगनीज का भी उत्पादन कर रही है।

अनु. एवं विकास खर्च

वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) के दौरान, मॉयल ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 1.35 करोड़ रुपये खर्च किये, जो कुल कारोबार 281.98 करोड़ रुपये का 0.47% था।

अध्याय-VI

पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण

किसी क्षेत्र या कम्पनी का अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों दृष्टि से आंकलन करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रतिमान के रूप में होता है। इस्पात मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

पर्यावरण प्रबंधन

सेल की निगमित पर्यावरण नीति इस बात पर बल देती है कि ''हमें अपना प्रचालन पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी रहते हुए लागू नियमों का पालन और उससे भी बढ़कर करना है''। सेल अपनी ऊर्जा दक्षता में निरंतर सुधार करने एवं कच्चे माल, कोक, लौह और इस्पात उत्पादन, सृजित उप उत्पादों का पुन: उपयोग/पुन: चलन और ऊर्जा व जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों की प्रक्रिया टेक्नालॉजी में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के जरिए संसाधन खपत को अनुकूलतम करने की जिम्मेदारी को समझता है।

सेल ने लिया है प्रण : स्वच्छ एवं हरा-भरा हो पर्यावरण।

- सेल ने कानून द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने और जहां उचित हो, पर्यावरण संरक्षण हेतु निगमित दायित्व के चार्टर में यथा उल्लिखित स्वैच्छिक वचनबद्धताओं के जरिये, महज अनुपालन से आगे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किये हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैयार भागीदारी की यह एक संकल्पना है, जो सभी एकीकृत इस्पात कारखानों पर लागू है।
- सेल कारखानों ने पर्यावरण कार्यनिष्पादन के क्षेत्र में पुन: सुधार के लिए लगातार पर्यास किये हैं, जो निम्नलिखित सूचकों द्वारा प्रमाणित होते हैं:

सूचक	2004-05	2005-06	2006-07
विशिष्ट कच्चा माल खपत (टन/प्रति टन कच्चा इस्पात)	3.06	3.20	–
विशिष्ट ऊर्जा खपत (गीगा कैलरीज/प्रति टन कच्चा इस्पात)	7.35	7.24	7.54
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन (कि.ग्रा./प्रति टन कच्चा इस्पात)	2.70	2.50	–
विशिष्ट जल खपत (घन मीटर/प्रति टन कच्चा इस्पात)	5.64	5.26	4.86
विशिष्ट एफ्ल्युएंट डिस्चार्ज (घन मीटर/प्रति टन कच्चा इस्पात)	3.45	2.98	6.84

- सभी सेल कारखाने एफ्ल्युएंट डिस्चार्ज और प्राणवायु की गुणवत्ता के संबंध में पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर रहे हैं। इस्पात कारखानों की प्रमुख स्टेक से पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन के संबंध में, 90% सांविधिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं। जिन स्टेक्स में अनुपालन नहीं हुआ है, संबंधित कारखानों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
- सेल के अधीन सभी कारखानों और खानों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आईएसओ 14001 को विभिन्न चरणों में अंगीकार किया जा रहा है। भिलाई इस्पात कारखाने और उसकी इस्पात नगरी और दुर्गापुर इस्पात कारखाने की मिल्स, बोकारो इस्पात कारखाने की उत्पादन इकाइयां, राउरकेला इस्पात कारखाने की चार इकाइयों और इस्को इस्पात कारखाने के रोलिंग मिल कॉम्प्लेक्स को आईएसओ 14001 से प्रमाणित किया गया है। पहले से ही प्रमाणित कारखानों और इकाइयों को आईएसओ 14001:2000 संस्करण के लिए पुन: प्रमाणित किया गया है।
- सेल और सीईएमईडीई, दिल्ली विश्वविद्यालय, बायो टेक्नालॉजी विभाग के बीच खनन क्षेत्रों और खानों व कारखानों में डिग्रेड हुई जमीन में पर्यावरण पुन: बहाली के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्णापानी लाइमस्टोन और डोलोमाइट खदान में साइट जॉब शुरू किया गया है, जहां पर खनन क्षेत्रों और वेस्ट डंप्स में स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए।
- पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, पर्यावरण माह, खान और खनिज संरक्षण सप्ताह जैसे

विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण, पर्यावरण से जुड़े विषयों पर इको क्विज़, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों से सेल परिवार में जागरूकता लाने के लिए इन अवसरों पर कर्मचारियों, छात्रों और आम जनता को शामिल किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

वर्ष 2005-06 के दौरान सेल ने लगभग 13.4 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया और 5.6 मिलियन टन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, 1.3 मिलियन टन एसएमएस स्लैग और 0.6 मिलियन टन अन्य प्रक्रिया अपशिष्ट पदार्थों का सृजन किया। इन अपशिष्ट पदार्थों का आंतरिक पुन: प्रचलन और बाह्य एजेंसियों को विक्रय के जरिए उपयोग किया जा रहा है। इस्पात कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ का प्रमुख रूप से अपने सिंटर प्लांटों के जरिए उपयोग किया जा रहा है। सेल कारखानों ने अप्रैल-सितम्बर 2006 के दौरान निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों का 70% उपयोग किया है।

ऊर्जा संरक्षण

अप्रैल-सितम्बर 2006 के दौरान सेल में विशिष्ट ऊर्जा खपत 7.28 गीगा कैलरी/टन कच्चा इस्पात थी, जबकि 2005-06 में यह 7.36 गीगा कैलरी/टन कच्चा इस्पात थी।

संयंत्र	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-सितम्बर)
बीएसपी	6.84	6.79	6.88
डीएसपी	7.29	7.38	7.31
आरएसपी	8.69	8.47	8.09
बीएसएल	7.23	7.10	7.24
आईएसपी		8.46	8.30
सेल	**7.35**	**7.24**	**7.28**

सेल की इस्पात नगरी में एक झील का दृश्य।

पर्यावरणीय वृक्षारोपण

पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी कारखानों और खानों में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वृक्षों की प्रजातियों का चयन प्रमुख रूप से स्थानीय मिट्टी की विशेषताओं और विद्यमान मौसम परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों के जरिए विकसित हरित पट्टी पर्यावरण को सौंदर्यपूर्ण बनाती है, जो धूल और ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम भी करती है।

वर्ष 2005-06 के दौरान सेल के इस्पात कारखानों और आस-पास **63.7** हेक्टेयर क्षेत्र में कुल **1,45,521** पौधे लगाए गए जबकि 2004-05 में **36.6** हेक्टेयर क्षेत्र में **77,242** पौधे लगाए गए थे।

पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मान

सेल के कारखानों को पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे ''अनवरत विकास के पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बेमिसाल कार्यनिष्पादन के लिए सीआईआई द्वारा स्थापित स्वतंत्र इकाई संवर्ग 2006 का सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार'', और ग्रीनटैक पर्यावरण उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार, विश्व पर्यावरण फाउंडेशन से धातु क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2005 और इंटरनेशनल ग्रीनलैंड सोसायटी से जवाहरलाल नेहरू स्मारक प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2005 से नवाजा गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल, वीएसपी में पर्यावरण प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। स्वच्छ एवं हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं एवं गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

स्वच्छ हवा, धुआं उत्सर्जन, ध्वनि, बैटरियों और कचरे से फ्यूजिटिव उत्सर्जन सभी स्वीकार्य सीमा के अंदर हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन के स्वीकार्य सीमा से उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए नाइट्रिफिकेशन - डीनाइट्रिफिकेशन की एक परामर्श परियोजना मैसर्स टीपीई, रूस को प्रदान की गई है और इसका कार्य प्रगति पर है।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र : वृक्षारोपण में एक दिशा नियामक।

प्रमुख गतिविधियां

प्रदूषण नियंत्रण के लिए की गई प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

- तीन निरंतर स्वच्छ हवा निगरानी स्टेशनों को स्थापित किया गया है और चौथा स्वच्छ हवा स्टेशन के लिए आदेश की प्रक्रिया चल रही है।
- ड्राई फ्लाई एश हैंडलिंग, भंडारण और डिलीवरी प्रणाली की परियोजना 31 जुलाई 2005 में चालू की गई।
- स्टील मेल्टिंग शॉप में फ्यूजिटिव उत्सर्जन रोकने की योजना प्रदान की जा रही है।
- टाऊनशिप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) (250 घन मीटर/घंटा) से सीवेज का पानी ट्रीट करने के लिए एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परियोजना को 12.12.2005 को चालू किया गया, ताकि स्टील मेल्टिंग शॉप और मिलों में कूलिंग एप्लिकेशन के लिए पानी की गुणवत्ता ठीक हो सके।
- रॉ मैटीरियल हैंडलिंग प्लांट/आरजी बिल्डिंग में ड्राई फॉग डस्ट सप्रेशन 31.7.2006 को चालू की गई।
- कार्यक्षेत्र के पर्यावरण में पुन: सुधार के लिए रोटरी भट्टियों में उच्च तापीय मेम्ब्रेन बैग्स लगाए जा रहे हैं। एफके-5 को 05.03.2005 से चालू किया गया और एफके-1, 2,3, और 4 को दिसम्बर 2007 तक चालू किए जाने की योजना है।
- टीपीपी में बॉयलर संख्या 1,2,3 और 4 के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स में इलेक्ट्रानिक कंट्रोलर्स लगाए जा रहे हैं।

पर्यावरण पुरस्कार

- ''वीएसपी में नेतृत्व और सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्टता-2005'' पर सर्वश्रेष्ठ तकनीकी दस्तावेज के लिए भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई), दक्षिण क्षेत्र द्वारा फरवरी 2006 में प्रथम पुरस्कार दिया गया।
- विश्व पर्यावरण फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा जून 2006 में पर्यावरण प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए निर्धारित मानक नियमों का पालन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण उपाय इस प्रकार हैं:

डीसिल्टिंग (गाद निकालना)

पीसी बांधों के चार डाऊनस्ट्रीम चैक बंदों की मरम्मत की गई। पीसी बांध। एवं II खान रन ऑफ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपस्ट्रीम की पिचिंग की मरम्मत की गई और बांध की बॉडी पर अपस्ट्रीम साइड से फिल्टर फैब्रिक का आवरण लगाया गया। वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित रूप से लगभग 3,26,000 घन मीटर संचित गाद को निकालने का प्रस्ताव किया गया।

वृक्षारोपण गतिविधि

वन क्षेत्र में गतिविधियों पर पाबंदियां होने के कारण वर्ष 2006-07 के दौरान छोड़े गए खान क्षेत्र के अन्दर कोई गतिविधि नहीं की गईं। वर्ष 2006-07 के दौरान (नवम्बर 2006 तक) छोड़े गए खान क्षेत्र के अलावा लगभग 35 लाख रुपये का खर्च आया।

निगरानी और मापन

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित एवं सहमत मानकों के अनुसार वायु, जल कचरा और ध्वनि निगरानी की जा रही है। बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत जल की गुणवत्ता निगरानी की जा रही है। मैसर्स सीएमएफआरआई, मंगलौर के सहयोग से भद्रा नदी पर सिल्ट लोड मॉडलिंग सहित, उसकी एवं सहायक नदियों की जल की गुणवत्ता निगरानी के लिए एक अध्ययन किया गया। मैसर्स सीएमएफआरआई, मंगलौर के सहयोग से भद्रा नदी में सिल्ट लोड का निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

अयस्क संस्करण से स्लरी के रूप में सृजित टेलिंग को खानों से लगभग 4 किलोमीटर दूर लाक्या होली पर बनाए गए 100 मीटर ऊँचे टेलिंग्स बांध पर रखा जाता है। इससे ठोस अपशिष्ट पदार्थों से जल स्रोत को प्रदूषित होने से बचाया जाता है। लाक्या बांध दो उद्देश्यों का बांध है क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया जल जरूरत ग्रेविटी टनल द्वारा बांध से निकाली जाती है। जलाशय के बायीं ओर से मुख्य बांध से 2 कि.मी. डाउनस्ट्रीम दूरी पर स्पिलवे की व्यवस्था की गई है। ठोस पदार्थ नीचे तलहटी में ठहर जाते हैं और हल्के पदार्थ स्पिलवे के जरिए आगे निकल जाते हैं। बांध से अतिरिक्त जल का डिस्चार्ज स्पिलवे के जरिए मानसून के दौरान होता है। यह स्पिलवे (वर्टिकल शाफ्ट) ग्रीष्मकाल में अयस्क प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त जल संचय करने के लिए डिजाइन किया गया है। पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है और यह कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अन्दर है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण की राष्ट्रीय नीति और उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य के अनुरूप कम्पनी ने इस क्षेत्र में मितव्ययिता अभियान शुरू किया है। ऊर्जा संरक्षण और विद्युत खपत कम करने के लिए ऊर्जा ऑडिट समेत विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मॉयल के इतिहास में पहली बार कम्पनी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र जिले के भंडारा जिले में स्थित डोंगरी बजुर्ग खान में अपने इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज प्लांट के लिए रसायन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मॉयल द्वारा एक बार फिर 2006 में यह सम्मान प्राप्त किया गया और उसे रसायन क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया गया और मॉयल ने लगातार दूसरे वर्ष 14 दिसम्बर 2006 को ट्रॉफी प्राप्त की।

भारत सरकार की नीति के अनुरूप मॉयल जहां भी संभव हो ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है और इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ईएमडी प्लांट पिछले कुछ वर्षों से ऊर्जा संरक्षण में अच्छा काम कर रहा है। वर्ष 2004-05 में 2755 कि.वा/घंटा/टन ऊर्जा खपत की तुलना में 2005-06 के दौरान यह घटकर 2351 कि.वा./घंटा/टन हो गई। ठीक इसी समय 2004-05 के दौरान 1123 टन उत्पादन बढ़कर 2005-06 के दौरान 1301 टन हो गया। इसी तरह कारखाने ने 2004-05 के दौरान प्रति टन ईएमडी उत्पादन पर 3.35 टन कोयला की खपत कम करते हुए 2005-06 के दौरान प्रति टन ईएमडी उत्पादन पर 2.72 टन करते हुए तापीय ऊर्जा में बचत की गई। इस तरह से कोयले की खपत में वार्षिक कमी 767 टन हुई।

खनन प्रचालन में ऊर्जा संरक्षण के अलावा, कम्पनी ने अपने फेरो मैंगनीज प्लांट और ईएमडी प्लांट में बिजली खपत कम करने के लिए भी विशेष उपाय किए।

मॉयल ने निजी उपयोग के लिए देवास, मध्य प्रदेश के नजदीक नागड़ा हिल में 4.8 मेगावाट विंड एनर्जी फार्म की स्थापना की है और इसे 30 जून 2006 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया। विंड एनर्जी फार्म ने अब तक लगभग 50 लाख यूनिट का सृजन कर दिया है और इसे हमारे बालाघाट माइन में फेरो मैंगनीज प्लांट के एचटी कनेक्शन के साथ जोड़ा गया। यह विंड एनर्जी परियोजना क्योटो प्रोटोकोल के तहत पर्यावरण में बदलाव पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वर्जन के साथ सीडीएम (क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म) परियोजनाओं के लिए योग्य हो गयी है।

प्रदूषण नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण विकास तथा पर्यावरण संरक्षण

प्राकृतिक संसाधनों की सहायक क्षमता को नजरअंदाज करते हुए, इनके दोहन से पर्यावरण का क्षय और पर्यावरण को अस्थिर बनाने वाला एक बुरा स्वप्न प्रस्तुत करता है। खनिजों के खनन, विशेष रूप से खुली खान प्रणाली से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जमीन का क्षय होता है। व्यापक रूप से लोगों के स्वास्थ्य के अलावा जल और वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण भी चिंता के कारण हैं। समस्या की प्रकृति और सीमा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता को देखते हुए मॉयल ने खनन किए गए क्षेत्रों की भूमि सुधार और स्पॉयल डंप्स के पुनर्वास पर विशेष बल देकर व्यापक अनुसंधान और विकास करते हुए कम्पनी की खानों में सघन वृक्षारोपण किया है। इससे खान पर्यावरण सुधारने में मदद मिली है। अनवरत एवं पर्यावरण-मित्र खनन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक एकीकृत जैव तकनीकी नजरिए को अपनाया गया।

ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

मॉयल 'आज का अपशिष्ट पदार्थ कल की सम्पत्ति है' के सिद्धांत में विश्वास रखती है और वास्तविकता यह है कि मॉयल ने सेकेंडरी प्राप्तियों के जरिए करोड़ों रुपये मूल्य का अयस्क निकाला है। खनन प्रक्रिया में भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिसे जमीन पर डालना पड़ता है और खुली खानों में अपशिष्ट पदार्थ अधिक होता है। मॉयल अब मैंगनीफेरस रॉक और गैर-मैंगनीफेरस रॉक के ठोस अपशिष्ट को व्यवस्थित ढंग से पृथक-पृथक डाल रहा है ताकि भविष्य में जब भी निम्न श्रेणी मैंगनीज अयस्क का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित हो तब निम्न श्रेणी मैंगनीज़ अयस्क प्राप्त करने के लिए इन मैंगनीफेरस डम्प का उपयोग कम लागत पर किया जा सके।

अब अपशिष्ट डम्प की इस तरह से योजना बनाई जाती है कि भविष्य में इनकी हैंडलिंग और री-हैंडलिंग को रोका जा सके। अब डम्प की ऊंचाई 30 मीटर बनाई गई है जिससे कि यह कम जगह ले पाये। भरे हुए गड्ढ़े व्यवस्थित रूप से पौधे/घास इत्यादि लगाकर ढके जा रहे हैं ताकि बारिश से बचाव हो और बेहतर सौंदर्यपरक दृश्य प्रस्तुत हो। खान के कार्मिकों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और मॉयल भारतीय खान ब्यूरो की छत्रछाया में हर वर्ष खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह के आयोजन में सक्रिय भाग लेता है।

बर्ड समूह की कम्पनियां

वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण

उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ओएमडीसी) ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 142 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए, जिसके अंतर्गत वृक्षवीथि तैयार

करने के लिए वृक्षारोपण, बेकार सरकारी भूमि पर और कामगारों की कॉलोनी में वृक्ष लगाना शामिल है। ओएमडीसी और बिरसा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी) ने दबावयुक्त नोजलों के जरिए परिवहन सड़कों पर धूलशमन के लिए पानी का छिड़काव किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार सतत आधार पर पर्यावरण की निगरानी की जा रही है। कर्मचारियों और आस-पास के ग्रामवासियों में जागरूकता फैलाने के लिए कम्पनियों द्वारा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) के लिए पर्यावरण निगरानी अध्ययन यह दर्शाता है कि एनएमडीसी की सभी उत्पादन परियोजनाओं में समस्त मानक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंदर हैं।

वर्तमान वर्ष में दिसम्बर 2006 तक की गई गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

बेलाडिला.14/11सी परियोजना, किरांडुल, दांतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़

- अटके हुए ठोस पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए जल धारा के आर-पार चैक बंधों का निर्माण किया गया है और इनका नियमित रूप से रख-रखाव किया जा रहा है।
- स्लाइम की नियमित डीसिल्टिंग द्वारा पर्याप्त क्षमता का टेलिंग बांध बनाया गया है।
- पानी का बहाव पहले से निर्धारित मार्ग से करने के लिए खनन सेवा केन्द्र और कारखाना क्षेत्र में निकासी प्रणालियों की योजना बनाई गई है।
- वेस्ट डम्प के नीचे बट्रेस वाल्स और कंटूर ट्रेंचेज की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।
- 10 कि.ली. के एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का नियमित रूप से रख-रखाव किया जा रहा है।
- स्वच्छ पानी के डिस्चार्ज को सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सिडेशन तालाबों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

बेलाडिला. 5 और 10/11 ए परियोजना, बछेली, दांतेवाडा जिला, छत्तीसगढ़

- चैक बंधों और नालों से 34,930 घन मीटर गाद निकाली गई।
- टेलिंग बांध 01 से 42,000 घन मीटर गाद और 83,000 मीट्रिक टन स्लाइम निकाली गई।
- ढलानों पर 8 हेक्टेयर क्षेत्र में 51,000 पौधे लगाए गए।
- बड़े बछेली स्थित जथरोपा प्रजाति के 50,000 पौधे लगाए गए।
- ग्रीष्मकालीन (अप्रैल-मई) मौसम 2006 के दौरान पर्यावरण निगरानी अध्ययन पूर्ण किये गये।
- मानसून (अगस्त) मौसम 2006 के दौरान जल की गुणवत्ता और जल बहाव अध्ययन पूर्ण किये गये।
- मई 2006 के दौरान एमएमआर 1961 के नियम 121 के अनुसार वायुजनित धूल सर्वेक्षण भी पूर्ण किया गया।

दोणिमलाई लौह अयस्क खान, दोणिमलाई जिला, कर्नाटक

- गैर-सक्रिय वेस्ट डंप्स में 17,000 पौधे और 50,000 अगेव बल्ब लगाए गए।
- चैक बंधों से गाद निकालने और चैक बंध की मजबूती के लिए नियमित रूप से काम किया जा रहा है।
- ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को प्रदान किया जा रहा है।
- वृक्षारोपण के उपरांत रख-रखाव और नियमित देख-भाल की जाती है।
- स्क्रीनिंग प्लांट में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अयस्क की वेट स्क्रीनिंग की जा रही है।
- रात दिन धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए हॉलेज रोड में 35 टन क्षमता का वाटर स्प्रिंकलर्स की सेवाएं ली जा रही हैं।

हीरा खनन परियोजना, मझगांव, पन्ना

- इस परियोजना ने धूल के शमन और स्वच्छ हवा में फ्यूजिटिव धूल की कमी करने के लिए एक प्रभावी मिस्ट वाटर स्प्रे व्यवस्था (एक्वा डाइन डस्ट सप्रेशन प्रणाली) की स्थापना की है।

- स्लरी एफ्ल्युएंट के भंडारण एवं उपचार की दृष्टि से इसकी क्षमता में सुधार के लिए टेलिंग तालाब से नियमित रूप से गाद निकाली जाती है। वर्ष 2006-07 के दौरान 72,000 घन मीटर गाद निकाली गई।
- घरेलू कचरे के उपचार के लिए आरबीसी (500 कि.ली. प्रति दिन) युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- वर्ष के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 3,000 पौधे लगाए गए।

ऊर्जा संरक्षण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति टन लौह अयस्क उत्खनन पर विद्युत ऊर्जा की खपत नीचे दी गई है:

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2004-05	2.05	1.96
2005-06	1.98	1.80
2006-07	2.12	1.94

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

दिनांक 16.01.1991 की गजट अधिसूचना के सभी प्रावधानों और उनके संशोधनों का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सभी मानकों का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है और सभी मानकों को निर्धारित सीमा में कायम रखा जा रहा है। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है और निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सिफारिश के अनुसार समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

अपशिष्ट भूमि का विकास

पौधों की रोपाई कर स्वच्छ एवं हरा-भरा कार्यक्रम के तहत हरियाली विकसित करने के लिए अपशिष्ट उपलब्ध भूमि का समतलीकरण प्रस्तावित है।

अध्याय-VII

सूचना टेक्नालॉजी का विकास

यह सूचना टेक्नालॉजी का युग है। इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूचना टेक्नालॉजी की संरचना, विकास और उसके उपयोगों से संबंधित मामलों का निरंतर नवीकरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

इस्पात मंत्रालय

- **सूचना टेक्नालॉजी संरचना**
  - मंत्रालय के कम्प्यूटर केन्द्र में विंडोज़ 2003 सर्वर्स: पेंटियम पर आधारित उपभोक्ता प्रणालियां, फोटो आदि के दस्तावेजों के लिए स्केनर की सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा, केन्द्र में स्विचिज़ और हब्स जैसे लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) इक्विपमेंट की भी सुविधा है, जो पूरे मंत्रालय में फैले लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इंटरनेट के साथ-साथ इंटरानेट पर आधारित उपयोगों के लिए आधार प्रदान करते हैं।
  - नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) केन्द्रीय सुविधा के अलावा मंत्रालय में डेस्कों/अनुभागों में कार्मिकों के पास लगभग 125 पेंटियम आधारित उपभोक्ता प्रणालियां भी हैं जो वर्तमान में विंडो आधारित सॉफ्टवेयर और कार्यालय स्वचालन के लिए उपयोगी हैं।
  - मंत्रालय में लैन प्रणाली काम कर रही है और इसका i) इलेक्ट्रॉनिक डायरी, ii) फाइलों/दस्तावेजों की शेयरिंग, iii) वार्षिक प्रतिवेदनों/संसदीय प्रश्नों, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भों और संसदीय आश्वासनों, रिक्त पदों की स्थिति, एसीसी मंजूरियों/मंत्रालय के अनुभागों/डेस्कों से लम्बित समीक्षा/अपील से जुड़े मामलों और उन्हें ई-मेल के जरिए राज्यसभा और लोकसभा में भेजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - मंत्रालय के सभी अधिकारियों/डेस्कों/अनुभागों को इंटरनेट पर सूचना भेजने तथा इंटरनेट से वांछित सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

मंत्रालय में ई-प्रबंधन उपयोगों और कागजमुक्त कार्यालय के सिद्धांत को बढ़ावा

- ई-प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, समस्त मंत्रालय में एक इंटरनेट पोर्टल पर अर्जित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तथा मंजूरी के साथ-साथ सूचनाएं/परिपत्र/कार्यालय आदेश का आदान-प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक बुलेटिन बोर्ड की सेवाएं कर्मचारियों के लिए प्रदान की गई हैं।
- इस पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक डाक/डायरी/दस्तावेजों को आगे बढ़ाने की सुविधाएं हैं। यह प्रणाली मंत्रालय में कार्यान्वित कर दी गई है और पूरी तरह से प्रचलन में है।
- इस पोर्टल में कार्य का फ्लो और वर्क रूटिंग उपयोग जैसे नोट शीट्स और दस्तावेजों की ई-फाइलिंग और मंजूरी की सुविधा है। यह प्रणाली इस्टेबलिसमेंट अनुभाग, सेल-ओपी और सेल-पीसी अनुभागों में कुछ चिन्हित विषयों के लिए काम कर रही थी। मंत्रालय के सभी प्रभागों में इस प्रणाली को प्रचलित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नोटशीट्स, फाइलों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इस प्रणाली में डिजिटल हस्ताक्षर की संकल्पना को शुरू किया गया है। संपूर्ण मंत्रालय में इस प्रणाली को कार्यान्वित करने की समय-सारणी तैयार कर ली गई है और सचिव (इस्पात) द्वारा मंजूर कर दी गई है। इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को मंत्रालय में ही प्रशिक्षण दिया गया है।
- अवकाश एवं अग्रिमों की मंजूरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति; एसीआर; पहचान पत्र, स्टाफ कार बुकिंग; आय कर के प्रपत्र; दूरभाष सूची (अंग्रेजी एवं हिंदी), मंत्रालय के अधिकारियों/अनुभागों/डेस्कों के ई-मेल पता निर्देशिका, संगठनात्मक चार्ट, गतिविधि सूची डाउनलोड करने की सुविधा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को मंत्रालय के इंटरनेट पोर्टल पर प्रदान की गई है।
- इंटरनेट पोर्टल पर कर्मचारियों का विवरण, वेतन विवरण, सामान्य भविष्य निधि विवरण, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालय आदेशों और कार्यालय परिपत्रों के लिए बुलेटिन बोर्ड सेवाएं और भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति रिक्तियों/पदों के बारे में जानकारी दी जाती है।
- इंटरनेट पोर्टल में महत्वपूर्ण संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, जन शिकायतों, मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों की अवस्था एवं स्थिति, लम्बित समीक्षा/अपील मामलों, अदालती मामलों, ऑडिट पैराज़, इत्यादि की सुविधा है ताकि मामले कम समय तक लम्बित रहें और निर्णय लेने में देरी कम हो सके।

मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट

- मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.steel.gov.in) इंटरनेट पर द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा इसमें प्रशासनिक ढांचे, मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों, राष्ट्रीय इस्पात नीति-2005, सूचना अधिकार अधिनियम-2005, नीतिगत ढांचे, वार्षिक प्रतिवेदन, इस्पात क्षेत्र का विहंगम दृश्य, इस्पात

आयात का विश्लेषण तथा आयात संबंधी आंकड़े और 1991 के बाद का घटनाक्रम, अनुसंधान एवं टेक्नालॉजी विकास के बारे में जानकारी है। मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों तथा सम्बद्ध कार्यालयों, अनुसंधान एवं विकास टेक्नालॉजी मिशन व मंत्रालय में शिकायतों से सम्बद्ध अधिकारियों, इस्पात मंत्री के कार्यालय, मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

- मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच जी2जी द्विभाषी इंटरफेस की सुविधा है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मासिक/तिमाही कार्यनिष्पादनों की सूचना ऑन-लाइन प्राप्त की जाती है ताकि सूचना एकत्र करने में, कैबिनेट समरी बनाने में और तिमाही कार्यनिष्पादन समीक्षा करने में देरी कम की जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा

- इस्पात मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन, तेजी से निर्णय लेने, कार्यपालकों के समय का सदुपयोग बढ़ाने और यात्रा खर्च कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के पास सूचना टेक्नालॉजी पहल के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति है। कम्पनी ने 2010 तक 23.8 मिलियन टन तप्त धातु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए विकास योजना बनाई है जिसके अंतर्गत संगठन भर में सूचना जरूरत की व्यापक पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता केन्द्रित प्रणालियों, लागत में किफायत, लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी, उत्पादों की गुणवत्ता और स्टेकहोल्डरों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सूचना टेक्नालॉजी उपयोगों पर प्रमुख बल दिए जाने की व्यवस्था की गई है। निगमित योजना 2010 में सूचना टेक्नालॉजी संचार नेटवर्क सुदृढ़ करने, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण (पीपीसी) स्थापित करने, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और मैन्युफैक्चरिंग एक्ज़ीक्यूशन सिस्टम (एमईएस) के कम्प्यूटरीकरण एवं कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है। भिलाई इस्पात कारखाना ईआरपी कार्यान्वयन की योजना बना रहा है जिसे बाद में अन्य इकाइयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा और प्रत्येक कारखानों द्वारा पीपीसी व एमईएस का कार्यान्वयन किया जाएगा।

सेल के इस्पात कारखाने में स्टील मेल्टिंग शॉप के कंट्रोल रूम का एक दृश्य।

सेल ने देश भर में निम्न सूचना टेक्नालॉजी पहल की है, उनमें से कुछ पहले ही कार्यान्वित कर ली गई हैं और शेष को पूर्ण किया जा रहा है:

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** मई 2006 में चालू, वर्तमान रूप से देश भर में सेल के सभी कारखानों/इकाइयों, आरआईएनएल, एनएमडीसी और इस्पात मंत्रालय को कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जोड़ा गया है।
- **नेटवर्किंग:** सेल के पास बीएसएनएल/एमटीएनएल लीज्ड लाइन्स, आईएसडीएन और वीएसएटी के बैकअप के साथ वीपीएन नेटवर्क का उपयोग करते हुए सभी एकीकृत इस्पात कारखानों के यूनिट कार्यालयों को जोड़ती हुई सेल वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) है। सभी एकीकृत इस्पात कारखानों में फाइबर ऑप्टिक पर आधारित लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं।
- **ई-कॉमर्स:**
  - टेंडर वेबसाइट: अगस्त 2006 में चालू, सेल ने अपने इस्पात कारखानों/इकाइयों द्वारा सभी टेंडरों को अपलोड करने के लिए एक अलग टेंडर वेबसाइट बनाई है। सुरक्षा और प्रमाणिकता के लिए, सेल वेबसाइट पर टेंडर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए सेल कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी किए जा रहे हैं।
  - बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कीमतों पर मोलभाव और खरीद करने में पारदर्शिता के लाभ के साथ 2001-02 में रिवर्स ऑक्सन के जरिए ई-प्रोक्योरमेंट कार्यान्वित करने वाला सेल पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। वर्ष 2001-02 में इस प्रक्रिया द्वारा 19 करोड़ रुपये के सौदे हुए थे, जो बड़ी तेजी से बढ़कर 2005-06 में 393 करोड़ रुपये पहुंच गए। वर्तमान वित्त वर्ष में अक्तूबर 2006 तक 450 करोड़ रुपये मूल्य के सौदे ई-प्रोक्योरमेंट के जरिए हुए हैं।
  - सेल में फारवर्ड ऑक्सन के जरिए ई-सेल्स 2002-03 में शुरू हुई और 2002-03 में 53 करोड़ रुपये के सौदे बढ़कर 2005-06 में 1,423 करोड़ रुपये हो गए। वर्तमान वित्त वर्ष में, ई-सेलिंग के जरिए अक्तूबर 2006 तक 1,104 करोड़ रुपये के सौदे हुए।
  - राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों में सीमित निविदा इन्क्वायरी (एलटीई) के जरिए देशज उपभोग्य पदार्थ/अतिरिक्त कलपुर्जों के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में ऑन-लाइन ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ईपीएस) पहले ही कार्यान्वित हो गई है। इस प्रणाली को आयात और खुली निविदाओं के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। सेल की अन्य यूनिटों में ईपीएस का कार्यान्वयन मार्च 07 तक पूरा कर लिया जाएगा।
  - ई-पेमेंट: सेल के कर्मचारियों के वेतन का ई-पेमेंट प्रमुख रूप से भारतीय स्टेट बैंक के जरिए शुरू किया गया। इसी तरह से आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी इसी तरह से ई-पेमेंट शुरू हो गई है और इसका चरणबद्ध तरीके से दायरा बढ़ाने की योजना है।
- सेल के सभी इस्पात कारखानों में चरणबद्ध तरीके से इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। भिलाई एवं बोकारो इस्पात कारखानों में ईआरपी के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिली।
- सेल के सभी इस्पात कारखानों में चरणबद्ध तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन प्रणाली (एमईएस) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। भिलाई इस्पात कारखाने में एमईएस के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिली।
- दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों में उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण प्रणाली कार्यान्वित कर ली है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2006-07 के दौरान सूचना टेक्नालॉजी के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहल नीचे दी गई हैं:

- **डाटा-कम्युनिकेशन नेटवर्क:** कम्प्यूटर नेटवर्क के 850 नोड्स बढ़ाकर 2,000 नोड्स कर दिए गए हैं। उक्कूनगरम में स्थित कार्यालयों सहित, सभी विभागों जैसे अस्पताल, नगर प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वरिष्ठ प्रबंधकों के निवास स्थानों को प्लांट नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। इस नेटवर्क एक्सपेंसन में वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन की भी व्यवस्था की गई है। स्टेकहोल्डरों को कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रदान करने के लिए मोबाइल-टेलिफोनी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस की सुविधा भी है।
- **3-टियर बिजनेस एप्लिकेशन्स आर्किटेक्चर:** सभी बिजनेस उपयोगों को वेब पर आधारित बनाने और इनका रख-रखाव सुधारने के लिए ओरेकल 3-टियर आर्किटेक्चर प्रदान किया गया है।
- **विभिन्न उत्पादन विभागों का कम्प्यूटरीकरण:** सभी विभागों जैसे रॉ मैटीरियल हैंडलिंग प्लांट, कोक ओवन्स, सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस और थर्मल पावर प्लांट के उत्पादन और एमआईएस गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने की पहल की गई। इनको विभिन्न चरणों में पूरा किया जा रहा है। ब्लास्ट फर्नेस प्रणाली पूर्ण हो गई है।
- **वेब-इनिशिएटिव्स:** सभी विभागों के लिए वेब पर आधारित पोर्टल्स बनाए गए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने और प्रतियोगी स्थिति सुधारने के लिए फॉरवर्ड-ऑक्सन, रिवर्स-ऑक्सन, पोर्टल्स लगाए गए। सम्पूर्ण विपणन कार्यालयों में बेहतर एमआईएस बढ़ाने के लिए वीपीएन प्रणालियां लगाई गईं।

- **इंटरप्राइज रिसोर्स प्लांनिंग:** विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने ने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग परियोजना शुरू की है, जो रोबस्ट न्यू जनरेशन ईआरपी प्रोडक्ट का उपयोग करते हुए एकीकृत इंटरप्राइज वाईड सॉल्यूशन प्रदान करेगी जिसका बिजनेस कार्यकलापों को सम्पन्न करने के लिए सभी इकाइयों द्वारा उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना इस कारखाने को कच्चे माल से लेकर विक्रय तक समस्त गतिविधियों को एकीकृत करने में मदद करेगी और इससे गतिविधियों का समय कम होगा और फलस्वरूप इसके स्टेकहोल्डरों को उच्च स्तरीय संतुष्टि मिलेगी। उत्पादन, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन, विपणन एवं वित्त जैसे विभिन्न क्रियाकलापों को एकीकृत करने के काम के लिए एक ईआरपी कोर टीम बनाई गई है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक समग्र परामर्शदाता के रूप में मैसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को चुना गया है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कम्पनी ने माल भंडार और अन्य उपयोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए ऑप्रेटिंग सिस्टम के रूप में सोलरीज 10 से युक्त वी240 सन सर्वर प्रणाली और डीबी$_2$ आरडीबीएमएस एवं फ्रंट यंड जावा की स्थापना की है। वर्ष के दौरान डाटा प्रोसेसिंग पुराने कोबाल आधारित प्रणाली से बदलकर आरडीएमबीएस प्लेटफार्म से की जा रही है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

कम्पनी ने रिकार्डों/आंकड़ों इत्यादि का प्रभावी कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सम्पूर्ण सिस्टम सेल की स्थापना की है। वर्तमान रूप से इस सिस्टम विभाग में उप महाप्रबंधक (सिस्टम) के नेतृत्व में तीन कार्यपालक एवं नौ गैर-कार्यपालक हैं।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

कॉरपोरेट इंटरानेट से कम्पनी भर में कनेक्टिंग नोड्स जोड़े गए हैं जिससे कम्पनी की समर्पित मेलिंग प्रणाली, वॉयस ओवर आईपी (वीओआईपी), फाइल फोल्डर सेवाएं, आंतरिक वेबसाइट और केन्द्रीयकृत ऐंटी-वायरस प्रबंधन किया जा रहा है। निगमित कार्यालय, इस्पात मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की गई है। मानव संसाधन, उत्पादन, अनुरक्षण उपयोगों के विकास एवं एकीकरण के साथ मौजूदा एफएएस व आईएमएस उपयोगों के ऑन-लाइन पैकेजों को साथ मिलाकर वेब से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। निगमित कार्यालय और परियोजना केन्द्रों के बीच आईपी (इंटरनेट प्रोटोकोल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार पोर्टल के जरिए चुनिंदा मदों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट का प्रयास किया जा रहा है।

अध्याय-VIII

सुरक्षा

किसी भी उद्योग के क्रियाकलाप में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल उसके कर्मचारियों व कामगारों, वरन् पर्यावरण एवं राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुरक्षा पर दिए जा रहे बल पर प्रकाश डाला गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रणाली एवं गतिविधियों की निगरानी के लिए, सेल सुरक्षा संगठन मानक एक अलग निगमित इकाई है। सेल के पास एक व्यापक सुरक्षा नीति भी है।

- सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के क्षेत्र में वार्षिक कार्यनिष्पादन योजनाएँ तैयार की गई हैं और सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।
- हर वर्ष प्रमुख विभागों, खास तौर पर जोखिम भरे क्षेत्रों का आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा ऑडिट होता है और इससे निकले बिन्दुओं का निराकरण किया जाता है।
- मानक प्रचालन प्रविधियों (एसओपी) और मानक अनुरक्षण प्रविधियों (एसएमपी) में सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया गया है।
- सभी प्रमुख भारी मरम्मत/शट डाउन की रात-दिन निकट से निगरानी की जाती है।
- असुरक्षित परिस्थितियों/कार्यों की पहचान करने के लिए जांच बिंदुओं के अनुसार नियमित जांच के अलावा अंतिम कर्मचारी तक सुरक्षा जागरूकता/संस्कृति पहुंचाने की दृष्टि से समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।
- विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास गतिविधि के अंतर्गत विभागाध्यक्षों, लाइन प्रबंधकों एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा, गैस सुरक्षा, रेल/सड़क सुरक्षा, लौह, इस्पात और कोक निर्माण में सुरक्षा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न स्थानों में क्षेत्र विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।
- इस्पात उद्योग सुरक्षा प्रबंधन का विशेष पहलू यह है कि 1973 में इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संयुक्त समिति नामक द्विपक्षीय मंच स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के इस मंच में सेल, आरआईएनएल, टिस्को और इस्पत ग्रुप सभी इस्पात कारखानें के प्रतिनधि शामिल हैं। इस समिति में सभी केन्द्रीय मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सुरक्षा चेतना जागृत करने के लिए, यह समिति अपने सदस्य संगठनों के लिए संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुरक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। यह समिति मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के सहयोग एवं मदद से अपने सदस्य कारखानों के लिए नीतियां एवं दिशा निर्देश तैयार करते हैं एवं कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

सेल के एक इस्पात कारखाने में सुरक्षा कार्यशाला प्रगति पर।

सेल सुरक्षा संगठन ने अपने कार्यस्थलों में सघन सुरक्षा अभियान चलाने; विभिन्न कारखानों एवं खानों के जोखिम भरे विभागों में सुरक्षा जाँच करने जैसे उपाय करते हुए कम्पनी के सुरक्षा मानकों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न इस्पात कारखानों में सुरक्षा पहलुओं पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण उपायों की निगरानी और अन्य सहक्रियात्मक उपायों के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर प्रयास करने के फलस्वरूप संभावित जोखिमों को कम करने/मिटाने में मदद मिली है।

सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां एवं विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- सीएसडी, ईटीएल, हाइड्रोलिक एंड ल्युब्रिकेशन, सीईडी, आरएमडी, ईएमडी, टीएस, पीडी, एसईडी, टेलिकॉम, पीपीएम, सिस्टम्स, कैंटीन, ओएचएसआरसी, टीएंडडीसी, एसीवीएस और पीईएम जैसे 17 विभागों में ''शून्य दुर्घटना'' का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- ब्लास्ट फर्नेस और टेलिकॉम विभागों में 2 मिलियन हानि समय चोट मुक्त जन घंटे प्राप्त किए गए।
- एसएमएस और सिंटर प्लांट विभागों में 1 मिलियन हानि समय चोट मुक्त जन घंटे प्राप्त किए गए।
- वीएसपी ने एक बार 4 मिलियन हानि समय चोट मुक्त जन घंटे और 4 बार 2 मिलियन हानि समय चोट मुक्त जन घंटे प्राप्त किए। 7 बार 1 मिलियन हानि समय चोट मुक्त जन घंटे प्राप्त किए गए।
- सुरक्षा को बढ़ावा देने की गतिविधि के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को जोड़ने के लिए यूटिलिटीज, ईएसएंडएफ, सीएमएम जैसे सभी प्रमुख विभागों में सुरक्षा सप्ताह समारोहों का आयोजन किया गया। प्रत्येक विभागीय सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान सुरक्षा नारे, पोस्टर, निबंध एवं व्यंग्य रचनाओं जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।
- एनटीपीसी पावर प्लांट को दिखाने सहित केन्द्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए एक दो दिवसीय सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- कारखाने की विभिन्न इकाइयों में भारी मरम्मत के दौरान सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गतिविधियों की रात-दिन निगरानी की गई।
- सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों को तीन अलग-अलग इस्पात कारखानों में भेजा गया।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

सुरक्षा विभाग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। यह कम्पनी अपने कर्मचारियों की व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को विशेष महत्व देती है। कम्पनी द्वारा अपनाए गए एक महत्वपूर्ण मानक में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कामगारों की सहभागिता है। क्षेत्रवार सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं। इन सुरक्षा समितियों में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। सुरक्षा समितियों के सदस्यों के साथ सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा जांच की जाती है और हर माह आयोजित सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा की जाती है।

सुरक्षा के प्रति सजगता लाने और मानव संसाधनों के विकास के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, 120 टन डम्परों, 14 घन गज शॉवेल्स, ड्रिल्स और सहायक उपकरणों के प्रचालन का प्रशिक्षण, अग्निशमन कार्यक्रम, बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक चिंतन, पर्यावरण, गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा, खनन समुदाय में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खान सुरक्षा संगठन, कर्नाटक के मार्गदर्शन में हर वर्ष खान सुरक्षा सप्ताह मनाते हुए सुरक्षा अभियान/प्रचार किया जाता है। खान सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान खान सुरक्षा संगठन, कर्नाटक के अधीन विभिन्न खानों के कामगारों के लिए क्षेत्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कम्पनी ने क्षेत्र और राज्य दोनों स्तरों पर अनेक पुरस्कार अर्जित किए हैं।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में प्रशिक्षण केन्द्र हैं और इनमें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अधीन आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये केन्द्र मौलिक प्रशिक्षण, ज्ञान पुन: ताजा करने के प्रशिक्षण तथा कौशल वाले व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण तथा ड्यूटी पर आहत होने पर क्या करें इस बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी करते हैं।

एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन प्रचालन, यांत्रिक एवं विद्युत स्थापनाओं के लिए कानूनी जरूरत के अनुरूप पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों को नामित/नियुक्त किया जाता है। मुख्यालय में हर वर्ष एक बार नियमित रूप से त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें बुलाई जाती हैं।

प्रत्येक प्रचालनरत खान में खान स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक का संचालन वरिष्ठ अधिकारियों, यूनियन के

प्रतिनिधियों और डीजीएमएस अधिकारियों के साथ परियोजना स्तर पर वर्ष में एक बार किया जाता है जिसमें सुरक्षा कार्यनिष्पादन और उसका मूल्यांकन किया जाता है और सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

प्रत्येक प्रचालनरत खान एवं पिट में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। हर माह आयोजित सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा मामलों पर चर्चा और कार्य वातावरण से संबंधित सुधार कार्य किए जाते हैं।

मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन्स हैल्थ, नागपुर द्वारा सभी परियोजनाओं में डोजीमेटरी और वायब्रेशन अध्ययन किए जा रहे हैं।

कानूनी प्रावधान के अनुसार सभी कर्मचारियों की समय-समय पर नियमित रूप से चिकित्सा जांच और अन्य अतिरिक्त परीक्षण किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी नए भर्ती कर्मचारियों, कम्पनी के रोल में पुराने कर्मचारियों और एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाता है।

सभी परियोजनाओं में समस्त मूलभूत सुविधाओं से युक्त व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अर्हता प्राप्त डॉक्टरों द्वारा चलाए जाते हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान मात्र 4 घातक दुर्घटनाएं हुईं।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

सतह के पास अयस्क भंडारों में निरंतर कमी के चलते, खनन कार्य लगातार जमीन की गहराई की ओर बढ़ता जा रहा है और निरंतर अयस्क की खुदाई जमीन के नीचे की जा रही है। इसके लिए सहायक तंत्र, हवा की सुविधा और खुदाई से खाली स्थानों पर कुशलता से भराई जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर निरंतर बल दिया जा रहा है। पिट समितियों के सदस्यों, कामगार निरीक्षकों, सुरक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (सुरक्षा) द्वारा नियमित रूप से खानों के कामकाज का निरीक्षण किया जा रहा है।

सुरक्षित कार्य करने की दृष्टि से सुरक्षा को अपनी आदत बनाने के लिए सुरक्षा सप्ताह और प्रदर्शिनयों का आयोजन किया जाता है। नियमित रूप से होने वाली सुरक्षा समिति की बैठकों के दौरान किसी भी खान कामगार द्वारा किए गए/अपनाए गए किसी भी असुरक्षित कार्य पर चर्चा की जाती है ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। कम्पनी खानों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देती है। कम्पनी ने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतियोगिता में भाग लेकर 79 पुरस्कार अर्जित किए हैं। कम्पनी ने अपनी गुमगांव माइन में ''न्यूनतम आहत आवृत्ति दर'' के लिए और अपनी बेलडोंगरी माइन में ''न्यूनतम दुर्घटना मुक्त अवधि'' के लिए भी वर्ष 2002 का राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया। लगातार दूसरे वर्ष मॉयल की उक्वा माइन को वर्ष 2003 के लिए ''न्यूनतम आहत आवृत्ति दर'' के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिगत माइन घोषित किया गया। नागपुर में 4 अक्तूबर 2006 को त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई। कम्पनी के लिए सुरक्षा नीति को पांचवें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार भी बनाया गया है। इससे खानों के सुरक्षा मानकों में पुन: सुधार आएगा। बीसीसीएल, धनबाद में सम्पन्न अखिल भारतीय बचाव (रेस्क्यू) प्रतियोगिता में मॉयल की रेस्क्यू टीम ने भाग लिया और धातु खान वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कम्पनी ने खानों के प्रत्येक प्रचालन का जोखिम आंकलन के जरिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन अध्ययन भी शुरू किया।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

बर्ड समूह के अधीन खनन कम्पनियां डीजीएमएस द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षा उपाय करती हैं। इनमें खानों और ढुलाई मार्गों के सुरक्षा नियमों के अनुसार रख-रखाव, खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा कवच, प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण, सुरक्षा नारों का प्रदर्शन, अग्निशमन कार्रवाई दिखाने का प्रबंध, खान कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाना व उसमें भाग लेना शामिल हैं।

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं की मार्फत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी यूनिटों और निगमित कार्यालय में सुरक्षा पर वाद-विवाद सहित सुरक्षा दिवस समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, जहां कर्मचारी पूरे उत्साह से भाग लेते हैं तथा विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

मीकॉन लिमिटेड

मीकॉन के डिजाइन एवं परामर्शदात्री कार्यालय हैं और इनके पास कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। तथापि परियोजना स्थलों पर सभी जरूरी सुरक्षा से संबंधित सावधानियां बरती जाती हैं और फलस्वरूप वर्ष के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

अध्याय-IX

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पूर्व सैनिकों और महिला कर्मचारियों की संख्या के बारे में वक्तव्य
(इस्पात मंत्रालय के संबंध में 31.12.2006 की स्थिति)

पदों का वर्गीकरण	पदों पर कार्यरत कर्मियों की संख्या *	पुरुष	महिला	अनु. जाति	अनु.जन जाति	अ.पि. वर्ग	शा. विक.	पूर्व सैनिक
क	46	42	4	4	2	–	–	–
ख	105	68	37	14	6	2	–	–
ग	60	49	11	16	4	3	2	–
घ	68	66	2	30	7	5	1	–
कुल	**279**	**225**	**54**	**64**	**19**	**10**	**3**	–

** एमसीएफएस एवं इस्पात मंत्रालय के कार्मिक स्टाफ शामिल है*

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सहायता के कुछ क्षेत्र, जो कमजोर वर्गों के लिए भी उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं:

- अनु.जाति/अनु.जन जाति के योग्य पात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए अंडरग्रेज्युएट इंजीनियरी छात्रों को विभिन्न शाखाओं में 14 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। भिलाई इस्पात कारखाने ने 1 अप्रैल 2004 से प्रधानमंत्री ट्रॉफी निधि से अनु.जाति/अनु. जन जाति के छात्रों को 18 छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। सेलम इस्पात कारखाना भी आस-पास के सकूलों के अनु.जाति/अनु. जन जाति के छात्रों को नि:शुल्क यूनिफार्म तथा पुस्तकों के अतिरिक्त 10 छात्रवृत्तियां भी प्रदान कर रहा है।
- अनेक मामलों में अनु.जाति/अनु.जन जाति के छात्रों को कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में ट्यूशन फीस से छूट दी जा रही है। कम्पनी स्कूलों में अधिक से अधिक जनजातीय बच्चों को शिक्षा मुहैया करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- बेरोज़गार अनु.जाति/अनु.जन जाति के युवाओं को विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में कौशल तथा ज्ञान का विकास करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।
- जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से कम्पनी ने कुछ इस्पात नगरियों और अन्य स्थानों पर स्कूलों की इमारत बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। बोकारो इस्पात कारखाने ने अनु.जाति/अनु.जन जाति के छात्रों के लिए 12 कमरों के छात्रावास का आवंटन किया है।
- कम्पनी ने इस्पात कारखानों के आस-पास के दूर-दराज के क्षेत्रों और निजी खानों में भी सड़कों का निर्माण किया है ताकि आवागमन में सुविधा हो तथा आस-पास के क्षेत्रों की विकास योजना के अधीन स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, स्कूली सुविधाओं, पीने के पानी आदि जैसी गतिविधियों को भी बढ़ाया जा सके।
- भिलाई इस्पात कारखाने ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 36 जनजातीय बच्चों और बोकारो इस्पात कारखाने ने 12 बिरहॉर जनजातीय बच्चों की देख-भाल का जिम्मा लिया है। ये कारखाने इन बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, रहने और खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
- इस्पात नगरी के आस-पास पुलों, बाईपास सड़कों, पक्के रास्तों, जल-मार्गों का निर्माण, भू-समतलीकरण/ड्रैसिंग की जा रही है। ग्रामीणों के लिए हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल की स्थापना एवं कुओं का निर्माण किया गया।
- स्कूली इमारतों, मदरसों तथा मानसिक रूप से विकलांगों,गूँगों, बहरे बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण और इन स्कूलों के लिए फर्नीचर तथा हॉस्टलों व महिला कॉलेजों के लिए भवन आदि का निर्माण।
- अधिकतर इस्पात नगरियों में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया जाता है। हर वर्ष अधिक से अधिक पुरुषों और महिलाओं को इस अभियान में शामिल किया जाता है।

- मछली पालन तथा लघु उद्योगों का विकास, ग्रामीण महिला मंडलों को सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराना तथा अन्य स्वरोजगार - सृजन योजनाओं को बढ़ावा।
- सेल ने राउरकेला में आस-पास के जनजातीय क्षेत्रों में बिखरी हुई प्रतिभा की पहचान करने एवं उसको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम और हॉस्टल सुविधाओं से युक्त एक हॉकी अकादमी स्थापित की है। यह अकादमी अनेक युवा प्रतिभाशाली जनजातीय खिलाड़ियों की पहचान करने में सफल हुई और पूर्व ऑलम्पिक खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में इनका विकास किया जा रहा है।

अनु.जातियों और अनु.जन जातियों के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देशों का निरंतर आधार पर कार्यान्वयन और निगरानी की जा रही है। 1.1.2006 को सेल (सहायक कम्पनी सहित) की कुल जनशक्ति में क्रमश: 14.68% और 11.88% अनु.जाति और अनु.जन जाति के कर्मचारी थे।

सेल (एमईएल सहित) में 13.12.2006 को अनु.जाति/अनु.जन जाति का समूह-वार प्रतिनिधित्व:

पदों का वर्गीकरण	कार्मिकों की कुल संख्या	अनु.जाति		अनु.जन जाति	
		संख्या	%	संख्या	%
ग्रुप-क	16,262	2,011	12.37	885	5.44
ग्रुप-ख	45,309	5,218	11.52	3,654	8.06
ग्रुप-ग*	71,986	11,623	16.15	11,435	15.89
ग्रुप-घ#	1,471	1,041	70.77	186	12.64
कुल	**1,35,028**	**19,893**	**14.73**	**16,160**	**11.97**

* *सफाई कर्मचारियों को छोड़कर*

\# *केवल सफाई कर्मचारी*

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

कुल जनशक्ति में 31.12.2006 को अनु.जाति/अनु.जन जाति एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

पदों का वर्गीकरण	कार्मिकों की कुल संख्या	अनु.जाति		अनु.जन जाति		अल्पसंख्यक	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
ग्रुप-क	4,580	761	16.62	210	4.59	200	1.22
ग्रुप-ख	1,558	271	17.39	104	6.68	77	4.94
ग्रुप-ग	8,635	1,461	16.92	596	6.90	281	3.25
ग्रुप-घ	1,680	243	14.46	117	6.96	9	0.54
कुल	**16,453**	**2,736**	**16.63**	**1,027**	**6.24**	**567**	**3.45**

वर्ष 2006-07 के दौरान 14 कर्मचारियों की भर्ती की गई जिनमें से ग्रुप-क में एक अनु.जाति और ग्रुप-ग वर्ग में 6 अन्य पिछड़े वर्ग के थे। ग्रुप-घ में अनु.जन जाति के प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के लिए 30 खलासियों की भर्ती के लिए नितांत रूप से अनु.जाति के लिए रोजगार अधिसूचना जारी की गई और इस पर काम चल रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए की गई गतिविधियों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- कवि गुर्रम जसुआ के नाम पर 14.8.2006 को इस्पात नगरी में एक उद्यान का उद्घाटन।
- डॉ. बाबू जगजीवन राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में डॉ. बाबू जगजीवन राम बाल उद्यान, सेक्टर 5 में 5.4.2006 को प्रतिमा अनावरण समारोह के उपरांत एक स्मारक कार्यक्रम और संध्याकाल में एक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
- भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर पार्क, सेक्टर 6, उक्कूनगरम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह के उपरांत उनकी स्मृति में एक बैठक का आयोजन किया गया।
- भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सीडब्ल्यूसी, उक्कूनगरम में अप्रैल 2006 माह के दौरान एक खेल एवं सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया।
- अम्बेडकर जयंती खेल-कूद के आयोजन के लिए सामुदायिक कल्याण केन्द्रों को विशेष अनुदान दिया गया।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कम्पनी में 30.11.2006 को कुल कर्मचारियों की संख्या 1,553 थी जिनमें से 252 कार्मिक अनुसूचित जाति (16.22%), 67 कार्मिक अनु.जन जाति

(4.31%) और 219 कार्मिक अन्य पिछड़े वर्गों (14.10%) के थे। इसके अलावा, 81 महिला कर्मचारी (5.21%), 20 शारीरिक विकलांग (1.29%) और 24 पूर्व सैनिक (1.55%) थे।

कल्याणकारी उपाय

कम्पनी के पास कुद्रेमुख और मंगलौर में एक आधुनिक नगरी, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं, आदि के साथ सम्पूर्ण सुविधाएं हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 योग्यता छात्रवृत्तियां तथा 40 योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां मंजूर की गईं। इन 55 छात्रवृत्तियों में से 20% छात्रवृत्तियां अर्थात् 11 अनु.जाति/अनु.जन जाति के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, अनु.जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों के 12 बच्चों को छात्रवृत्तियां दी गईं (इनमें 1 छात्रवृत्ति सामान्य श्रेणी की थी)। अनु.जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति मंजूरी हेतु पात्रता का अर्हता मानक अर्थात् प्रथम श्रेणी अथवा कुल अंकों का 60%, जो भी अधिक हो, की जगह 50% अंक हैं।

भर्ती

वर्ष 2006 के दौरान (अप्रैल से नवम्बर 2006 तक) दो उम्मीदवारों (सामान्य वर्ग) की भर्ती की गई जिनमें से एक उम्मीदवार की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई है।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनडीएमसी)

एनएमडीसी में 31.12.2006 को नियमित वेतनमान में कुल कर्मचारियों की संख्या 5,532 थी, जिसमें से 1,012 कर्मचारी अनु.जाति (18.29%), 1,086 अनु.जन जाति (19.63%) और 527 अन्य पिछड़े वर्ग (9.52%) के थे।

पदों का वर्गीकरण	कार्मिकों की कुल संख्या	अनु.जाति		अनु.जन जाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
ग्रुप-क	909	126	13.86	42	4.62	89	9.79
ग्रुप-ख	1,102	158	14.33	188	17.05	63	5.71
ग्रुप-ग	2,382	475	19.94	596	25.02	160	6.71
ग्रुप-घ (सेनेटरी खलासी को छोड़कर)	1,081	208	19.24	257	23.77	215	19.88
ग्रुप-घ (सेनेटरी खलासी)	58	45	77.58	3	5.17	0	0
कुल	**5,532**	**1,012**	**18.29**	**1,086**	**19.63**	**527**	**9.52**

अन्य कल्याणकारी उपाय

हमारी परियोजनाओं द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में और आस-पास किए गए विभिन्न सामुदायिक/परिक्षेत्रीय कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

सामुदायिक/परिक्षेत्रीय विकास गतिविधियां

एनएमडीसी एक जिम्मेदार निगमित सदस्य के रूप में, अपने निगमित दर्शन पर चलते हुए स्थानीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ प्रगति का फल बांटने के प्रति वचनबद्ध रहा है। एनएमडीसी ने वर्ष 2005-06 के दौरान सामुदायिक/परिक्षेत्रीय विकास गतिविधियों पर 457.87 लाख रुपये खर्च किए (इसमें आदिवासियों/ग्रामवासियों को नि:शुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया करने का खर्च शामिल नहीं है) और यह राशि वर्ष 2006-07 में (अक्तूबर 2006 तक) 2,141.84 लाख रुपये थी।

यह कम्पनी निम्न प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उत्पादन परियोजनाओं में और आस-पास विभिन्न परिक्षेत्रीय विकास कार्य कर रही है:

कौशल विकास कार्यक्रम

एनएमडीसी ने अपने बैलाडिला कॉम्प्लेक्स में आठवीं पास जनजातीय युवाओं की रोजगार संभावना बढ़ाने के लिए ''कौशल विकास कार्यक्रम'' नामक विशेष योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इन्हें परियोजना की विभिन्न गतिविधियों में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी को यूनिफार्म, अन्य सुरक्षा उपकरण और साजो-सामान प्रदान करने के अलावा हर माह जेब खर्च दिया जाता है। इनके कौशल, कार्यनिष्पादन और ज्ञान में सुधार लाने के लिए नियमित कक्षाएं भी होती हैं और उनको स्थानीय रोजगार कार्यालयों में अपना दर्ज कराने के लिए भी मार्गदर्शन किया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत उन्हें रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम से लगभग 200 स्थानीय अनु.जाति/अनु.जन जाति के युवाओं ने लाभ उठाया है।

परिक्षेत्रीय विकास कार्य

बैलाडिला परियोजनाएं

एनएमडीसी ने एक ओर स्थानीय ग्राम प्रमुखों और सरपंचों; और दूसरी ओर परियोजना में कार्य कर रही यूनियनों और संगठनों के साथ नियमित रूप से परामर्श शुरू किया है। परियोजनाओं के आस-पास के विभिन्न जनजातीय गांव के सरपंचों के साथ समय-समय पर बैठकें बुलाई जाती हैं और विकास परक कार्यों की प्रस्तावित सूची पर विचार किया जाता है। इस तरह के कार्यों के बारे में जिला कलेक्टर से मंजूरी ली जाती है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इन क्षेत्रों में इस तरह के कार्य किए जाते हैं और मंजूरी के पीछे मकसद एक ही काम दो स्तरों पर न हो, यह देखना होता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल ने अनु.जाति/अनु.जन जाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे:

क) आदिवासी गांवों को अपनाना

ख) आर्थिक विकास के लिए रेशम पालन में प्रशिक्षण

ग) आस-पास की खानों में स्कूलों को सहायता

घ) नेत्र चिकित्सा/रक्तदान/शिशु कल्याण शिविरों का आयोजन

ङ) पेय जल योजना के लिए ग्राम पंचायतों को अनुदान सहायता

च) बुजुर्ग एवं विकलांग लोगों के पुनर्वास में लगी सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना

छ) विकलांगों को तिपहिया दान, जनजातीय महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए सिलाई मशीनें

मॉयल द्वारा जीवन स्तर को सुधारने के ध्येय से कमजोर वर्गों को प्रदान की गई विभिन्न कल्याणकारी उपायों का निरंतर नवीकरण किया जाता है।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

वर्तमान रोजगार

अनु.जाति	–	23%
अनु.जन जाति	–	47%
अन्य पिछड़े वर्ग	–	11%

नई भर्ती

अनु.जाति, अनु.जन. जाति और अन्य पिछड़े वर्ग की नई भर्ती संबंधित वर्गों के लिए आरक्षित कोटे के अनुरूप की जाएगी।

कल्याणकारी गतिविधियां:

- शैक्षिक सुविधाएं - बर्ड ग्रुप के अधीन बीएसएलसी और ओएमडीसी आस-पास के स्कूलों और कॉलेजों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये कम्पनियां इमारतों के निर्माण, अध्ययन सामग्रियों की व्यवस्था, फर्नीचर, स्कूल बसों, इत्यादि की व्यवस्था के रूप में सहायता प्रदान करती हैं।
- अस्पताल सुविधाएं - ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा संचालित अस्पतालों में मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और कर्मचारियों का इलाज किया जाता है।
- कमजोर वर्ग के कर्मचारियों और आस-पास के ग्रामवासियों को भी कुएं, ट्यूबवैल इत्यादि की खुदाई कर पेय जल मुहैया कराया जाता है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच - कम्पनी ओएमडीसी और बीएसएलसी के अपने अस्पतालों में विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो, आरएनटीसीपी, इत्यादि कार्यक्रम चलाती है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत ओएमडीसी द्वारा समय-समय पर कमजोर वर्ग के कर्मचारियों तथा आस-पास के ग्रामवासियों को एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, ऑडियोमेट्री, ईसीजी, फेफड़ों की जांच, दांतों की जांच, आप्रेशन थिएटर इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

एमएसटीसी लिमिटेड

अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण छूट आदि के संबंध में किसी भी मामले में कार्रवाई करते/निर्णय लेते समय, सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में इन निर्देशों का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जाते हैं। विभागीय पदोन्नति समितियों के साथ-साथ चयन समितियों में (भर्ती के मामले में) अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करने और भविष्य में उच्च स्थिति ग्रहण करने के लिए उन्हें तैयार करने हेतु उनके कार्य से संबंधित क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण और विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) के दौरान 14 अनु.जाति एवं 8 अनु.जन जाति के कर्मचारियों को आंतरिक एवं संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की गयीं। इसके साथ एमएसटीसी द्वारा अनु.जाति/अनु.जन जाति कर्मचारी परिषद को सभी संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गई। यह परिषद मुख्य रूप से कम्पनी के आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है।

एमएसटीसी में वर्ग-वार वर्तमान जनशक्ति नीचे दी गई है:

अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक विकलांग/पूर्व सैनिकों की स्थिति (31.12.2006 को)

समूह	कुल	अ.जा. (%)	अ.ज.जा. (%)	अ.पि.वर्ग (%)	शारीरिक विकलांग (%)	पूर्व सैनिक (%)
क	139	20 (14.38)	8(5.75)	16 (11.50)	3 (2.15)	**शून्य**
ख	115	30 (26.08)	5(4.34)	2 (1.73)	3 (2.60)	1 (0.86)
ग	29	4 (13.79)	शून्य	5 (17.24)	1 (3.44)	शून्य
घ	18	8 (44.44)	1(5.55)	1(5.55)	1 (5.55)	**शून्य**
कुल	**301**	**62 (20.59)**	**14 (4.65)**	**24 (7.97)**	**8 (2.65)**	**1 (0.33)**

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

भर्ती एवं पदोन्नतियां

भर्ती एवं विभिन्न पदों पर पदोन्नति के मामले में अनु.जाति/अनु.जन जाति के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लाभ, रियायतें दी जाती हैं।

कम्पनी ने अनु.जाति/अनु.जन जाति के लिए पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया है। अनु.जाति/अनु.जन जाति के लिए आरक्षित पदों पर कोई भर्ती शेष नहीं है।

प्रशिक्षण

यह कम्पनी मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र में स्थित है एवं अर्हता प्राप्त अनु.जाति/अनु.जन जाति के उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में संस्थानों से फ्रेशर्स की भर्ती की जाती है और इन अनु.जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों को जॉब पर रहते हुए इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें और उनको प्रशिक्षण के बाद नियमित पदों पर समाहित किया जा सके।

सामाजिक गतिविधियां

कम्पनी ने आस-पास के क्षेत्रों में परिक्षेत्रीय विकास गतिविधियों की देख-भाल के लिए एक छोटा चिकित्सा कक्ष खोला है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी समय-समय पर स्थानीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के लाभ के लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके अंतर्गत कम्पनी द्वारा आस-पास के गांवों में स्थानीय डॉक्टरों की मदद से नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है और दवाइयां वितरित की जाती हैं।

मीकॉन लिमिटेड

मीकॉन लिमिटेड में दिसम्बर 2006 को समाज के कमजोर वर्ग (अनु.जाति, अनु.जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग) का मौजूदा रोजगार पैटर्न नीचे दिया गया है:

कुल जनशक्ति	**1,618**
अनु.जाति	182
अनु.जन जाति	79
अन्य पिछड़े वर्ग	132

मीकॉन लिमिटेड में कैलेंडर वर्ष 2006 (दिसम्बर 2006 को) में समाज के कमजोर वर्ग (अनु.जाति, अनु.जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग) की गई नई भर्ती के संबंध में स्थिति:

कुल भर्ती	**105**
अनु.जाति	22
अनु.जन जाति	7
अन्य पिछड़े वर्ग	18

अध्याय-X

सतर्कता

इस मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) प्रमुख हैं, जो संयुक्त सचिव स्तर के हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से की गई है। सीवीओ एक निदेशक और एक अवर सचिव तथा सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के केन्द्र के रूप में कार्य करता है। सतर्कता इकाई अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

- कदाचार/प्रलोभन वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकार के काम-काज में निष्ठा/कार्यदक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना।
- भ्रष्टाचार - रोधी उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करना।
- शिकायतों की संवीक्षा और उचित जांच उपाय शुरू करना।
- निरीक्षण और इनसे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच रिपोर्टों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विभागीय कार्यवाही के संबंध में उचित अथवा अन्यथा कार्रवाई करना।
- जहां आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पहले और दूसरे चरण की सलाह लेना।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए शिकायतों की जांच करना।
- इस मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जांच व उनका रिकार्ड रखना।

सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रम और सरकार के प्रबंधन में एक कंपनी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में सतर्कता इकाई का अध्यक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

विवेच्य वर्ष में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की दो बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समग्र कार्यनिष्पादन, विशेषकर गलत कार्य रोकने व दण्डीय सतर्कता के क्षेत्र में, की समीक्षा की गई तथा कुछ व्यवस्था परक सुधार सुझाए गये। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अनेक व्यवस्थापरक सुधारों पर अमल किया गया है और लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी हुई है।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने सतर्कता विभागों के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय के निर्देशों का अनुसरण करते हुए सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, मीकॉन और मॉयल के सतर्कता विभागों ने वर्ष के दौरान आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं। शेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लगे हुए हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने संगठनों में इंटेग्रिटी पैक्ट लागू करने के लिए भी समन्वित प्रयास शुरू कर दिए हैं।

इस्पात मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों को संगठनों में निष्ठा पक्ष को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आगामी वित्त वर्ष तक अपने संगठनों में निष्ठा पक्ष (आईपी) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

निवारक उपाय

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से प्राप्त सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निर्देशों/दिशा निर्देशों से संबंधित अनेक परिपत्रों को सख्त अनुपालन के लिए इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वितरित किया गया है। कालांतर कार्रवाई के रूप में इनकी प्रगति की निगरानी की जा रही है। हमारे द्वारा जारी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश व्यापक रूप से निम्न हैं:

- निविदा के उपरांत मोल भाव पर एल-1 के सिवाय पाबंदी लगा दी गई है।
- स्थानीय यात्रा रिआयत (एलटीसी)/उदारीकृत स्थानीय यात्रा रिआयत (एलएलटीसी) सुविधाओं के दुरुपयोग की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक प्रणाली तैयार करने की सलाह दी गई है।
- अज्ञात/छद्म शिकायतें फाइल होनी चाहिए।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों में कम्पनी की सतर्कता गतिविधियों और उपलब्धियों के विवरण के साथ एक अलग अध्याय शामिल होना चाहिए।
- संदेहास्पद अधिकारियों की सहमत सूची और संदिग्ध निष्ठा के राजपत्रित अधिकारियों की सूची केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परामर्श के साथ तैयार की जानी चाहिए और इसकी एक प्रति मंत्रालय को भेजते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजनी चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सीडीए नियामावलियों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
- मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा सीएजी ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा।

उपरोक्त बताए गए निर्देशों पर समुचित कार्रवाई के अलावा प्रकारांतर उपाय के रूप में इस मंत्रालय के अधीन जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भ्रष्टाचार वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- **भिलाई इस्पात कारखाने (बीएसपी)** में मांगपत्र भरने से लेकर आदेश देने तक क्रय प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी। महाप्रबंधक (ई) के नेतृत्व में दिनांक 21.6.2006 के आदेश द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।
- विभिन्न पार्टियों के विक्रय/रिलीज ऑर्डर के लिए एल्युमिनियम सल्फेट के निपटान प्रेषण पर **दुर्गापुर इस्पात कारखाने (डीएसपी)** में सिस्टम स्टडी। वर्तमान प्रणाली का व्यापक रूप से अध्ययन किया जा रहा है। तोल में भिन्नता दर्ज करने के लिए अचानक जांच की जा रही है।
- **राउरकेला इस्पात कारखाने (आरएसपी)** में गैर-हकदार अंतरंग मरीजों की बिलिंग का कम्प्यूटरीकरण। अध्ययन प्रगति पर है।
- **बोकारो इस्पात कारखाने (बीएसएल)** स्थित आपूर्तिकर्ताओं के परिसरों में सामग्रियों की प्रेषण पूर्व जांच नियमन प्रणाली। इस प्रणाली को दिनांक 12.7.2006 के आदेश द्वारा कार्यान्वित किया गया है और इससे स्थानीय आपातकालीन क्रय का रिकार्ड सुव्यवस्थित होगा।
- कन्वर्जन एजेंट ठेके के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा, विशेष रूप से **केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ)** में कन्वर्जन के लिए दी गई सामग्री के हिसाब-किताब के संबंध में। अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है और इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
- **रॉ मैटीरियल्स डिवीजन (आरएमडी)** की खानों में ठेकों और क्रय के लिए बिल अदायगियों और सभी खानों में बिल पासिंग रजिस्टर मानकीकरण प्रणाली। अध्ययन प्रगति पर है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह सभी कारखानों/यूनिटों में मनाया जाता है।

- **भिलाई इस्पात कारखाने (बीएसपी)** में आने वाले तैयार रोल्ड उत्पादों और अस्वीकृत तैयार उत्पादों की प्राप्ति प्रणाली में सुधार। अध्ययन प्रगति पर है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2006-07 के दौरान व्यवस्थापरक सुधारों के लिए निम्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और इनका अध्ययन किया जा रहा है:

- विपणन विभाग की उधार नीति।
- परियोजना ठेकों में तकनीकी मूल्यांकन।

मीकॉन लिमिटेड

- चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्चों पर नियंत्रण।
- आश्रित सूची और दुरुपयोग रोकने के लिए कदम।
- ठेका और खरीद विभाग।
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार नई खरीद, वित्त एवं ठेका प्रक्रिया को अंतिम रूप देना।
- सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में मीकॉन के कर्मचारियों में जागरूकता।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

साइट्स में सतर्कता से मासिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट को विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्टिंग शामिल करते हुए अधिक व्यापक बनाया गया है। जांच के विशेष बल वाले क्षेत्रों की नियमित समीक्षा की जाती है। जांच के लिए निम्न क्षेत्रों पर बल जारी रखा जाना है:

- सामग्रियों की खरीद, वर्क्स ठेके, प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियां (वृक्षारोपण, गाद निकालना, इत्यादि)।
- अतिरिक्त कलपुर्जों, उपभोग्य पदार्थों आदि की खरीद की समीक्षा क्योंकि कुद्रेमुख खनन प्रचालन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए निलंबित स्थिति में है।
- खरीद और संबंधित तकनीकी सिफारिशों की प्रमुख मदें।
- कार्योत्तर मंजूरी वाले प्रस्ताव।
- अनुरक्षण ठेके (यातायात, मशीनरी, इमारतों, नगरियों, कैंटीन, ठेका श्रम, सिविल प्रतिष्ठानों, इत्यादि के ठेकों समेत)।
- अतिरिक्त भंडार/सामग्रियों, स्क्रैप, इत्यादि के मांग पत्र एवं निपटान।
- नई परियोजनाओं/शिफ्टिंग, सामग्रियों, उपकरणों इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना।
- कच्चे लोहे और अन्य किस्को उत्पादों का विपणन एवं ठेके।
- ओईएम के बड़े ठेकों पर विशेष बल जहां अतिरिक्त कलपुर्जे बाहर से लेने मुश्किल हैं।
- कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने/त्यागपत्र देने पर कार्यमुक्त करना - सतर्कता मंजूरी अधिक व्यवस्थित रूप से ली जा रही है।

रोजमर्रा प्रशासन, भवनों के सिविल रख-रखाव के क्षेत्रों में अचानक जांच की जा रही है ताकि सतर्कता की उपस्थिति का अहसास हो और जिन क्षेत्रों में कम जांच होती है उनमें प्रणाली में सुधार किया गया। इसके अलावा, साइट प्राधिकारियों द्वारा दाखिल मासिक सूचियों से चुनिंदा वर्क्स में अचानक जांच की जाती है।

ठेका रिकॉर्डों, जारी कार्यों, उच्च मूल्य खरीद आदेशों/कार्य आदेशों इत्यादि की गहन जांच पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे सुधार के लिए कुछ सुझाव मिले हैं और इससे प्रचालन अधिकारियों के लिए चेतावनी/सावधानी भी मिल रही है।

निविदाओं की पारदर्शिता - केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी निविदाओं को कम्पनी की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य हो गया है। यहां तक कि सीमित निविदाएं भी व्यापक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट पर अधिसूचित की गई हैं। छोटी कीमत के स्थानीय निविदाओं को आमतौर पर वेबसाइट पर नहीं डाला जाता बल्कि कम्पनी के नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है।

किस्को और केओआईसीएल की वेबसाइट में सरकारी पोर्टल पर निविदाओं को एक्सेस करने के लिए एनआईसी http://www.tenders.nic.in पर एक

लिंक दिया गया है। यद्यपि केओआईसीएल और किस्को को अलग-अलग एनआईसी लॉगिन आइडेंटिटी और पासवर्ड दिया गया है। अब केओआईसीएल और किस्को की निविदाओं को जनरल पोर्टल में एक्सेस किया जा सकता है।

किस्को में कच्चे लोहे के विक्रय जैसे चुनिंदा मदों के लिए रिवर्स ऑक्सन प्रणाली शुरू की गई है। इसकी प्रतिक्रिया संतोषजनक पाई गई है। आमतौर पर यह पाया गया है कि पार्टियां रिवर्स ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने में हिचकेंगी। यद्यपि यह प्रक्रिया अच्छी है पर धीमी है और सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं की इसमें सीमित सहभागिता ही हो पाती है।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

एनएमडीसी के सतर्कता विभाग को मैसर्स इंटल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रा. लिमि. द्वारा 27.11.06 को आईएसओ 9001:2000 से सम्मानित किया गया है। एनएमडीसी के सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली का आंकलन करने एवं यह प्रमाणित करने पर कि यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानकों के अनुरूप है, के उपरांत यह सम्मान मिला है।

20 लाख रुपये और अधिक राशि की खुली निविदाओं और 30 लाख रुपये और अधिक राशि की सीमित निविदा पूछताछ को एनएमडीसी की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

कर्मचारियों, बिक्रेताओं, उपभोक्ताओं और आम जनता से प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय पर ध्यान देने के लिए एक 'नोडल प्राधिकारी' के रूप में एनएमडीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' के आयोजन के अंतर्गत, बिक्रेताओं और ठेकेदारों के साथ परामर्श करने के बाद प्रणालियों और प्रविधियों को देखने के लिए बिक्रेताओं और ठेकेदारों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आये विभिन्न सुझाओं पर, जहाँ संभव हो, कार्यान्वयन के लिए विचार किया जा रहा है।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

- लौह अयस्क के सभी उत्पादों को ऑक्सन/ई-ऑक्सन के जरिए बेचा जा रहा है।
- क्रय प्रणालियां बना ली गई हैं और शुरू कर दी गई हैं।
- कोलकाता में कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली शुरू कर दी गई है।
- ओएमडीसी की खानों में कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होने के लिए सजग करने का सायरन लगाया गया है।
- कार्यपालकों के लिए मूल्यांकन फार्म शुरू किया जा रहा है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

यह कंपनी सतर्कता चेतना जागृत करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। निगमित स्तर पर बचावपरक सतर्कता तैयार की जा रही है और समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त/प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

वर्ष 2006 के दौरान, बचावपरक और सुधारात्मक सतर्कता मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रमुख पूर्ण किये गये कार्य, निम्नवत हैं:

- कार्यरत कार्यपालकों के रिश्तेदारों को कंपनी के साथ कार्य ठेका करने से आयोग्य कर दिया गया है।
- सभी 30 लाख रुपये मूल्य से अधिक के कार्य ठेके खुली निविदा के जरिये दिये जा रहे हैं।
- अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, फाइनल की गई निविदाओं का विवरण कंपनी के पोर्टल पर डाला गया।
- कंपनी के वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की गई है।
- मॉयल में अन्यंत उत्साह के साथ ई-कॉमर्स (ई-सेल्स और ई-प्रोक्योरमेंट) शुरू किया गया है।

अध्याय-XI

परिवेदना निवारण तंत्र

इस्पात मंत्रालय परिवेदना कक्ष

इस्पात मंत्री का परिवेदना केन्द्र इस्पात मंत्रालय में जुलाई, 2004 से कार्य कर रहा है। यह कक्ष इस्पात मंत्री के कार्यालय में या सीधे इस कक्ष के पास प्राप्त जन-साधारण तथा उपभोक्ताओं की इस्पात तथा इस्पात उत्पादों से संबंधित परिवेदनाओं/शिकायतों/सुझावों के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करता है। इसके अलावा, जन-साधारण से याचिकाएं प्राप्त करने एवं उनका निपटान करने के लिए, मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को परिवेदना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयत्रों और इकाइयों में कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए पृथक प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं। शिकायत पद्धति सतत् रूप से विचार-विमर्श और कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशनों की सहमति के बाद तैयार की गई है। सेल के संयंत्रों/इकाइयों में शिकायतें तीन चरणों में निपटाई जाती हैं और अनियमितताओं, कार्यशर्तों, स्थानांतरण, छुट्टी, सौंपे गये कार्यों और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित उठाई गयी शिकायतों के लिए प्रत्येक चरण पर कर्मचारियों को अवसर दिया जाता है। शिकायत प्रबन्धन की समय-परीक्षित प्रणाली के जरिए इस प्रकार के मुद्दों का प्रभावी ढंग से निपटान किया जाता है। तथापि, संयंत्रों में विद्यमान भागीदारी स्वरूप के परिवेश को ध्यान में रखते हुए अधिकांश शिकायतों का समाधान अनौपचारिक रूप से किया जाता है। यह प्रणाली विस्तृत, सरल और उदार है तथा कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

1.4.2006 से 31.12.2006 के बीच जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति निम्नवत है:

1.4.2006 को बकाया परिवेदनाओं की संख्या	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	31.12.2006 को लंबित मामलों की संख्या
26	1535	1549	12

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

जनशिकायत निवारण प्रणाली को सुचारु बनाया गया है और आपूर्तिकर्त्ताओं, उपभोक्ताओं आदि की शिकायतों को शामिल करने के लिए इसका दायरा व्यापक बनाया गया है और इस तरह की शिकायतों की प्राप्ति एवं निपटारे को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जा रहा है। जन शिकायतों को केन्द्रीयकृत रूप से देखने एवं निगरानी करने के लिए विशेष कार्य अधिकारों के रूप में उप महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ कार्यपालक को नामित किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में आवश्यक बल प्रदान किया जा सके। जन शिकायतों का समय सारणी के अनुसार निवारण करने की दृष्टि से पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई और प्रत्येक विभाग में शिकायतों के निवारण का संयोजन करने के लिए उप मुख्य प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक श्रेणी के एक कार्यपालक को नामित किया गया है।

कर्मचारी परिवेदनाएं

आरआईएनएल में क्षेत्र शिकायत समाधान मंच (एजीआरईएफ) और केन्द्रीय शिकायत समाधान मंच (सीईएनजीआरईएफ) जैसी समिति प्रणालियों के जरिये कर्मचारियों की शिकायतों को देखने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान का संयोजन क्षेत्रीय कार्मिक कार्यपालकों द्वारा किया जाता है जो एकत्रित करने, कंप्यूटरीकरण एवं निगरानी के लिए कर्मचारियों से प्राप्त कुल शिकायतों और उनके समाधान आदि की प्रगति की मासिक रिपोर्ट भेजते हैं। शिकायतों के समाधान की इस सम्पूर्ण प्रणाली की निगरानी केन्द्रीय रूप से कार्मिक-समन्वय अनुभाग द्वारा की जाती है।

1.4.2006 से 31.12.2006 के बीच जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति निम्नवत है:

संगठन का नाम	1.4.2006 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	इस अवधि के दौरान निपटाये गये मामलों की सं.	31.12.2006 को लंबित मामलों की सं.
आरआईएनएल, वीएसपी	शून्य	15	15	शून्य

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

केआईओसीएल में मार्च, 1977 के अनुशासन संहिता के अधीन परिवेदना निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया है, जो कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों दोनों पर लागू है। आरंभ से ही यह योजना संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और मान्यता प्राप्त मजदूर संघों या कार्यपालक एसोसिएशन, किसी भी पक्ष से, इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। संगठन में कर्मियों की संख्या सीमित होने के कारण शिकायतों की पहचान आसानी से हो जाती है तथा उत्पत्ति के स्थान पर ही उनका निवारण किया जाता है।

जब भी कंपनी को लिखित में जनता से कोई शिकायत मिलती है, उसकी तुरन्त स्वीकृति की जाती है। ऐसी शिकायत की ध्यान से जांच की जाती है तथा तुरन्त कार्रवाई के लिए उसका विश्लेषण किया जाता है। जनता/कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए दो निदेशकों तथा दो महाप्रबंधकों को परिवेदना निवारण निदेशक बनाया गया है।

1.4.2006 से 31.12.2006 के बीच जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति निम्नवत है:

क्र. सं.	संगठन का नाम	1.4.2006 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	इस अवधि के दौरान निपटाये गये मामलों की सं.	31.12.2006 को लंबित मामलों की सं.
1	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	3	6	6	3

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल की अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों के निपटान की अपनी प्रक्रिया है। इसी के अनुरूप नियमानुसार कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है।

मॉयल की शिकायत निपटान प्रणाली में इस कार्य के लिए नामित हर यूनिट में एक परिवेदना अधिकारी होता है। मुख्यालय के लिए नामित परिवेदना अधिकारी यूनिटों के परिवेदना अधिकारियों की गतिविधियों का बेहतर निष्पादन के लिए समन्वय करता है।

सभी परिवेदना अधिकारियों को अपने पास आई जन शिकायतों के निपटान के तौर-तरीके की जानकारी दी गई है। जन शिकायतों के निपटारे के लिए अपनाई गई नीति अतीत में विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त निर्देशों पर आधारित है।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

एनएमडीसी मुख्यालय में महाप्रबंधक और चारों उत्पादन परियोजना में हरेक परियोजना प्रमुख परिवेदना तंत्र के अध्यक्ष हैं। यह तंत्र संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। तथापि प्राप्त शिकायतों की संख्या काफी कम है और इस कारण इनका कंप्यूटरीकरण नहीं हो पाया है। इस संगठन में जन संपर्क काफी कम होने के कारण कोई समय सीमा आदि निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी जब कोई लोक शिकायत (प्रेस सहित) प्राप्त होती है, उसका तत्परता से निपटारा किया जाता है। कर्मचारी/जन-शिकायतों की मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट स्थिति बताते हुए मंत्रालय को भेजी जाती है।

जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति

क्र. सं.	संगठन का नाम	बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं का संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1	**एनएमडीसी**- जन-परिवेदनाएं	शून्य	-	-	-
2	कर्मचारी परिवेदनाएं	शून्य	-	-	-

एमएसटीसी लिमिटेड

आम लोगों तथा कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए एक लोक-शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में इस प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में व्यापक प्रचार किया गया है। प्राप्त शिकायतों की, संबंधित विभागाध्यक्ष और यदि शिकायत सामूहिक स्वरूप की है तो कभी-कभी कर्मचारी यूनियन के परामर्श से इस प्रकोष्ठ में जांच की जाती है। चूँकि एमएसटीसी एक बहुत ही छोटा संगठन है जिसके प्रत्येक विभाग/कार्यालय में

अधिकतम 20 से 30 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की विभागाध्यक्षों एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तक सीधे पहुंच है। इसलिए औपचारिक कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार कार्यस्थल पर औरतों के यौन शोषण से बचाव हेतु भी एक समिति गठित की गई है।

01.04.2006 से 31.12.2006 की अवधि में परिवेदनाओं की स्थिति

क्र. सं.	संगठन का नाम	01.04.2006 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.12.2006 को लंबित मामलों की संख्या
1	**एमएसटीसी**- जन परिवेदनाएं	2	8	8	2
2	**एमएसटीसी**- कर्मचारी परिवेदनाएं	0	2	2	-
	कुल	**2**	**10**	**10**	**2**

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल एकीकृत इस्पात कारखानों को स्क्रैप वसूली और प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है। अत: कंपनी का जन-साधारण के साथ सीधे संपर्क नहीं है। फिर भी, यदि जनता से कोई शिकायत मिलती है तो उसका तुरन्त निवारण किया जाता है।

कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए परिवेदना निवारण योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष की पूर्ण संतुष्टि सहित निर्धारित समय में परिवेदना का निवारण किया जाता है।

01.04.2006 से 31.12.2006 के बीच जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति

संगठन का नाम	01.04.2006 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.12.2006 को लंबित मामलों की संख्या
एफएसएनएल-जन परिवेदनाएं	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
एफएसएनएल-कर्मचारी परिवेदनाएं	1	11	6	6

मीकॉन लिमिटेड

मीकॉन का आमतौर पर आम जनता से सम्पर्क नहीं होता है। परंतु किसी भी किस्म की प्रताड़ना से संबंधित कोई भी विशिष्ट शिकायत को परिवेदना के रूप में माना जाता है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या आम जनता से कोई परिवेदना लंबित नहीं है।

इस्पात मंत्रालय की सलाह पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्वागत कक्ष के नज़दीक यह सूचना दी गई है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आम जनता किस अधिकारी से संपर्क कर सकती है। जन शिकायतों से संबंधित मामलों में आम जनता के प्रतिनिधियों को विभाग के संबंधित अधिकारियों और उपरोक्त पदनामित अधिकारियों से मिलने का मौका दिया जाता है। हमने जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी अधिकारियों को पदनामित किया है और आम जनता के सूचनार्थ इसको समचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के जरिये व्यापक रूप से प्रचार किया गया है।

अध्याय-XII

नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सभी उपक्रमों में नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी नियमों को पूर्णत: कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) के दौरान नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति

संगठन का नाम: इस्पात मंत्रालय

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल+ एचआई+ एलडी)	नि:शक्त व्यक्तियों का % (कॉलम 3 एवं कॉलम 1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है, तो उसका कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
समूह	सं.	बीएल	एचआई	एलडी					
क	45	–	–	–	–	–	–	–	–
ख	105	–	–	–	–	–	–	–	–
ग	60	–	1	1	2	3.33	फीडर श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार का न होना		
घ	68	–	–	1	1	1.47	–	–	–

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

नि:शक्तता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व: 31.12.2006 की स्थिति

समूह	कर्मचारियों की संख्या	नि:शक्त व्यक्तियों की सं.			नि:शक्त वीएच+एचएच+ ओएच	नि:शक्त व्यक्तियों का % (संदर्भ कॉ. 2)
		वीएच	एचएच	ओएच		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क	16,262	0	6	45	51	0.31
ख	45,309	9	38	270	317	0.70
ग*	71,986	24	41	369	434	0.60
घ#	1,479	0	1	1	2	0.14
कुल	**1,35,036**	**33**	**86**	**685**	**804**	**0.60**

** सफाई कर्मियों को छोड़ कर # केवल सफाई कर्मी*

टिप्पणी:

(i) सेल में पिछले कुछ वर्षों में भर्ती काफी सीमित एवं जरूरत पर आधारित रही है। भर्तियां प्रमुख रूप से कारखाना प्रचालन से जुड़े पदों के लिए की गयीं, जो शारीरिक नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(ii) चिन्हित पदों में कर्मचारियों की संख्या समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए संगत है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल की अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए व्यापक चिकित्सा हितलाभ योजना है। यह योजना नि:शक्त कर्मचारियों की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखती है। इसके अलावा, कम्पनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति के अंतर्गत नि:शक्त कर्मचारियों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने, कम्पनी के कर्मचारियों की पत्नियों के संगठन महिला समिति की साझेदारी में शारीरिक रूप से

अपूर्ण बच्चों के लिए ''अरुणोदय स्पेशल स्कूल'' नामक विद्यालय स्थापित किया है। इस स्कूल का प्रावधान 10 लाख रुपये लागत की एक विशेष रूप से डिजायन की गई बस में किया गया है। इसके अलावा, सीएसआर योजना के तहत विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के आस-पास के गाँवों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वर्ष 2006-07 में कृत्रिम अंगों, तिपहिया साइकिलों, कैलिपर्स खरीदने के 4.65 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति:

समूह	अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या (अर्थात् 7.2.1996)	कॉलम 1 में नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल बीएल+ एचआई+ एलडी	नि:शक्त व्यक्तियों का % (कॉलम 3 एवं कॉलम 1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण*	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
		बीएल	एचआई	एलडी	एलडी				
क	43 @	–	–	2	2	4.65	–	–	–
ख	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग	132	2	1	1	4	3.03	–	–	–
घ	54	1	1	1	3	5.56	–	–	–
कुल	**229**	**3**	**2**	**4**	**9**	**3.93**	–	–	–

संकेतक: बीएल – नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई – बधिरता, एलडी – गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात

** नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिशत 3 से कम नहीं, जिसमें से निम्न में से प्रत्येक के लिए 1% आरक्षण*

i) नेत्रहीन एवं कम दृष्टि ii) बधिरता iii) गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात

@ नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पद

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

नि:शक्त व्यक्तियों के (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति

अप्रैल, 1976 में केआईओसीएल के गठन के पश्चात से शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। निर्देशों के अनुरूप नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

नेत्रहीन – 1%
बधिर – 1%
हड्डी रोगी – 1%

विभिन्न समूहों में 31.12.2006 को शारीरिक तौर पर विकलांग कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल बीएल+ एचआई+ एलडी	नि:शक्त व्यक्तियों का % (कॉ.3 एवं कॉ.1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण*	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
1		2			3	4	5	6	7
समूह		बीएल	एचआई	एलडी					
क	353	1	–	2	3	0.85	कृपया संदर्भ लें #		
ख	118	–	–	2	2	1.69			
ग	947	1	2	8	11	1.16	कृपया संदर्भ लें #		
घ	130	–	3	–	3	2.31			
कुल	**1,548**	**2**	**5**	**12**	**20**	**1.23**			

संकेतक: बीएल – नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई-बधिरता, एलडी – गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात।

** नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिशत 3 से कम नहीं, जिसमें से निम्न में से प्रत्येक के लिए 1% आरक्षण*

i) नेत्रहीन एवं कम दृष्टि ii) बधिरता iii) गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात

 # निर्देशों के अनुसरण में, 1980 के दौरान औद्योगिक इंजीनियरी विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। केआईओसीएल एक अत्यंत परिष्कृत पूर्णत: यंत्रीकृत खनन संगठन होने के कारण, यहाँ तकनीकी क्षेत्रों में शारीरिक नि:शक्त लोगों को रोज़गार पर रखना सुरक्षा के लिए जोखिम है और क्योंकि

यहां प्रचालन प्रमुख रूप से अर्थमूविंग उपकरणों और परिष्कृत मशीनरी के जरिये किया जाता है, शारीरिक नि:शक्त लोगों को रोज़गार देने की गुंजाइश अत्यंत सीमित है। इसलिए शारीरिक नि:शक्त लोगों की योग्यता और संगठन में उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों को देखते हुए सभी तीन श्रेणियों में शारीरिक नि:शक्त लोगों को रोज़गार देने के लिए कुछ पदों को चिन्हित किया गया है।

केआईओसीएल अपने सभी कार्य-कलापों में पर्याप्त सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं विशेषकर जहां विकलांग काम करते हैं, उपलब्ध कराता है और सुनिश्चित करता है कि विकलांगता किसी भी प्रकार से काम में आड़े नहीं आए।

चिन्हित पदों पर शारीरिक विकलांगता के कारण भर्ती व पदोन्नति के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

समूह	31.03.2006 को कुल कर्मचारियों की संख्या	चिन्हित पदों की की संख्या, जहां शारीरिक विकलांग व्यक्ति पदस्थ हो सकें	नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या (बीएल+ एचआई+एलडी)	कॉलम 4 का %	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
क	197	30	—	—	(*)	(*)
ख	164	85	—	—		
ग	1,460	260	8	3.07%		
घ	5,177	95	7	8.42%		
कुल	**6,998**	**460**	**15**	**3.47%**		

*(*) चूंकि मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड खनन कम्पनी है और इसके प्रमुख कार्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित भूमिगत खानों में किए जाते हैं। अत: खान अधिनियम और धात्विक लौह खनिज विनियम के अंतर्गत सांविधिक प्रतिबंधों के कारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से खानों में कठोर प्रवृत्ति के कार्यों पर नि:शक्त व्यक्तियों को तैनात नहीं किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में चिन्हित वर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। जब भी भर्ती होगी तब इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा।*

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

वर्ष 2006-2007 (अप्रैल-दिसम्बर 2006) में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल+ एचआई+ एलडी)	नि:शक्त व्यक्तियों का % (कॉ.3 एवं 1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण *	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई
1		2			3	4	5	6
समूह		बी एल	एच आई	एल डी			एनएमडीसी एक खनन कंपनी है और उस पर खनन अधिनियम के प्रावधान व नियम लागू होते हैं। अत: सुरक्षा कारणों से विकलांग व्यक्तियों को उन पदों पर नहीं रखा जा सकता जिन पर खान/ कारखाने में कार्य करना हो।	एनएमडीसी में इस समय विभिन्न पदों पर 35 नि:शक्त कर्मी हैं। जब कभी भविष्य में भर्तियां होती हैं तो शारीरिक रूप से विकलांग पात्र व्यक्तियों को उनके लिए उपयुक्त पदों पर रोज़गार देने हेतु पूरा विचार किया जाएगा।
क	909	–	–	3	1+2+32	0.63%		
ख	1,102	–	–	10				
ग	2,382	–	2	15				
घ	1,139	1	–	4				
कुल	**5,532**	**1**	**2**	**32**	**35**	**0.63%**		

संकेतक: बीएल – नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई- बधिरता, एलडी-गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात

** नि:शक्तता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 3% से कम नहीं, जिसमें से निम्न में से प्रत्येक के लिए 1% आरक्षण*

(i) नेत्रहीन और अल्प दृष्टि (ii) बधिरता (iii) गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष 2006-07 में (दिसम्बर 2006 तक) में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति

कर्मचारियों की संख्या		नि:शक्त व्यक्तियों की सं.			कुल (बीएल+ एचआई+ एलडी)	नि:शक्त व्यक्तियों का %	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
समूह		बी एल	एच आई	एल डी			जैसे कि बताया गया है*		
क	155	–	1	–	1	0.65			
ख	386	–	–	–	–	–			
ग	619	–	–	–	–	–			
घ	03	–	–	–	–	–			
कुल	**1,163**		**1**		**1**	**0.65**			

संकेतक: बीएल – नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई –बधिरता, एलडी – गति विषयक अपंगता अथवा प्रमष्तिकीय पक्षाघात

* *एफएसएनएल एक स्क्रेप प्रसंस्करण कम्पनी है, जो एकीकृत इस्पात कारखानों को सेवाएं प्रदान कर रही है। इस कम्पनी की प्रचालन गतिविधियां हर मौसम में खुले क्षेत्र में चलाई जाती हैं। इसके अलावा, प्रचालन गतिविधियों को चलाने के लिए बॉलिंग क्रेन्स, मैगनेटिक सेपरेटर्स, डोजर्स, डम्पर्स इत्यादि जैसे प्रमुख भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से नि:शक्त लोगों के लिए एफएसएनएल का परिवेश/कार्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इसलिए विकलांग लोगों को इस क्षेत्र में कार्य पर लगाना उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।*

मीकॉन लिमिटेड

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

मीकॉन द्वारा निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपनी सामुदायिक विकास समिति के जरिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ नि:शक्त लोगों को मिलता है। इन योजनाओं में विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैल्डिंग, कम्प्यूटर एप्लिकेशन, सिलाई इत्यादि में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जाता है और कृषक समुदाय में बीज और पौधे वितरित किए जाते हैं। एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता सहित समय-समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है, दवाइयों और कपड़ों इत्यादि का नि:शुल्क वितरण किया जाता है।

अध्याय-XIII

हिन्दी का प्रगामी उपयोग

इस्पात मंत्रालय

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा केन्द्र की राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिक उपयोग किया है।

श्री राम विलास पासवान, माननीय केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक में।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी उपयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी देख-रेख की जा रही है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के प्रभार के अंतर्गत दो हिन्दी अनुभाग हैं। हिन्दी कार्यान्वयन अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य देखता है और इस अनुभाग में एक अनुभाग अधिकारी, एक सहायक, एक निम्न श्रेणी लिपिक और एक चपरासी (शेयरिंग आधार पर) है। हिन्दी अनुवाद अनुभाग हिन्दी अनुवाद से जुड़े कार्य देखता है और इसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, तीन कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक और एक चपरासी (शेयरिंग आधार पर) है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। यह समिति मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2006 तक समिति की ऐसी तीन बैठकें आयोजित हो गई हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति

इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का 30 नवम्बर 2004 को पुनर्गठन किया गया था। वर्ष के दौरान समिति की 3 जून 2006 को बैठक हुई।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। केन्द्र सरकार के 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी में पत्र जारी सुनिश्चित रूप से करने के लिए मंत्रालय में जांच बिंदुओं को चिन्हित किया गया है।

राजभाषा शील्ड/ट्रॉफियां

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार), इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (द्वितीय पुरस्कार) और इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार) और 'ग' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक राजभाषा शील्ड रखी गई है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष हिन्दी के प्रगामी वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार पर उपक्रमों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय में हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को भी पदक से सम्मानित किया जाता है।

हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार

इस्पात उद्योग तथा इससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में तकनीकी पुस्तकें लिखने के लिए नगद पुरस्कार देने की एक योजना भी मंत्रालय में चलाई जा रही

है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रत्येक के लिए क्रमश: 20,000 रुपये, 16,000 रुपये और 10,000 रुपये की राशि दी जाती है।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 सितम्बर 2006 को माननीय इस्पात मंत्री एवं माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा अपील जारी की गई। मंत्रालय में 1 सितम्बर से 14 सितम्बर 2006 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं और हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर बल जारी रखा। कम्पनी ने सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली से प्रथम पुरस्कार और इस्पात मंत्रालय से एक अन्य प्रथम पुरस्कार समेत कारखानों/यूनिटों के स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, इसकी हिन्दी गृहपत्रिका **''इस्पात भाषा भारती''** को वर्ष 2005-06 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वश्रेष्ठ हिन्दी पत्रिका घोषित करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली से प्रथम पुरस्कार मिला है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा सेल को लगातार तीसरे वर्ष प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के हिन्दी कक्ष द्वारा कारखाने में राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- **हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण:** 450 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपराइटिंग और 56 कर्मचारियों को हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित किया गया।
- **हिन्दी कार्यशालाएं:** विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र सरकार की नीति के अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। अब तक 78 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान दो कार्यशालाएं हुईं और 15 कार्यपालकों एवं 35 गैर-कार्यपालकों को प्रशिक्षित किया गया।
- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:** विशखापट्टनम इस्पात संयंत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रमुख अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं और सभी कार्यरत निदेशक एवं महाप्रबंधक उसके सदस्य हैं। यह समिति हर तिमाही में नियमित रूप से मिलती है और पिछली तिमाही के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा करती है। अब तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 85 बैठकें आयोजित हुई हैं। दो बैठकें 4.5.2006 और 10.8.2006 को हुईं।
- **हिन्दी पुस्तकों की खरीद:** विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए हर वर्ष हिन्दी पुस्तकें खरीदी जाती हैं और यहां 2.5 लाख रुपये मूल्य की हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हिन्दी पुस्तकों के पाठकों की संख्या संतोषजनक पाई गई। अन्य कार्यक्रमों के लिए भी 50,000 रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीद कर कर्मचारियों में वितरित की गईं। इस्पात नगरी में भी क्लबों और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकें रखी जाती हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कम्पनी राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है। कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार के निर्देशों के अनुरूप नगद पुरस्कार और वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। कर्मचारियों को अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में करने की दिशा में बढ़ावा देने एवं जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान के प्रसार बढ़ाने के लिए नियमित

रूप से हिन्दी कार्यशालाएं व ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हिन्दी में सरकारी काम-काज करने वाले कर्मचारियों को नगद पुरस्कार दिए जाते हैं।

कम्पनी की सभी लेखन सामग्री, नामपट्ट और नाम बोर्ड द्विभाषी हैं। वार्षिक प्रतिवेदन, सहमति पत्र, गृह पत्रिका, कर्मचारी पेंशन योजना, इत्यादि हिन्दी में भी मुद्रित की जाती हैं। सभी विभागों को कम्प्यूटर में हिन्दी सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में पिछली तिमाही में की गई प्रगति की समीक्षा की जाती है। कम्पनी के सभी केन्द्रों में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी कार्यक्रमों और अनेक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 6 जून 2006 को शिलाँग में हुई और कम्पनी को माननीय केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, श्री राम विलास पासवान द्वारा ''सी'' क्षेत्र में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

कम्पनी ने वर्ष 2006-07 के दौरान अपनी समस्त उत्पादन इकाइयों एवं मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयास जारी रखे। प्रशासनिक के साथ-साथ तकनीकी क्षेत्रों में भी राजभाषा के उपयोग के लिए सफल प्रयास किए गए।

मुख्यालय के साथ-साथ उत्पादन यूनिटों में वर्ष के दौरान राजभाषा तकनीकी/व्यावसायिक संगाष्ठियां आयोजित हुईं। हिन्दी गृह पत्रिकाओं के अलावा राजभाषा स्मारिका एवं तकनीकी पुस्तकों को भी प्रकाशित किया गया।

एनएमडीसी को कम्पनी में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड से अनेकों बार सम्मानित किया गया।

कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों एवं यूनिटों और आस-पास के क्षेत्रों में स्थित अन्य स्थानीय कार्यालयों के कर्मचारियों में भी जागरूकता लाने के लिए वर्ष के दौरान 'हिन्दी दिवस', 'राजभाषा पखवाड़ा', 'राजभाषा माह' इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कम्पनी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार के सभी निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करती है। कम्पनी में हिन्दी दिवस मनाया जाता है तथा हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान, हिन्दी प्रश्नोत्तरी इत्यादि जैसी विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग और हिन्दी टाइपिंग के लिए भी वार्षिक नगद पुरस्कार दिए जाते हैं।

मीकॉन लिमिटेड

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकारी काम-काज में हिन्दी का उपयोग करने की दृष्टि से कम्पनी के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक गतिविधियां की गईं। मीकॉन के मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में बड़े उत्साह के साथ भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है। कर्मचारियों को अपना काम-काज हिन्दी में करने को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी पखवाड़े के दौरान कोचिंग कक्षाओं के अलावा, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

कंपनी में हिन्दी के प्रगामी उपयोग एवं राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को निरंतर अपेक्षित महत्व दिया जाता रहा है। कर्मचारियों में राजभाषा की शब्दावली एवं ज्ञान को पुन: बढ़ाने और छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने के लिए कहानी, कविता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सभी स्तरों पर कर्मचारियों में हिन्दी के उपयोग का प्रचार-प्रसार करने के लिए कंपनी घरेलू समाचार पत्रिका ''संकल्प'' भी प्रकाशित करती है। जैसे कि कंपनी पिछले 8 वर्षों में इस्पात मंत्रालय से प्रथम पुरस्कार अर्जित करती आ रही है, ''चल वैजयंती'' पुरस्कार स्थायी रूप से कंपनी को दिया जाता है। इसके अलावा, 10 वर्षों के काफी लम्बे समय तक प्रथम स्थिति कायम रखने के लिए, कंपनी ने वर्ष 2006 में ''सहस्त्राब्दि शील्ड'' भी प्राप्त की है।

अध्याय-XIV

महिला सशक्तिकरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं एवं मानकों को मान्यता देते हुए कार्य में महिलाओं को बराबरी के दर्जे का उल्लेख किया और निर्णय दिया कि कार्यस्थल में यौन शोषण महिलाओं की मर्यादा के विरुद्ध है और भारतीय संविधान की धारा 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी रोज़गारदाताओं को, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों अथवा निजी क्षेत्र में, यौन शोषण रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिएं। शिकायतों की सुनवाई की व्यवस्था के अंग के रूप में, सभी संगठनों में शिकायत समिति गठित की जाए जिसमें तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व हो तथा जिसकी प्रमुख कोई महिला हो और जिसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएं हों।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिनमें तीन सदस्य महिलाएं हैं और इसकी प्रमुख एक महिला अधिकारी है। इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश लागू करने का निर्देश दिया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्र में लगभग 8,500 महिला कर्मचारी हैं, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 6% है। कम्पनी में सभी स्तरों पर चयन, भर्ती, पदस्थापना अथवा पदोन्नति के लिए समान अवसर प्रदान किये जाते हैं और लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। लिंग भेद के बिना सभी कर्मचारियों को रोजगार में आगे बढ़ने के लिए सामान अवसर प्रदान करना सेल की व्यावसायिक विकास नीति का महत्वपूर्ण भाग है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य की परिचायक है कि कुछ वर्षों में महिलाएं सेल के कुछ उच्च पदों पर आसीन होंगी।

कम्पनी की प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत महिलाओं सहित सभी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के बाद प्रशिक्षण नीति तैयार की जाती है। महिला कर्मचारियों के कैरियर विकास और जॉब प्रोफाइल को देखते हुए सभी क्षेत्रों में विशिष्ट/तकनीकी/प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

सेल ने प्रत्येक कारखाने और यूनिट में कम्पनी की चारदिवारियों के अन्दर सभी कर्मचारियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व के साथ क्रैच, पृथक वाशरूम, कैंटीन इत्यादि की व्यवस्था करते हुए यौन शोषण की रोकथाम के लिए समिति गठित करने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। महिला

सेल सब को समान रोज़गार अवसर प्रदान करती है एवं महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखती है।

कर्मचारियों के लिए प्रसव अवकाश, बच्चे की देखभाल अवकाश हितलाभ जैसी अपनी नीतियों में भी कम्पनी के संवैधानिक उत्तरदायित्व की झलक मिलती है।

सेल ने समाज में महिलाओं के व्यापक लाभ के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपाय किए हैं। इन गतिविधियों में लड़कियों के लिए साक्षरता अभियान से लेकर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, प्रसव उपरांत सेवाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों से लेकर, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, एड्स नियंत्रण से संबंधित सूचनापरक कार्यक्रम शामिल हैं। सेल के कारखानों और यूनिटों में महिला समितियां भी बाल श्रम/दहेज, महिलाओं के शोषण, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोज़गार, शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़कर सामाजिक मसलों के प्रति जागरूकता लाने में लगी हुई हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2005-06 और 2006-07 (1.4.2006 से 31.12.2006 तक) के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं:

- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन किया गया।
- मानसिक समस्याओं और पारिवारिक परामर्श के लिए महिलाओं को परामर्श देने के लिए 18 महिला परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित किया गया।
- पद्मविभूषण और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. वी. शांता द्वारा महिला कर्मचारियों और गृहणियों के लिए महिलाओं में आम कैंसर विषयक एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।
- सभी कर्मचारियों के लिए दवा मुक्त जीवन पर एक परिचर्चा और नितांत रूप से महिला कर्मचारियों के साथ-साथ गृहणियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- पास के एक गांव लंकालापेल्लम में एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एक पुनर्वास कॉलोनी (अगनामपुड़ी) में नि:शुल्क श्वसन क्लीनिक आयोजित किया गया।
- महिला कर्मचारियों के टीम गठन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।
- लड़कियों के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का स्थानीय प्रकोष्ठ (विप्स) है। यह संस्था महिला कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मसलों की देखभाल करती है और इसे प्रबंधन का पूरा समर्थन प्राप्त है। इस प्रकोष्ठ के जरिए अनेक कार्रवाइयां की गईं।
- अगस्त 2006 में ''महिला कार्यपालकों की व्यावसायिक सफलता'' विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- विप्स द्वारा वीएमएस, वीएसजीएच और अन्य स्थानीय सेवा समितियों/न्यासों के साथ मिलकर स्वास्थ्य देखभाल शिविर लगाए गए।
- विप्स ने प्रबंधन सेवाएं विभाग के साथ मिलकर गृहणियों को 5-एस संकल्पनाओं से परिचित कराया।
- विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के संयोजक और क्षेत्रीय ईसी सदस्यों को विप्स की राष्ट्रीय और दक्षिण क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए नामित किया गया।
- विप्स ने कर्मचारियों के लिए वार्षिक खेल-कूद प्रतिस्पर्धा और खेल प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इसके अलावा, नवम्बर 2006 में विप्स टीम के साथ-साथ इस्पात नगरी की दो टीमों (गृहणियों) को भी जिला स्तरीय थ्रोबॉल टूर्नामेंट के लिए प्रायोजित किया गया।
- सूचना और विकास के प्रचार-प्रसार में मदद पहुंचाने के लिए 9 अगस्त 2006 को विप्स पोर्टल का उद्घाटन किया गया।
- महिला कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए विप्स की गृह पत्रिका प्रकाशित की गई।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कम्पनी द्वारा वेतन के भुगतान, कार्य घंटों, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी पहलुओं, प्रसूति हितलाभ इत्यादि जैसे मसलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। **कम्पनी के रोल पर 31.12.2006 को महिला कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारी	प्रतिनिधित्व का %
क	353	14	3.97
ख	118	22	18.64
ग	947	25	2.64
घ	101	10	9.90
घ(एस)	29	10	34.48
कुल	**1,548**	**81**	**5.23**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर कम्पनी की आचार नियमावलियों को संशोधित कर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए समुचित धारा शामिल की गई। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए सितम्बर 1998 में एक शिकायत समिति गठित की गई। इस शिकायत समिति में अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक, मान्यता प्राप्त मजदूर संघ से तीन नामित महिला प्रतिनिधि और कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता को तीसरे पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिया गया है।

केआईओसीएल में महिलाओं का एक मंच - सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (विप्स) कार्यरत है और अधिकतर महिला कर्मचारी इस मंच की सदस्य हैं। केआईओसीएल 'विप्स' का आजीवन सदस्य है। विप्स के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बारी-बारी से केआईओसीएल से समन्वयकर्ताओं को नामित किया जाता है और कम्पनी द्वारा महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को 'विप्स' की वार्षिक बैठकों/क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल में 875 महिला कर्मचारी हैं जो 1 नवम्बर 2006 को कुल 6,955 जनशक्ति का 12.51% है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए। इसके अनुसार, वर्ष 1999 में एक महिला डॉक्टर सहित तीन अधिकारियों की एक शिकायत समिति गठित की गई। कम्पनी की किसी भी खान या इसके निगमित कार्यालय से कोई भी उत्पीड़न का मामला नहीं आया है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए इन दिशा-निर्देशों के व्यापक रूप से परिपत्र वितरित किए गए।

कम्पनी की सभी खानों में महिला मंडलियां दक्षता से कार्य कर रही हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविरों, नेत्र चिकित्सा शिविरों, परिवार नियोजन इत्यादि जैसे सामाजिक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से दूर-दराज़ के खान क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के लाभ के लिए आयोजित किया गया।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अध्याय-XV

नवीन पहल/अभिनव योजनाएं

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय ने ''भारत में स्टील रि-रोलिंग मिल क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार'' पर एक परियोजना प्रस्ताव के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र ''मौसम परिवर्तन'' के तहत मार्च 2001 में 0.28 मिलियन अमरीकी डॉलर अनुदान प्राप्त किया। स्टील रि-रोलिंग मिल क्षेत्र में प्रमुख रूप से छोटे एवं मझौले उपक्रम आते हैं जिनमें से 75% अंश छोटे पैमाने का है। देश में सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र के रूप में 2000 से अधिक स्टील रि-रोलिंग मिल इकाइयां हैं। विकसित देशों की तुलना में उद्योग में पुरानी टेक्नालॉजी और खराब ऊर्जा दक्षता स्तर के लिए जिम्मेदार बाधाओं को चिन्हित करने के लिए स्टील रि-रोलिंग मिल्स के वर्तमान कार्यनिष्पादन स्तर से जुड़े पहलुओं पर गहन सर्वेक्षण किया गया। 6.75 मिलियन अमरीकी डॉलर तकनीकी अनुदान सहायता के लिए जीईएफ काउंसिल ने मई 2003 में परियोजना को मंजूरी दी और परियोजना दस्तावेज पर 12 अप्रैल 2004 को हस्ताक्षर किए गए।

संक्षिप्त विवरण

स्टील रि-रोलिंग मिल क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार पर यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना, लघु एवं मझौले उपक्रमों के लिए देश में पहला ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम है। इस पंचवर्षीय परियोजना का उद्देश्य, सरकार की नीति पर कार्रवाई के साथ सूचना, वित्त एवं टेक्नालॉजी बाधाओं को मिटाना है। इसके साथ-साथ यह परियोजना बाजार का कायाकल्प करने में मदद करेगी और परियोजना विकास अवस्था के दौरान विकसित टेक्नालॉजी पैकेजों का सफल प्रदर्शन के जरिए पर्यावरण की दृष्टि से अनवरत ऊर्जा दक्ष टेक्नालॉजियों की पैठ तेज करेगी।

यह परियोजना भारत के 13 राज्यों में फैले पांच भौगोलिक समूहों में 30 आदर्श प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना में मदद करती है और इससे घरेलू उपकरण निर्माताओं को मजबूती मिलेगी। ये निवेश मुख्य रूप से निजी क्षेत्र उद्योग और वित्तीय संस्थाओं से आएंगे।

जीईएफ अनुदान (6.75 मिलियन अमरीकी डॉलर) और भारत सरकार से इस्पात विकास निधि (7.28 मिलियन अमरीकी डॉलर) के जरिए तकनीकी सहायता गतिविधियों जैसे प्रतिमानों, संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रभावी सूचना प्रसार और सरकारी विभागों एवं एजेंसियों सहित सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों की क्षमता संवर्द्धन करने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा सेवा कम्पनियों की शुरुआत और तृतीय पक्ष वित्त पोषण तंत्र एक अभिनव पद्धति है, जिसे लघु एवं मझौले उपक्रमों में पहली बार शुरू किया जाएगा। अनुसंधान, टेक्नालॉजी प्रदर्शन व विकास, डिजाइन एवं बिजनेस सहयोग सुविधाओं के जरिए परियोजना लगने के उपरांत क्षेत्र को दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक टेक्नालॉजी सूचना संसाधन एवं सुविधा केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

प्राथमिक विकास

दिल्ली में संयुक्त संयंत्र समिति के आर्थिक अनुसंधान यूनिट के परिसर में परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ का मरम्मत कार्य पूरा हो गया है और यह जनवरी 2005 से पूर्णत: कार्य कर रहा है।

परियोजना प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों को सुचारु बनाने और परियोजना कार्यक्रमों को प्रभावी, दक्षतापूर्वक एवं पारदर्शितापूर्ण तरीके से कार्यान्वित करने के लिए परियोजना प्रचालन पुस्तिका बनाई गई है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा न आए।

इस पुस्तिका में उल्लिखित प्रमुख नीतियां इस्पात मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यूएनडीपी के देश में स्थित कार्यालय और संगठन में वर्तमान रूप से चलाई जा रही कुछ नीतियों के अवस्थापना नियमों और विनियमों के आधार पर हैं। इन नीतियों में परियोजना की विशिष्ट जरूरतों और कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध टीम पर भी विचार किया जाता है।

टेक्नालॉजी सूचना संसाधन एवं सुविधा केन्द्र (टीआईआरएफएसी)

सॉफ्टवेयर केन्द्र

साफ्टवेयर-सह-डिजाइन केन्द्र पूर्णत: कार्य कर रहा है और रि-रोलिंग क्षेत्र को रिहीटिंग फर्नेस का नवीनतम डिजाइन प्रदान कर रहा है। इस केन्द्र ने रोल पास डिजाइन का नवीनतम सॉफ्टवेयर भी खरीद लिया है और इसे स्थापित एवं चालू किया जा रहा है। वर्ष के दौरान उद्योग के लाभ के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

हार्डवेयर केन्द्र

यह केन्द्र मण्डी गोविंदगढ़ में राष्ट्रीय सेकेंडरी इस्पात टेक्नालॉजी संस्थान (एनआईएसएसटी) परिसर में 75 मीटर x 42 मीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया

जाएगा। इस केन्द्र के लेआउट की तैयारी सहित डिजाइन पूर्ण हो गया है और सकल परिसर के लिए 8 पैकेजों को चिन्हित किया गया है। इस परियोजना की समय सारणी के अनुसार इस केन्द्र को सितम्बर '07 - अक्तूबर '07 तक चालू करने की योजना बनाई गई है।

आदर्श यूनिटों का कार्यान्वयन

10 आदर्श यूनिटों की स्थिति

दस आदर्श यूनिटों में प्रथम चरण के अंतर्गत किये गये टेक्नालॉजी पैकेजों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में पूर्ण हो रहा है। 6 यूनिटों की रिहीटिंग फर्नेस के लिए ड्राइंग का डिजाइन एवं तैयारी पूरी कर ली गई है। शेष यूनिटों के लिए विचार-विमर्श अंतिम चरण में है।

अतिरिक्त आदर्श यूनिटों का चयन

परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा संचालित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान, बड़ी संख्या में स्टील रि-रोलिंग मिलों ने इस परियोजना में शामिल होने की रुचि दिखाई। इस प्रकोष्ठ ने द्वितीय चरण अर्थात् 2007-08 में 8 यूनिटों को लेने के लिए चुना है।

क्लस्टर मैपिंग

जैसे कि रि-रोलिंग मिल देश के कोन-कोने में फैल गई हैं, इसलिए टेक्नालॉजी की स्थिति, ऊर्जा एवं पर्यावरण स्तरों, क्षमता संवर्द्धन और परियोजना के विभिन्न स्टेकहोल्डरों की जरूरतों को चिन्हित करने के लिए देश के सभी पांच क्षेत्रों में क्लस्टर मैपिंग करना आवश्यक है। इसके लिए प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आंकड़ों को शीघ्र ही एकत्रित किया जाएगा। अंतत: एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा प्रत्येक क्लस्टर पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

रेजिडेंट मिशन

तीन क्षेत्रों अर्थात् भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र), रायपुर (केन्द्रीय क्षेत्र), मंडी गोविंदगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में रेजिडेंट मिशन स्थापित किए गए हैं और दक्षिणी/पश्चिमी क्षेत्रों में एक/दो मिशनों की स्थापना की जाएगी। ये मिशन क्लस्टर स्तर पर परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्लस्टर की विचाराधीन परियोजना के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए उद्योग के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श करते हैं।

जागरूकता कार्यक्रम

रायपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता में यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना (स्टील) के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में रोलिंग मिल्स और सेवा प्रदाता में जागरूकता लाने और स्टील रि-रोलिंग मिल क्षेत्र में समाहित की जा सकने वाली नवीतम टेक्नालॉजी के लिए तीन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया गया, ताकि ऊर्जा खपत कम की जा सके और फलस्वरूप ग्रीन हाऊस गैस (जीएचसी) उत्सर्जन में कमी हो सके।

नई दिल्ली में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें चीन, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड और भारतीय स्टील रि-रोलिंग मिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में ऊर्जा खपत में कमी पर आधारित टेक्नालॉजी के ज्ञान और नए राजस्व स्रोत के सृजन पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

5-एस लीन विनिर्माण प्रणाली

परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ ने मंडी गोविंदगढ़ क्लस्टर की रि-रोलिंग मिलों में भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के सहयोग से लीन मैन्युफैचरिंग प्रणाली पर आधारित कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। यह योजना अन्य क्लस्टरों में भी कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना विनिर्माण प्रणालियों के विभिन्न चरणों में बरबादियों की रोकथाम के फलस्वरूप उद्योग के लाभ में सुधार करने के लिए है।

बुनियादी एवं निर्माण इस्पात उत्पादों का अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण

उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता इस्पात की आपूर्ति की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है। यद्यपि बड़ी संख्या में अनेक इस्पात उत्पादों के लिए मानक प्रमाणीकरण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विकसित किए गए हैं, फिर भी उत्पादकों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत ''आईएसआई मार्क'' को अपनाना अभी अनिवार्य नहीं हुआ है और वे उपभोक्ताओं को कोई भी उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस्पात मंत्रालय को यह सुझाव दिया जाता रहा है कि इस्पात की कुछ ऐसी श्रेणियों को बीआईएस प्रमाणीकरण मार्क्स योजना के तहत भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया जाए, जिनका उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता हो और जो बुनियादी ढांचे के लिए अति आवश्यक हों।

उद्योग के साथ परामर्श करते हुए इस प्रस्ताव की जांच की गई और बुनियादी ढांचे एवं निर्माण, विद्युत वितरण एवं सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ आकार से नीचे स्टील बार्स एवं रॉड्स तथा स्ट्रक्चरल्स को छोड़कर, खाद्य पदार्थों को डिब्बा बंद करने में इस्तेमाल होने वाले अर्द्ध-तैयार इस्पात, बार्स एवं रॉड्स और स्ट्रक्चरल इस्पात उत्पादों, इलेक्ट्रिकल स्टील, गैलवेनाइज्ड शीट्स, टिन प्लेट्स आदि के संबंध में अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण मार्क्स योजना की शुरुआत के लिए उपभोक्ता मामले विभाग को इस्पात मंत्रालय की मंजूरी सूचित कर दी गई है।

यह योजना इसकी अधिसूचना की तिथि से 6 माह के बाद प्रभावी होगी। इस दौरान उत्पादकों से यह आशा की जा रही है कि वे यथा निर्धारित आवश्यक

प्रणालियों का अनुसरण करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेंगे, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो।

यह उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और उपभोक्ता सुरक्षा और संतुष्टि की ओर एक सकारात्मक कदम होगा।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- छोटे उपभोक्ताओं द्वारा थर्मो-मेकनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बार्स की जरूरत ऑन-लाइन बुक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट और घर-घर डिलीवरी की शुरुआत कोलकाता और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से की गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए, सेल ने अक्तूबर 2006 तक 542 जिलों में 642 डीलर नियुक्त कर लिए हैं।
- प्रथम छमाही में ई-बिजनेस लगभग दोगुना बढ़कर 1,300 करोड़ रुपये हुआ। यद्यपि प्रथम छमाही 05 में रिवर्स ऑक्सन 172 करोड़ रुपये से बढ़कर प्रथम छमाही 06 में 397 करोड़ रुपये हुआ, प्रथम छमाही 05 में फारवर्ड ऑक्सन से 546 करोड़ रुपये से बढ़कर प्रथम छमाही 06 में 938 करोड़ रुपये हुआ।
- जुलाई 06 में सेल निविदाओं की होस्टिंग के लिए समर्पित वेबसाइट को शुरू किया गया।
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एमईएल) और भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल) के विलय का निर्णय लिया गया।
- बेसिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सेल ने पारादीप-हरिदास पुर रेल लाइन के विकास के लिए स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) के गठन हेतु शेयरधारकों के करार पर हस्ताक्षर किए। इससे पारादीप से बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित सेल के इस्पात कारखानों को कोकिंग कोयला भेजने में आसानी होगी।
- अब से सेल में रोजगार तलाशने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर भेजने की जरूरत नहीं होगी।
- सेल इस्पात विकास एवं संवर्धन संस्थान (इन्सडैग) की मदद से अपने पांच प्रमुख कारखानों के नजदीक हर जगह एक-एक स्टील विलेज का विकास करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 150 बुलक काट्र्स का निर्माण एवं वितरण प्रायोजित।

सेल ने उपभोक्ता संतुष्टि पर अधिक बल देते हुए विक्रय एवं विपणन के सुदृढ़ प्रयासों से बाजार के अनुरूप उत्पाद श्रृंखला को अपनाया है। प्रमुख क्षेत्रों में लागत में कटौती, उत्पादकता में सुधार और लागत नियंत्रण से बचत को बल मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अग्रणी सेल ने 2005-06 में अपने ई-कॉमर्स कवरेज को और व्यापक बनाया है। सभी खुली निविदाएं सेल वेबसाइट पर डाली जाती हैं। ई-कॉमर्स गतिविधियों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की शुरुआत की जा रही है जिसके लिए सेल के सर्टिफिकेशन अथॉरिटी (सीए) सिस्टम को कार्यान्वित किया गया है, ताकि क्रेताओं/विक्रेताओं के साथ इंटरनेट पर सौदों की प्रमाणिकता एवं कानूनी वैद्यता सुनिश्चित की जा सके।

इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सौदों की लागत कम करने और गति एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स व्यापार पद्धति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सेल पहले ही हर माह लगभग 250 करोड़ रुपये के सौदे ई-कॉमर्स के जरिए कर रही है, जबकि एमएसटीसी ने ई-कॉमर्स के जरिए 2,800 करोड़ रुपये के सौदे किए जो वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान इसके कुल कारोबार का लगभग एक तिहाई है। अगले कुछ महीनों में जहां तक संभव हो पूरी तरह से ई-कॉमर्स पद्धति अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

सेल के इस्को इस्पात कारखाने का एक विहंगम दृश्य।

उदाहरण के लिए सेल के निविदा विवरण वेबसाइट www.sailtenders.co.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

निरंतर सुधार दर्ज करने की दृष्टि से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में निरंतर आधार पर नई पहल की जाती हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यनिष्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के ध्येय से की गई कुछ नई पहल नीचे दी गई हैं:

प्रचालन

कोक ओवन्स और रॉ मैटीरियल्स हैंडलिंग प्लांट

- कोक ओवन-36 और कंटीन्युअस कास्टिंग-52 के लिए वेक्टर कंट्रोल ड्राइव की स्थापना।
- उच्च क्षमता स्क्रीन की स्थापना।
- निजी बिजली संयंत्र में स्वनियंत्रित वे-फीडर्स की स्थापना।
- दो पुशर कारों में प्लांट लोड कंट्रोल (पीएलसी) प्रणाली की शुरुआत।
- पीवीसी लाइनिंग युक्त अमोनियम सल्फेट प्लांट फ्लोर की मरम्मत।
- कोक ओवन बैटरी-1 और सीडीसीपी-1 में पीएलसी प्रणाली की शुरुआत।
- कोक कार बकेट का संशोधन।
- रोटरी डिस्चार्ज युक्त डिस्चार्जिंग उपकरणों की पुन:स्थापना।
- के-50 कन्वेयर के लिए अंडरग्राउंड हॉपर स्थापित।
- बैटरी-3 मशीनों का स्वचालन।
- सीसीपी में क्रिटिकल हीट एक्सचेंजर्स की पुन:स्थापना।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

कम्पनी का लगभग दो-तिहाई मैंगनीज अयस्क उत्पादन भूमिगत पद्धति द्वारा किया जा रहा है। पहले भूमिगत खान में रन ऑफ माइन (आरओएम) अयस्क का संचालन हाथ से किया जाता था। कम्पनी ने वर्ष के दौरान भूमिगत आरओएम अयस्क की यांत्रिक हैंडलिंग के लिए, शुरू में प्रयोग के रूप में अपनी बालाघाट मैंगनीज खान में विद्युत प्रचालित साइड डिस्चार्ज लोडर की स्थापना की है। यह परीक्षण सफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम उत्पादकता, हैंडलिंग लागत और खनन दर में भी सुधार हुआ है और फलस्वरूप सुरक्षा में सुधार हुआ है।

कम्पनी ने खनन के कारण भूमिगत खदानों में खालीपन को हाथ से भरने के स्थान पर हाइड्रोलिक सैंड स्टॉईंग शुरू की थी। परंतु इसके कारण रेत के कण अयस्क में जा मिले और फलत: इसकी गुणवत्ता खराब हुई। इसलिए कम्पनी ने भूमिगत खान से आरओएम सामग्री की प्रभावी धुलाई के लिए धरातल पर ''स्क्रबर'' स्थापित किए हैं।

कम्पनी पहले भूमिगत खदान प्रचालनों में खनन की ''कट एंड फिल पद्धति'' का उपयोग कर रही थी, जिसमें खनन के कारण जमीन के अंदर हुए खालीपन का साथ-साथ भराव होता था, परंतु कम्पनी ने अब सब-लेबल ओपन स्टोपिंग नामक नई पद्धति शुरू कर दी है।

कम्पनी के पास नई पहल या विचाराधीन परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- बेटमेन इंटरनेशनल इंजीनियरिंग, एन.वी., दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त उद्यम।
- बीएचपी बिलिटन, दक्षिण अफ्रीका के साथ सामरिक गठबंधन।
- संयुक्त उद्यम सहभागिता के जरिए विदेश में मेटलिफेरस खानों का अधिग्रहण।

- फेरो मैंगनीज और सिलिको मैंगनीज संयंत्रों की स्थापना।
- ईएमडी उत्पादन को बढ़ाकर 1500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना।
- अनुसंधान एवं विकास टेक्नालॉजी के विकास सहित 1000 टन वार्षिक क्षमता के इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज मैटल (ईएमएम) संयंत्र की स्थापना।
- विभिन्न मैंगनीज आधारित रसायनों जैसे मैंगनीज ऑक्साइड (MnO), मैंगनीज सल्फेट ($MnSO_4$), मैंगनीज सेस्क्यूऑक्साइड (Mn_2O_3), मैंगनिक ऑक्साइड (Mn_3O_4), पोटेशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$) की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ने ठकुरानी, उड़ीसा में 30,000 टन वार्षिक क्षमता का स्पंज आयरन प्लांट पहले ही स्थापित कर लिया है। इस कारखाने ने जून 2004 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। कम्पनी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए हैं:

- अन्य रेल साइडिंग का विकास
- खानों का योजनाबद्ध विकास
- कारखाने की क्रशिंग क्षमता में वृद्धि

अध्याय-XVI

मान्यता एवं पुरस्कार

लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित पुरस्कारों की सूची में इस्पात मंत्रालय के अधीन कम्पनियों का ऊँचा स्थान है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न पुरस्कार/सम्मान प्राप्त किए। कुछ प्रमुख पुरस्कारों को नीचे दिया गया है:

- भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए सातवीं बार सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक एकीकृत इस्पात संयंत्र की प्रधानमंत्री ट्रॉफी अर्जित।
- सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप) पुरस्कार - वर्ष 2004-05 हेतु संस्थागत वर्ग।
- वर्ष 2004-05 के पर्यावरण उत्कृष्टता एवं अनवरत विकास के लिए स्कोप मेरिटोरियस पुरस्कार।

श्री राम विलास पासवान, माननीय केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री और श्री अखिलेश दास, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, विशाखापट्टनम में सेल के भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा अर्जित सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादक एकीकृत इस्पात संयंत्र की प्रधानमंत्री ट्रॉफी वितरण समारोह में।

- सेल के 41 कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्रों में असाधारण योगदान करने के लिए वर्ष 2005 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- लौह और इस्पात अनु. एवं विकास केन्द्र को डिजाइन, विकास और विशेष इस्पात उत्पादों के नए उपयोग में विशेष योगदान देने के लिए ''उद्योग में अनु. एवं विकास प्रयासों का राष्ट्रीय पुरस्कार'', वर्ष 2005 के लिए दिए गए इस पुरस्कार की स्थापना विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी मंत्रालय द्वारा की गई है।
- भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) ने भिलाई इस्पात कारखाने को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण कार्यनिष्पादन के लिए स्वतंत्र इकाई संवर्ग में सर्वप्रथम सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार प्रदान किया।
- राउरकेला इस्पात कारखाने को वृक्षारोपण गतिविधियों में सराहनीय प्रयास करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार - 2003 से सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, राउरकेला इस्पात कारखाने को भी प्रभावी पर्यावरण प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए विश्व पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार – 2005 से भी सम्मानित किया गया।

सेल के 41 कर्मचारियों को वर्ष 2005 का विश्वकर्मा पुरस्कार।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल द्वारा प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार नीचे दिए गए हैं:

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006
- वर्ष 2002-03 के सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी।
- आरआईएनएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कार्यपालक के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार।

श्री सुशील कुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय बिजली मंत्री से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री शिव सागर राव, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड।

- बिजनेस उत्कृष्टता की दिशा में सशक्त वचनबद्धता के लिए सीआईआई-एग्जिम बैंक पुरस्कार-2005
- सशक्त वचनबद्धता के लिए सीआईआई मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार-2005
- भारतीय राष्ट्रीय सुझाव योजना संगठन (इनसान) से संगठनात्मक उत्कृष्टता पुरस्कार-2006
- लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
- सीआईआई से राष्ट्रीय जल प्रबंधन पुरस्कार 2004 और 2005
- सीआईआई द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में नेतृत्व एवं उत्कृष्टता पुरस्कार।
- गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार-2006
- सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणालियों को ईजाद, प्रोत्साहित एवं कार्यान्वित करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) द्वारा सुरक्षा इन्नोवेशन पुरस्कार-2006
- 11 कर्मचारियों को वर्ष 2006 में दो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार।
- सीआईआई और अंतरराष्ट्रीय समागमों में गुणवत्ता सर्किल टीमों को पुरस्कार।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

- एनएमडीसी ने 21 मई 06 को लोनावाला में नौवें प्रमुख कार्यपालक अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान आईआईआईई कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार 2004-05 प्राप्त किया।
- एनएमडीसी ने 22 जुलाई 06 को डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी, माननीय खान राज्य मंत्री से अपनी बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना भंडार-5,10/11ए के लिए एफआईएमआई सामाजिक चेतना पुरस्कार 2005-06 प्राप्त किया।
- एनएमडीसी ने 22 जुलाई 06 को डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी, माननीय खान राज्य मंत्री से अपनी बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना भंडार-14/11सी के लिए एफआईएमआई सामाजिक चेतना पुरस्कार 2005-06 प्राप्त किया।
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को 14 सितम्बर 06 को 'ग' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन और हिन्दी के प्रगामी उपयोग के लिए वर्ष 2004-05 की इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड श्री शिवराज वी. पाटिल, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से प्राप्त की।

- श्री बी. रमेश कुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने 19 सितम्बर 06 को वर्ष 2006 के निर्यात शिरोमणी पुरस्कार (स्वयं सम्मानित) एवं एनएमडीसी को मिला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये पुरस्कार उन्होंने छोटे एवं मझौले निर्यातक परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक समारोह में ले. जनरल (सेवानिवृत्त) अजय सिंह, माननीय राज्यपाल, असम से प्राप्त किए।
- एनएमडीसी ने 21 सितम्बर 2006 को पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री से कैपेक्सिल शीर्ष निर्यात पुरस्कार-2005-06 प्राप्त किया।
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने 21 सितम्बर 06 को अखिल भारतीय विनिर्माण संगठन, आंध्र प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में श्री रामेश्वर ठाकुर, माननीय राज्यपाल, आंध्र प्रदेश से बड़े एवं मझौले क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए डॉ. सर एम. विश्वेश्वराया औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त किया।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल संभवत: उन कुछ गिने चुने सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है जिन्हें अपने लगातार उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। कम्पनी को लगभग अपनी समस्त गतिविधियों में अच्छा कार्य करने के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मान्यता मिलती रही है। इनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी को मिले पुरस्कार हैं:

- सहमति पत्र के अंतर्गत अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री मेरिट प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।
- राजभाषा पुरस्कार।
- एफआईएमआई से मिश्री लाल जैन पर्यावरण पुरस्कार।
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2006
- धातु खनन वर्ग के अंतर्गत बचाव (रेस्क्यू) पुरस्कार विजेता।

मॉयल अपनी कम्पनी में प्रतिभाओं की भी तलाश करता है और कम्पनी के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए अपने कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिशा में ऊर्जा बचत, उत्पादकता में दक्षता, गुणवत्ता में सुधार, सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं विकास के लिए व्यापक प्रयास करते हुए विशिष्ट विचारों वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के ध्येय से 'क्वेस्ट पुरस्कार' स्थापित किए गए।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

वर्ष के दौरान कम्पनी ने निम्न पुरस्कार प्राप्त किए:

- कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग संघ द्वारा कम्पनी को जून 2006 में नॉन-स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज (एसएसआई) वर्ग के अंतर्गत खनिज और खनिज आधारित उत्पाद क्षेत्र में निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करने पर कम्पनी 6 जून 2006 को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से 'इस्पात राजभाषा शील्ड' से सम्मानित हुई।
- विश्वेश्वराया औद्योगिक व्यापार केन्द्र, कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2006 में कम्पनी को उल्लेखनीय निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए वर्ष 2004-05 के 'सर्वश्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार-खनिज एवं खनिज आधारित उत्पाद-नॉन एसएसआई-स्वर्ण' से सम्मानित किया।
- कम्पनी को 2005-06 में लौह अयस्क का उल्लेखनीय निर्यात कार्यनिष्पादन करने के लिए, सितम्बर 2006 में कैपेक्सिल के विशेष निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अध्याय-XVII

इस्पात के उपयोग में वृद्धि

भारत में इस्पात को प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है क्योंकि देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विश्व औसत से काफी कम है। ऐसी परिस्थितियों में इस्पात मंत्रालय, कम्पनियों और इस्पात उद्योग से जुड़ी अन्य संस्थाएं इस्पात के उपयोग के प्रोत्साहन को पर्याप्त महत्व देती हैं।

मॉडल विलेज के लिए इस्पात घर।

इस्पात क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होने के बावजूद, देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी 150 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति के विश्व औसत की तुलना में बहुत कम लगभग 35 कि.ग्रा. है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, यह खपत और भी कम 2 कि.ग्रा. है। अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ इस्पात मंत्रालय की प्रमुख पहल में से एक भारत में घरेलू इस्पात खपत बढ़ाने के लिए एक अभियान छेड़ना रहा है। फलस्वरूप मंत्रालय और प्रमुख इस्पात निर्माता संयुक्त रूप से इस्पात को निर्माण, बुनियादी ढांचे इत्यादि में विभिन्न उपयोगों की दृष्टि से एक किफ़ायती और टिकाऊ सामग्री के रूप में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए इस्पात प्रोत्साहन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त संचालन समिति गठित की गई है ताकि इस अभियान के विभिन्न पहलुओं की तैयारी एवं संयोजन किया जा सके।

इस्पात बैलगाड़ी।

महानगरों की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात मुहैया कराना

प्रमुख इस्पात निर्माताओं ने महानगरों में लागू कीमतों पर ही अपने डीलर नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आम इस्पात खपत की मदें उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। फलस्वरूप परिवहन के साथ-साथ वितरकों/थोक विक्रेताओं के मार्जिन का अधिकांश खर्च निर्माताओं द्वारा उठाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपभोक्ता को लगभग 600 से 1,000 रुपये प्रति टन की राहत मिलेगी।

मॉडल स्टील विलेज

प्रमुख इस्पात निर्माताओं ने अपने कारखानों में ''मॉडल स्टील विलेज'' के रूप में चुनिंदा गांवों को विकसित करने का भी संकल्प लिया है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के क्षेत्रों में संगत योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन ''मॉडल स्टील विलेज'' में, इमारतों और अन्य बुनियादी जनसुविधाओं में भी इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा।

डीलर्स नेटवर्क का विस्तार

इस्पात मंत्रालय के अधीन दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों यथा सेल और आरआईएनएल द्वारा देश के सभी जिलों में इस्पात मदों की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से अपने डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। सेल ने 529 जिलों में 651 डीलरों की नियुक्ति पहले ही कर ली है। आरआईएनएल ने 99 डीलरशिप प्रदान की हैं। जिला स्तरीय डीलरशिप प्रदान करते समय योग्य अनु. जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

डिज़ाइन गाइड, हैंडबुक्स, मैन्युअल्स और रिपोर्ट

इस्पात विकास एवं संवर्धन संस्थान (इन्सडैग) द्वारा निम्न परियोजना प्रकाशन निकाले गए:

- पोर्टल टाइप प्रि-इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग हेतु डिज़ाइन गाइडबुक।
- कंटीन्युअस कंपोजिट ब्रिजिज़ हेतु डिज़ाइन गाइडबुक।
- शॉपिंग मॉल हेतु इस्पात और कंक्रीट पर आधारित डिज़ाइन के बीच लागत तुलना।
- इस्पात से बना ढाबा।
- इम्बोसमेंट्स युक्त प्रोफाइल्ड शीट्स की डिज़ाइन गाइडबुक।
- इस्पात से बने मॉड्यूलर किस्म के कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण।
- वार्षिक पुस्तिका।
- कोल्ड फॉर्म्ड स्टील सेक्शन हेतु डिज़ाइन हैंडबुक।

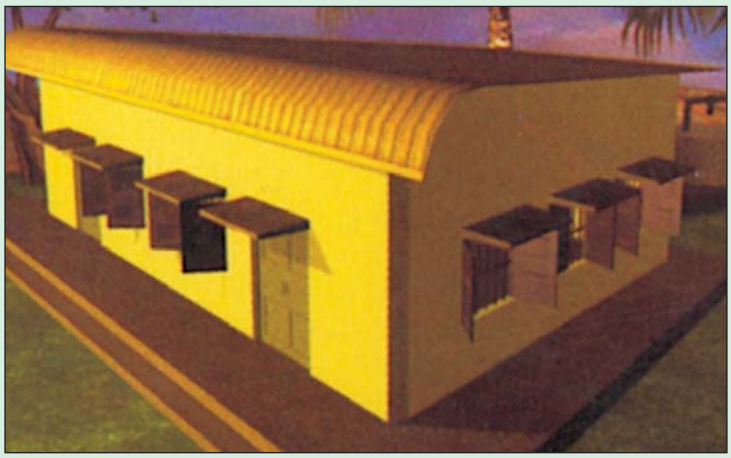

मॉडल स्टील विलेज के अंतर्गत एक इस्पात कम्युनिटी हॉल।

विपणन एवं इस्पात प्रोत्साहन

इस्पात की खपत बढ़ाने और निर्माण में इस्पात के नए-नए उपयोग शुरू करने के अभियान में, इन्सडैग ने दो स्तरों पर व्यापक रूप से विपणन प्रयास जारी रखे। पहले, निर्माण में इस्पात का अधिक उपयोग करने के लिए नीति निर्माताओं को सहमत कराया और दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में इन्सडैग द्वारा विकसित डिज़ाइनों का विपणन किया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- घरेलू बाज़ार में सेल उत्पादों की पहुंच बढ़ायी गई।
  सेल ने सेल उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए 529 जिलों में 651 डीलरों की नियुक्ति की है और देश भर में अपने डीलरशिप नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है।
- प्रमुख बाज़ारों और उच्च मूल्य उत्पादों पर बल।
- पत्रिकाओं और होर्डिंग्स के जरिए, इस्पात के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित विज्ञापन अभियान।
- क्षेत्र विशेष उपयोगों के लिए तकनीकी मदद प्रदान करने के लिए संगोष्ठियों में भाग लेना।
- उत्पाद की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने की दृष्टि से टीमएटी बार्स को सेल-टीमएमटी के रूप में ब्रांड विकसित किया गया।
- विभिन्न खपत क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को रेखांकित करने के लिए मेले और प्रदर्शनियां लगाना।
- इस्पात का आम उपयोग बढ़ाने और सबसे बढ़कर उपभोक्ताओं और आम लोगों को इस्पात मित्र बनाने के लिए भारतीय इस्पात गठबंधन (सेल जिसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है) द्वारा एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया और सभी प्रमुख टीवी चैनलों पर दिखाया गया।
- उपभोक्ताओं को इस्पात उत्पादों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, सेल देश भर के हर जिले में कम से कम एक डीलर नियुक्त कर अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने अपना नेटवर्क बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय वितरक (डीएलडी) योजना शुरू की है। शुरुआत में दक्षिण भारत के अधिकांश जिलों में 60 जिला स्तरीय डीलर नियुक्त किए गए। शेष 6 जिलों में नियुक्ति शीघ्र पूर्ण कर लिए जाने की आशा है। अब तक भारत के विभिन्न जिलों में 99 जिला स्तरीय डीलरशिप प्रदान की गई है।

चेन्नई में नवम्बर 2006 के दौरान जिला स्तरीय डीलर पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए, बस स्टॉप शेल्टर्स, वाटर टैंक, कम लागत के घरों जैसी विभिन्न संरचनाओं को बनाने में इस्पात के किफायती उपयोग के बारे में चेतना बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई।

अध्याय-XVIII

निगमित सामाजिक दायित्व

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व पर भारी बल दिया जा रहा है।

यह निश्चय किया गया है कि मंत्रालय के अधीन सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वितरण योग्य लाभ का लगभग 2% **निगमित सामाजिक दायित्व** का निर्वाह करने पर खर्च करेंगे।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

निगमित सामाजिक दायित्व की शुरुआत समाज पर अपने व्यवसाय के प्रभाव का पता लगने पर होती है और इसलिए सेल अपनी स्थापना से ही निगमित सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रही है। सेल का मूल मंत्र व्यापक रूप से समाज के प्रति वचनबद्धता को विशेष रूप से रेखांकित करता है, जो अन्य बातों के अलावा स्पष्ट करता है **''हम लोगों की ज़िन्दगी में अर्थपूर्ण परिवर्तन करने के अवसर और दायित्व को महत्व देते हैं।''** कारखानों/यूनिटों और नगरियों में और उनके आस-पास लोगों के जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। सेल ने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, महिलाओं के उत्थान, पेय जल की व्यवस्था और सहायक विकास के क्षेत्र में प्रभावी उपाय किए हैं।

सेल : लोगों की ज़िन्दगी में अर्थपूर्ण परिवर्तन करते हुए।

निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वर्ष 2006-07 का आवंटित बजट: 26 करोड़ रुपये

गतिविधि	आवंटित बजट
कारखानों/यूनिटों में परिक्षेत्रीय विकास	14 करोड़ रुपये
परिवार कल्याण	2 करोड़ रुपये
खेल गतिविधि/प्रायोजन	4 करोड़ रुपये
महिलाओं का उत्थान	1 करोड़ रुपये
अन्य/विविध	5 करोड़ रुपये
कुल	**26 करोड़ रुपये**

सेल के पास अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

देश भर में 4 अत्याधुनिक अस्पतालों सहित 20 अस्पताल हैं जिनमें कर्मचारियों, उनके आश्रितों और परिक्षेत्रीय जनता के लाभ के लिए लगभग 4,000 बेड हैं और इनका प्रबंधन लगभग 4,400 लोगों द्वारा किया जाता है। सेल ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैको), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एड्स जागरूकता एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक सभी कारखानों और यूनिटों में एनएसीपी-II की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 32 मिलियन रुपये प्राप्त हुए हैं। सेल के सभी कारखानों/यूनिटों के अस्पतालों में भी आरसीएच कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। सेल तपेदिक नियंत्रण, मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ निवारण इत्यादि जैसे अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी भाग लेती है।

परिक्षेत्रीय विकास

अनेक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि सेल के प्रयासों से 8-16 कि.मी. के परिक्षेत्रीय दायरे में पर्याप्त लाभ मिला है। प्रत्येक कारखाने में राज्य सरकार, जिला प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय पंचायतों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2005-06 के लिए आवंटित बजट 900 लाख रुपये था जो 2006-07 में बढ़कर 1,400 लाख रुपये हो गया है। सभी कारखानों/यूनिटों

में सड़क सम्पर्क, पुलों/पुलियाओं के निर्माण, स्वच्छ पेय जल सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

शिक्षा

सेल ने कर्मचारियों के बच्चों सहित सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। साल-दर-साल, इस्पात नगरियों में कम्पनी द्वारा संचालित लगभग 133 स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें 80,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 3,000 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों ने जनजातीय बच्चों को अपनाया है और उन्हें नि:शुल्क शिक्षा, रहने और खाने की सुविधाएं दी जा रही हैं।

राष्ट्र की नींव सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा प्रदान करते हुए।

खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां

सेल ने अपनी इस्पात नगरियों में कर्मचारियों और उनके बच्चों के साथ-साथ परिक्षेत्रीय जनता के उपयोग के लिए विभिन्न खेल विधाओं में बड़ी संख्या में खेल की बुनियादी सुविधाएं और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की हैं। सेल ने बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी), भिलाई (एथलेटिक्स-बालक) और दुर्गापुर (एथलेटिक्स-बालिका) स्थित आवासीय खेल अकादमियां स्थापित की हैं। सेल ने एकीकृत इस्पात कारखानों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए कुछ खेल विधाओं में गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरू किए हैं। सेल द्वारा अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

सेल अपने खान क्षेत्रों में फुटबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी जैसी अंत:ग्राम खेल गतिविधियां आयोजित करती है। सेल नेहरू चैम्पियन कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट फरवरी 2007 में आयोजित किया जा रहा है।

सेल चेन्नई ओपन (लॉन टेनिस), राउरकेला में अखिल भारतीय जयपाल सिंह गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट, एआईटीएफ-सेल (भारत-पाकिस्तान) लॉन टेनिस चैम्पियनशिप, आदि जैसे विभिन्न खेल टूर्नामेंटों का भी प्रायोजन करती है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत अपने दायित्व का अधिक प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने के लिए आरआईएनएल ने 8 फरवरी 2006 को संपन्न निदेशक मंडल की 211वीं बैठक में निगमित सामाजिक दायित्व पर एक नीति तैयार की है। निदेशक मंडल ने आगामी वर्ष के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अपने पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ की 2% राशि आवंटित की है।

एक परिक्षेत्रीय गांव में स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए।

निगमित सामाजिक दायित्वों को बढ़ावा देने में, अन्य बातों के अलावा प्रमुख बल वाले क्षेत्रों में साक्षरता को बढ़ावा, बालिका शिक्षा, मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों/लोगों को विशेष प्रशिक्षण एवं पुनर्वास, विशाखापट्टनम के एजेंसी क्षेत्र में जन-जातीय बच्चों को विशेष मदद, नैको के सहयोग से एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पायलेट परियोजनाएं, पुनर्वास कॉलोनियों, आस-पास के क्षेत्रों, एजेंसी क्षेत्र इत्यादि में गहन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर, आस-पास के गांवों में बुनियादी सुविधाएं,

पर्यावरण मसलों का समाधान, ट्राइसैम (स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण), पुनर्वास कॉलोनियों और आस-पास के गांवों में एसएचजी (स्व-मदद समूहों) की स्थापना, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तुरंत मदद एवं खान-पान की व्यवस्था, जन-जातीय संस्कृति के संरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, खेल-कूद को प्रोत्साहन-राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता शामिल हैं।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी)

इस संबंध में की गई कुछ पहल निम्न प्रकार हैं:

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन में ग्लोबल कॉम्पेक्ट फोरम का सदस्य बनने जा रहा है।
- इसने जबलपुर में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 50 करोड़ रुपये अनुदान करने का वायदा किया है। यह राशि 10-10 करोड़ रुपये की पांच किश्तों में देय है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सहमति पत्र पर शीघ्र हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में 5-5 करोड़ रुपये और वर्ष 2006-07 में 10 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए गए हैं।
- निदेशक मंडल में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में एनएमडीसी की नीति मंजूर कर दी है। इस मंजूर नीति के अनुसार, (क) उन राज्यों, जहां एनएमडीसी की खानें स्थित हैं और जिनकी विस्तार संभावनाएं हैं (ख) विशेष निवेदन पर खान/प्रतिष्ठान के 50-75 कि.मी. के दायरे में गांवों के विकास के लिए राज्य सरकारों (ग) असाधारण मामलों में निदेशक मंडल की मंजूरी लेकर 75 कि.मी. के दायरे से आगे गांवों का विकास करने के लिए एनएमडीसी द्वारा वित्तीय योगदान इन क्षेत्रों में दिए जा सकते हैं।
- निदेशक मंडल ने यह निर्धारित किया है कि पिछले वर्ष के राजस्व का 5% वित्तीय योगदान एनएमडीसी द्वारा उपरोक्त गतिविधियों को चलाने के लिए रखा जाएगा।
- निगमित सामाजिक दायित्व पर वर्ष 2006-07 में कुल 70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष की 5% अग्रेषित अतिरेक राशि) खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने परियोजना और आस-पास के क्षेत्र में सामुदायिक विकास पर पर्याप्त खर्च किया है। इनमें से कुछ विकासपरक कार्य निम्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं:

- शुद्ध पेय जल की सुविधाएं।
- गरीब बच्चों के लिए दिन के भोजन की योजना।
- शैक्षणिक संस्थाओं में खेल के मैदान, इमारतें, किताबें और अन्य वित्तीय सहायता।
- सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सुविधाओं का विकास।
- जन-जातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं।
- गरीब, नि:शक्त और पिछड़े लोगों को सहायता।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने समाज के गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए निम्न कार्य किए हैं:

- वर्ष 2005-06 में बच्चों, महिलाओं और गरीब/वृद्ध संगीतज्ञों, इत्यादि के उत्थान के लिए सात पुण्यार्थ संगठनों को एक-एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।
- वर्ष 2006-07 (दिसम्बर 2006 तक) में गरीब और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों, अवयस्क बालिकाओं, महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित संगठनों को 19 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।
- एमएसटीसी ने कोलकाता स्थित कम्पनी के मुख्यालय के नजदीक एक झोपड़पट्टी को अपनाने और एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के सहयोग से गरीबों को प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करने का निश्चय किया है।
- नजदीक के छोटे उद्यानों का सौंदर्यीकरण करते हुए पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कम्पनी ने शैक्षणिक सत्र 2006-07 के दौरान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित अपनी विभिन्न यूनिटों

के आस-पास स्थित गांवों में दस सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया है और इन चिन्हित स्कूलों में अध्ययन के लिए अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के लगभग 500 बालक/बालिकाओं को स्कूल यूनिफार्म/वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें/कॉपियां इत्यादि वितरित की हैं।

कम्पनी ने इन स्कूलों में खेल के मैदान विकसित करने और फुटबॉल/वॉलीबॉल/हैंडबॉल और अन्य खेलों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी मदद पहुंचाई है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल ने निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत योजनाओं पर अपने वितरण योग्य लाभ का कम से कम 2% खर्च करने का निश्चय किया है। इस आशय के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

मॉयल द्वारा की गई कुछ पहल निम्न प्रकार हैं:

- भंडारा जिले (महाराष्ट्र) स्थित चिकला माइन में 22 लाख रु. की लागत से प्राइमरी स्कूल का निर्माण। इस स्कूल में बच्चों की वर्तमान तादाद 400 है। आस-पास के गाँवों से आने वाले अध्ययनरत बच्चों (310) की वार्षिक ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- नागपुर में 1.60 लाख रुपये की लागत से सीएमएस कंपाउंड स्थित बाल उद्यान का विकास।
- 7.75 लाख रुपये की लागत से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना एवं प्रतिमा के आस-पास उद्यान का विकास।
- मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बाढ़ से प्रभावित गांवों में राहत कार्य के लिए वित्तीय सहायता, भारतीय साहित्य एवं ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिए 'कालिदास उत्सव' सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन, चिकित्सा शिवरों का आयोजन, इत्यादि।
- विभिन्न खानों के आस-पास स्थित गाँवों में टॉयलेट्स, कचरा निकासी एवं पेयजल सुविधाओं का निर्माण।
- मॉयल ने 1.50 करोड़ रुपये की लागत से 13 किलोमीटर (लगभग) सड़कों पर टार बिछाने, वर्तमान सड़कों और डब्ल्यूबीएम सड़कों पर फिर से टार डालने का प्रस्ताव किया है।
- ऐतिहासिक स्थल नागपुर-ज़ीरो माइल स्टोन का सौंदयीकरण/वृक्षारोपण।
- साओनेर (गुमगांव खान के नजदीक) मूक एवं बाधिर आवासीय स्कूल में एक कमरे का निर्माण।

इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी अन्य लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और विभिन्न तरीकों से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं।

अध्याय-XIX

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थान

इस्पात मंत्रालय पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मियों का तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थानों की मूल्यवान भूमिका और योगदान के लिए उल्लेख किया जा रहा है:

बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित टास्क फोर्स द्वारा विकसित सिद्धांत के आधार पर पुरी में एक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान की स्थापना की गई। प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के रूप में यह संस्थान संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के प्रबंधन में है। बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएस आई) की आधार शिला 1 जनवरी 2001 को पुरी में रखी गई। यह संस्थान पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई और इसने 1 जनवरी, 2002 को कार्य करना शुरू किया।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष बीपीएनएसआई के अध्यक्ष भी हैं। इस संस्थान की स्थापना विश्व एवं भारतीय इस्पात उद्योग में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप बनाने में घरेलू सेकेंडरी उद्योग की मदद करने के लिए की गई है।

कैबिनेट ने 20 फरवरी, 2004 को पुरी में जेपीसी की पूंजी से पूर्ण रूप से सुसज्जित संस्थान के रूप में इसकी स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। जब तक संस्थान अपना खर्च स्वयं उठाने लायक न हो जाए, इसके स्थापना व्यय में कमी भी जेपीसी उठाएगी। जेपीसी निधि से बीपीएनएसआई को 10 करोड़ रु. का अग्रिम दिया गया है, जिस पर ब्याज की राशि से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी। वर्तमान रूप से, यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण पद्धतियों को अपनाते हुए लौह और इस्पात पाठ्यक्रम संचालन कर रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान बीपीएनएसआई द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

- छात्रों को टाटा मेटलिक लिमिटेड, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एपेक्स ऑटो, आरती स्टील, श्री महावीर फेरो अलॉयज, मैथन आदि इस्पात जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में नौकरियां मिली हैं।
- यह संस्थान ''लौह और इस्पात उत्पादन एवं कारखाना प्रबंधन'' में एडवान्स्ड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का संचालन करता है, जिसके अंतर्गत अक्तूबर 2006 से छात्रों को उद्योग में प्रबंधकीय पदों के लिए तैयार किया जाता है।
- इसके प्रशिक्षण एवं अग्रिम शिक्षा (टीएएफई) कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2007 से यह पाठ्यक्रम कार्यरत कार्यपालकों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है।
- भारत में रिहीटिंग फर्नेसों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए मैसर्स जे.पी. प्लांट टेक कंपनी, जापान से 10,000/- डॉलर का आदेश पूरा किया गया।
- यह संस्थान भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र के लिए यूएनडीपी-जीईएफ परियोजना के अंतर्गत एक रेजीडेंट मिशन के रूप में भी कर रहा है।
- भारत में स्टील रि-रोलिंग मिलों का ''क्लस्टर मैपिंग'' का कार्य।

राष्ट्रीय सेकेंडरी इस्पात टेक्नालॉजी संस्थान (एनआईएसएसटी)

राष्ट्रीय सेकेंडरी इस्पात टेक्नालॉजी (एनआईएसएसटी) एक सोसाइटी के रूप में 18 अगस्त 1987 को गठित की गई। इसका पंजीकृत कार्यालय चण्डीगढ़ में है। लौह तथा इस्पात विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यह निम्न लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है:

- अल्पकालिक और दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम चलाकर एवं ज्ञान का आधार बढ़ाकर सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराना।
- अत्याधुनिक तकनीक के बारे में सेमीनार, संगोष्ठी, कार्यशालाओं इत्यादि के जरिये जागरूकता लाना।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
- तकनीकी समस्याओं के निराकरण, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और प्रदूषण स्तर घटाने के लिए उद्योगों को परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान करना।
- इस क्षेत्र में अद्यतन तकनीक के बारे में अनुसंधान, विकास और डिज़ाइन कार्य क्षेत्र में कार्य करना।
- उद्योग के लिए प्रलेखन और सूचना पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था करना।

- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों के बीच आपसी सम्पर्क के लिए एक मंच प्रदान करना।

संस्थान के अधिकार में सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैं:

- इलेक्ट्रिक आर्क और इंडक्शन फर्नेस
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिल्स (हॉट एण्ड कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड ऑयरल यूनिट्स

संस्थान की प्रमुख गतिविधियां

- मानव संसाधन विकास गतिविधियां
- औद्योगिक सेवाएं/परामर्श
- रसायन, ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रयोगशाला की परीक्षण सेवाएं
- मेटलोग्राफी प्रयोगशाला
- स्टेक्ट्रोमीटर प्रयोगशाला
- यांत्रिक एवं एनडीटी प्रयोगशाला
- विद्युत प्रयोगशाला

वर्तमान वर्ष के दौरान इस संस्थान द्वारा प्राप्त अनेक कीर्तिमानों एवं की गई विभिन्न पहल इस प्रकार हैं:

- इस संस्थान ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं।
- इस संस्थान द्वारा इस्पात उत्पादन और रोलिंग टेक्नालॉजी में कार्योन्मुखी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (जेओसीसी) के 15वें सत्र में प्रवेश कर लिया है। सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र को 360 से अधिक कुशल/अर्द्ध-कुशल, सुपरवाइजर स्तर के तकनीकी कार्मिक इस पाठ्यक्रम से मिले, जिससे रोजगार का एक नया जरिया खुला है।
- देश के सभी भागों यथा पुणे, लखनऊ, हैदराबाद इत्यादि की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेओसीसी के नए केन्द्र खोले जा रहे हैं।
- अनेकों अन्य के अलावा, गैरिसन इंजीनियर्स, उत्तरी रेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, आवास परिषदों जैसे सरकारी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री का परीक्षण किया गया।
- यूएनडीपी/जीईएफ के लिए इस संस्थान द्वारा संचालित रेजिडेंट मिशन अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।
- यह संस्थान अपने मंडी गोबिंदगढ़ परिसर में हार्डवेयर सेंटर स्थापित करने के लिए यूएनडीपी/जीईएफ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- इस संस्थान की मंडी गोबिंदगढ़ स्थित प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला का नवीकरण चल रहा है और शीघ्र ही इसकी सेवाएं उद्योग के साथ-साथ राष्ट्र को समर्पित कर ली जाएंगी।
- यह संस्थान सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र को चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी गुणवत्ता, लब्धि में सुधार, मूल्य संवर्द्धन और लागत में कटौती के लिए निरंतर तकनीकी प्रदान कर रहा है।
- सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र के कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को सुधारने के लिए निरंतर मानव संसाधन विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- यह संस्थान इस्पात उद्योग के लिए सेमिनार, अंदरूनी प्रशिक्षण, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।
- इस्पात मंत्रालय की ओर से, देश के सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा खपत मानकों का प्रतिमान तैयार करने के लिए एक रिपोर्ट बन गई है। इसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए भी सुझाव शामिल किए हैं।
- इस संस्थान को अपने प्रशिक्षित और पंजीकृत ऊर्जा लेखापरीक्षकों के जरिए ऊर्जा लेखापरीक्षण करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा पैनल में रखा गया है। राष्ट्र की सेवा में ऊर्जा संरक्षण के लिए सुझावपरक उपायों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बोर्ड सहित, उद्योगों और भवनों, शिक्षा बोर्ड और बैंकों इत्यादि का ऊर्जा लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

इस्पात विकास और संवर्धन संस्थान (इन्सडैग)

इस्पात निर्माताओं की पहल पर इन्सडैग की स्थापना की गई और यह संस्थान 26 अगस्त 1996 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत हुआ। इस संस्थान का मिशन सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर कार्य करना है ताकि इस्पात का प्रभावी उपयोग करने और उपभोक्ताओं को उनके पैसे का पूरा लाभ पहुंचाने के तौर-तरीके विकसित किए जा सकें।

यह संस्थान मुख्य तौर पर इस्पात उपयोगों में टेक्नालॉजी के विकास और इस्पात निर्माताओं के लिए बाज़ार बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह संस्थान कोलकाता स्थित संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के कार्यालय में ही है। उद्योग से मिले योगदान के आधार पर कार्य करते हुए आगे बढ़ने की इस संस्थान से आशा की जा रही थी। परंतु इस संस्थान की कुल धन जरूरत का मात्र 20% सदस्यता से मिल रहा है और शेष खर्चा जेपीसी से मिले अनुदान से पूरा किया जाता है।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण

इस संस्थान ने वर्ष के दौरान व्यवसायविदों और सिविल इंजीनियरी के प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की भी मदद से अधिक इस्पात युक्त निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में नवीनतम घटनाक्रमों पर निम्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है:

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	के साथ आयोजित
स्टील कंक्रीट कंपोजिट निर्माण	मुम्बई	भारतीय भवन निर्माता एसोसिएशन
आईएस: 800 का प्रस्तावित संशोधन	चेन्नई	अन्ना विश्वविद्यालय
स्टील स्ट्रक्चर का जंग एवं अग्नि संरक्षण	बंगलौर	इंस्ट्रक्ट
स्टील कंक्रीट कंपोजिट निर्माण	दिल्ली	मॉडकॉन इंजीनियर्स
आईएस: 800 का प्रस्तावित संशोधन	दिल्ली	मॉडकॉन इंजीनियर्स
आईएस: 800 का प्रस्तावित संशोधन	पुणे	सिंघद इंजीनियरी कॉलेज
अधिक इस्पात युक्त निर्माण	बंगलौर	इंस्ट्रक्ट
भारत में बुनियादी विकास	कोलकाता	भारत संचार निगम लिमिटेड
अधिक इस्पात युक्त निर्माण में वर्तमान प्रवृत्तियां	कोलकाता	भारतीय धातु संस्थान

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटीपी)

पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	के साथ आयोजित
स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन	वाराणसी	आईएसटीई, आईटी, बीएचयू

परामर्श कार्य

इस संस्थान ने निम्न कुछ परामर्श परियोजनाएं हाथ में ली हैं:

- मुम्बई में 40 मंजिला भवन के स्टील-कंक्रीट कंपोजिट बनाम आरसीसी डिज़ाइन की लागत तुलना पूर्ण की गई।
- आरडीसीआईएस, सेल तकनीकी/सामुदायिक केन्द्र का डिज़ाइन - योजना तैयार।
- दुर्गापुर क्लब का फ्रंटेज डिज़ाइन पूर्ण
- आईएसबीटी, सराय कालेखाँ, दिल्ली का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार) - डिज़ाइन कार्य प्रगति पर।
- जनपथ स्थित हैंडलूम भवन का डिज़ाइन परामर्श (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार) - डिज़ाइन कार्य शुरू।

इस संस्थान द्वारा प्रयासरत कुछ अन्य परियोजनाएं निम्न हैं:

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अपनी इमारतें (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार)।
- रहेजा ग्रुप, मुम्बई के लिए बहु-स्तरीय कार पार्किंग।
- दिल्ली और कोलकाता में फुट ओवर ब्रिज।
- ऊषा मार्टिन के जमशेदपुर प्लांट की विस्तार/आधुनिकीकरण परियोजना।

पुरस्कार योजना

(i) *छात्र पुरस्कार योजना:* इस संस्थान ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सिविल एवं वास्तुशिल्प इंजीनियरी के (प्रि और फाइनल वर्ष में) अध्ययनरत छात्रों के लिए पुरस्कार योजना चलाई है (ii) *व्यावसायिक पुरस्कार योजना:* निर्माण कार्यों में इस्पात का अधिक उपयोग करने के लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइनरों/वास्तुशिल्पकारों/डेवलेपर्स/भवन निर्माताओं के लिए 'व्यावसायिक पुरस्कार प्रतियोगिता' शुरू की गई।

अध्याय-XX

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

प्रस्तावना

भारत सरकार ने प्रशासन में खुलापन, प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने तथा देश में सुशासन स्थापित करने के ध्येय से, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में यह एक कीर्तिमान है। इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1) व (2), धाराएं 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 को 15 जून 2005 से लागू किया गया और इस अधिनियम के शेष प्रावधान 12 अक्तूबर 2005 से लागू हुए।

उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना तथा देश में सुशासन प्रदान करना है और साथ ही साथ सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना को प्राप्त करने में हर नागरिक को समर्थ बनाने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की सुरक्षा करना है। फलस्वरूप, इस तरह की सूचना प्रदान करना सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व बन गया है।

इस्पात मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना के अधिकार अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन करने के लिए, एक सहायक एवं एक अवर सचिव के साथ सचिव स्तरीय सेक्रेट्रीयल सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एक अलग सूचना का अधिकार कक्ष बनाया गया है। एक उप सचिव और एक संयुक्त सचिव को क्रमश: सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा, दो साहयक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को भी नामित किया गया है। मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अन्य कार्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रगति/समुचित कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। 17 मदों के मैन्यअल और अपील प्राधिकरण/सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर डाला गया है।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपनी-अपनी वेबसाइट्स पर 17 मदों के मैन्युअल का विवरण दिया है और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विवरण से युक्त वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान (31 दिसम्बर 2006 तक) अकेले इस्पात मंत्रालय को सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए 50 (अनंतिम) आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इस्पात मंत्रालय एवं मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त निवेदनों को देख रहे सार्वजनिक सूचना अधिकारियों/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों और कार्मिकों ने विभिन्न क्षमतावर्धक/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समुचित कार्यान्वयन एवं सुचारु संयोजन के लिए कार्शालाओं/विचार-विनिमय सत्रों का भी आयोजन किया जाता है।

अनुबंध

वर्ष 2006 की महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

इस्पात मंत्रालय

2006 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या - 8

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के कार्यचालन पर निष्पादन समीक्षा

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल) एक सरकारी कम्पनी के रूप में जुलाई 1974 में समाविष्ट की गई। बीआरएल और इंडिया फायरब्रिक्स एंड इन्सुलेशन कम्पनी (बीआरएल की एक सहायक कम्पनी) को 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया। बीआईएफआर और भारत सरकार ने जनवरी 1997 से जून 2002 तक की अवधि के दौरान तीन पुनरुद्धार योजनाएं संस्वीकृत कीं जिनके अन्य रिआयतों के अलावा कम्पनी ने कर्ज और इक्विटी के रूप में 234.60 करोड़ रुपये की नकदी सहायता प्राप्त की। इन रिआयतों के बावजूद कम्पनी ने तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में नियत किये गये श्रमबल कमी, उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए और इसका हानियां उठाना जारी रहा। 31 मार्च 2005 को संचित हानियां 352.56 करोड़ रुपये थीं।

रिफ्रेक्टरीज का समग्र उत्पादन 2001-02 से 2004-05 के दौरान पुन: निर्धारित क्षमता का मात्र 39 और 87% था और क्षमता के कम उपयोग, कार्यचालन पूंजी की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में कमी 1.19 लाख टन थी जिसके कारण कच्ची सामग्री की कमी रही और अधिक श्रम बल रहा और वार्षिक रूप से 9 करोड़ रुपये की बर्धित श्रम लागत रही।

कम्पनी बोकारो इस्पात संयंत्र को निष्पादित गारंटी खंड के अन्तर्गत मैंगनीशिया कार्बन ब्रिक्स और स्लाईड गेट रिफ्रैक्टरी आपूर्त कर रही थी जिसने गारंटी खंड के अन्तर्गत वचनबद्ध ऊष्मा के प्राप्त न होने के कारण क्रमश: 6.33 करोड़ रुपये और 1.97 करोड़ रुपये की राशि की मुफ्त सामग्री की वसूली की/प्राप्त की।

बीआरपी में सिलिका ब्रिक्स के 12,000 टन की पुन: निर्धारित क्षमता के विपरीत संयंत्र 1999-2000 से 2004-05 के दौरान मात्र 1,790 टन का वास्तव में उत्पादन कर सका और 2003-04 के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ जबकि उत्पादन का अधिक अंशदान लाभ और अच्छी बाजार मांग थी। प्रबन्धन ने मुद्दे पर उल्लेख नहीं किया और नगण्य/शून्य उत्पादन के कारणों की इसने जांच नहीं की।

ग्रीन ब्रिक्स (दाब यन्त्रों में दबाई गई पकायी न गई ईंटें) से बिक्री योग्य ईंटों तक विनिर्माण की प्रक्रिया में ईंटों का वास्तविक अस्वीकरण टीईवी रिपोर्ट में विचार किए गए 10% की अपेक्षा काफी अधिक था। प्रबन्धन ने न तो अस्वीकरण के लिए प्रतिमान नियत किए और न ही कारणों का विश्लेषण किया।

7.53 करोड़ रुपये की लागत पर अधिप्राप्त एक 2,500 टन की सेक्मी प्रैस का उपयोग 2000-01 से 2004-05 के दौरान मात्र 37% था। 2,000 टन की कम क्षमता वाली एक प्रैस, जिस पर पहले विचार किया गया, से प्रयोजन अच्छी तरह पूरा हो सकता था।

कम्पनी 1.12 करोड़ रुपये की फीस पर अक्तूबर 1991 में जापान से खरीदी गई कंटीन्युअस कास्टिंग रिफ्रैक्टरीज के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन नहीं कर सकी जिसने व्यय निष्फल बना दिया।

(अध्याय-X)

एमएसटीसी लिमिटेड

खुले समुद्र में बिक्री गतिविधि की निष्पादन लेखापरीक्षा पर निष्पादन समीक्षा

कम्पनी का अन्तरराष्ट्रीय बाजार डिवीजन मुख्यतया ''बैक टू बैक'' बिक्री में लगा हुआ था और एमओयू में योजनाबद्ध होने के बावजूद यह इस बात को सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा कि आयातों का कम से कम 20% गैर-आंतरिक क्रेताओं के लिए था।

समग्र वित्तीय निष्पादन के प्रति खुले समुद्र में बिक्री का विशेष लाभ अंशदान अभिनिश्चित नहीं किया जा सका चूंकि खुले समुद्र में बिक्री संव्यवहारों के लिए अथवा इसके लिए किए गए उपरिव्ययों के आवंटन के अलग लागत अभिलेखों का कम्पनी द्वारा रख-रखाव नहीं किया गया।

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिक कारबार चार से पांच मदों से प्राप्त हुआ। कम्पनी की समग्र बिक्री में वृद्धि कीमत के कारण और न कि मात्रा के कारण रही थी। उत्पादों की सीमित संख्या पर बिक्री के संकेन्द्रण और एकल ग्राहक अर्थात् एचपीएल पर निर्भरता में लचीलेपन की हानि का विद्यमान जोखिम और भविष्य में कारबार की मात्रा में अचानक कमी अन्तर्ग्रस्त थी। यह इस बात का भी सूचक था कि कम्पनी अपने बाजार आधार पर उत्पाद के बासकेट को व्यापक करने में विफल रही जो नीतिगत योजना में इसके योजनाबद्ध होने के बावजूद था।

कम्पनी ग्राहकों द्वारा एमओए की शर्त का अनुसरण सुनिश्चित करने में बार-बार विफल रही। पक्षकारों को एमओए के निबन्धन और शर्तों में दिए गए विपथन और ढील के कारण कम्पनी ने 4.85 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(अध्याय-XI)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

कोकिंग कोल के आयात पर निष्पादन समीक्षा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की आंतरिक कोकिंग कोल खानें नहीं हैं और यह बाह्य आपूर्तिकारों पर निर्भर है। देशी कोकिंग कोल के इसके मुख्य आपूर्तिकार कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियां हैं। देशी कोयले के साथ ब्लेंडिंग के माध्यम से तकनीकी प्राचलों में सुधार करने और देशी कोयले की वास्तविक आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्तर को दूर करने के लिए कम्पनी 1978-79 से कोकिंग कोल का आयात कर रही थी। ऐसी अधिप्राप्ति दीर्घावधि करारों, मौके पर निविदाओं और सावधि करारों के माध्यम से की गई।

आयातित कोकिंग कोल की कमी के कारण 2004-05 की पहली तिमाही के लिए बिक्री योग्य इस्पात के सेल के उत्पादन में 12% (0.31 मिलियन टन) की कमी रही।

हार्ड कोकिंग कोल की उपयुक्त रूप से योजनागत खरीद के माध्यम से पर्याप्त और समय पर कार्रवाई करने की सेल की विफलता के परिणामस्वरूप 344 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

मौके पर निविदा मंगाने के लिए सेल की चालू समय सीमा, निविदा मंगाने में इसके खराब पुराने रिकार्ड, जहां नवम्बर 2000 और दिसम्बर 2004 के बीच निविदा मांगी गई मात्रा का मात्र एक प्रतिशत वास्तव में प्राप्त किया गया और पर्याप्त परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के अभाव के मद्देनजर इसे कोकिंग कोल की इसकी योजनागत अथवा अनिवार्य आवश्यकताएं पूरा करने के लिए सेल को न्यूनतम वरीयता प्राप्त विकल्प के रूप में मौके पर निविदा मांगने पर विचार करना चाहिए।

सेल ने दो विदेशी आपूर्तिकारों के साथ हार्ड और साफ्ट कोकिंग कोल के लिए आवधिक करारों पर हस्ताक्षर करके उनके साथ दीर्घावधि करारों के अन्तर्गत सुपुर्दगियों को साथ-साथ आस्थगित रखकर 87 करोड़ रुपए और 89 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

वर्ष 2003-04 के लिए एक आपूर्तिकार के साथ एलटी करार में साफ्ट कोकिंग कोल की 0.150 मिलियन टन की पारस्परिक विकल्प मात्रा का उपयोग करने की सेल द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपए की हानि हुई।

हार्ड कोकिंग कोल के लिए वर्तमान प्रस्तावों का लाभ उठाने और 2003-04 में हाई कोकिंग कोल के 0.46 मिलियन टन का अधिग्रहण करने की सेल द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप हार्ड कोकिंग कोल की मौके पर खरीदों पर 232 करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ।

(अध्याय-XII)

वर्ष 2006 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-12

ग्राहक द्वारा प्रदान किये गए अनुमानों के आधार पर पेशकश प्रस्तुत करने के कारण हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड ने विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में सड़कों के पुनरुद्धार के कार्य में 40.64 लाख रुपए की हानि उठाई।

(पैरा 22.1.2)

अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कमियों के कारण क्रुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड अपनी पिलीटाइजिंग क्षमता की वृद्धि के वांछित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी तथा 31.65 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

(पैरा 22.2.1)

इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए घटिया बोली अनुमान तथा खुदरा दुकानों के निर्माण के लिए ठेके के अदक्ष निष्पादन के कारण, मीकॉन लिमिटेड ने 4.63 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

(पैरा 22.3.1)

निविदा प्रस्तुत करते समय गलत अनुमान शामिल करने तथा इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्य आदेश के अनुसार समय सूची के अनुरूप इसके उप-ठेकेदार के साथ समापन अनुसूची प्रस्तुत करने में विफलता के कारण मीकॉन लिमिटेड ने 3.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया।

(पैरा 22.3.2)

खराब बोली अनुमान लगाने के कारण मीकॉन लिमिटेड ने 86.34 लाख रुपए की हानि उठाई।

(पैरा 22.3.3)

करार में कमी तथा परिणामत: तर्कसंगत प्राप्यों की वसूली में विलम्ब के कारण नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ब्याज के रूप में 1.89 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

(पैरा 22.4.1)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा रोके गए 34.70 करोड़ रुपए की राशि के इसके आयातित कोकिंग कोयले के मूल्य की वसूली करने में विफल रही। इसने 18.49 करोड़ रुपए जो 22,794 एमटी ब्लास्ट फर्नेस कोक की खरीद पर व्यय किये गए थे, आपूर्तियां पूरी

करने में इस्को की विफलता के कारण अतिरिक्त व्यय को वसूल करने के लिए करार की सामान्य शर्त के अन्तर्गत जोखिम खरीद खण्ड का सहारा भी नहीं लिया।

(पैरा 22.5.1)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने आवश्यकता के गलत निर्धारण के आधार पर यू एस कोयला अधिप्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप 35.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 22.5.2)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 8.77 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया, क्योंकि इसने प्रस्ताव की वैधता अवधि के भीतर भाड़ा विकल्प का उपयोग नहीं किया।

(पैरा 22.5.3)

खुली निविदा के माध्यम से कच्चे लौहे की बिक्री की इसकी निर्धारित प्रक्रिया से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विपथित हो गई तथा इसे उसी समय के आधार पर बेचा, जिसके परिणामस्वरूप 2.40 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 22.5.4)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अधिप्राप्ति अवधि 2003-04 हेतु क्रेता के विकल्प पर मात्रा सहायता को लागू न करने और अधिप्राप्ति अवधि 2004-05 हेतु निर्धारित उच्चतर दर पर खरीदने के कारण सिलिको मैंगनीज़ एवं फेरो सिलिकॉन की अधिप्राप्ति में 30.84 करोड़ रुपए की हानि उठायी।

(पैरा 22.6.1)

कीमत वृद्धि के कारण हार्ड कोक की कमी से परिचित होने के बावजूद स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अग्रिम भुगतान को विलम्बित किया जिसके परिणामस्वरूप हार्ड कोक की कमी हुई एवं बिक्री योग्य इस्पात की उत्पादन हानि के कारण 28.16 करोड़ रुपए के अंशदान लाभ की परिणामी हानि के साथ 2.32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 22.6.2)

कीमत वृद्धि खंड के बिना आपूर्ति आदेश की स्वीकृति के कारण स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 2003-04 के दौरान रेल व्हील फैक्टरी को स्टील ब्लूम्स की बिक्री में 10.15 करोड़ रुपए की राजस्व हानि उठाई।

(पैरा 22.6.3)

आंतरिक खानों की स्टाक स्थिति का विचार किए बिना बाह्य स्रोत से स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा आयरन ओर लंप्स की अधिप्राप्ति 1.29 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 22.6.4)

दिल्ली जलबोर्ड को निर्धारित से कम विनिर्देर्शों के पाइपों की आपूर्ति के कारण स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने 81.00 लाख रुपए की हानि उठाई।

(पैरा 22.6.5)

अपने एक ग्राहक के साथ अनियमित व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत माल प्रेषण के बाद साख-पत्र अनुमत किया गया था, के परिणामस्वरूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने 66.37 करोड़ रुपए की हानि उठायी।

(पैरा 22.6.6)

बीमा कवरेज एवं अन्य संरक्षा उपायों के बिना चोरी प्रभावित क्षेत्र में सोलर फोटो वोल्टिक स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन के कारण स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने 65.39 करोड़ रुपए की हानि उठायी क्योंकि अधिकांश उपस्कर छः महीनों की अवधि में चुरा लिए गए थे।

(पैरा 22.6.7)

रेलवे भाड़ा के भुगतान हेतु मदों के वर्गीकरण में समय से परिवर्तनों को मॉनीटर करने की विफलता के कारण स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को 64.87 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(पैरा 22.6.8)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने वित्तीय विवक्षाओं के निर्धारण के बिना अपने लौह अयस्क संसाधनों के उत्तोलन के विनिमय में आयातित कोकिंग कोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी पक्षकार के साथ सामरिक साझेदारी करने के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता कंपनी के अनुकूल नहीं था।

(पैरा 22.6.9)